लोक-सभा वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ५, १९६२/१८८४ (शक)

[८ से २२ जून १९६२/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़ १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-5-92
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ५ में अंक ४१ से ५१ तक

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

(तृतीय माला खण्ड ५—अंक ४१ से ५१—८ से २२ जून,१९६२)/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़, १८८४ (शक)

अंक ४१—शुक्रवार, ८ जून, १९६२/१८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या १३५३ से १३५५, १३५७ से १३६५, १३६७ से १३७१ और १३७३ . . ४४८५—४५१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६, १३६६, १३७२ और १३७४ . ४५११–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५७ से २८६० और २८६२ से २८६६ . ४५१२–४८

दिनांक १८-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर में शुद्धि

अविलम्बनीय लोक महत्व क विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .

(१) साल्ट कोटर्स रेलवे माल शैड, मद्रास में, माल उतारने का काम अस्थव्यस्त हो जाने का कथित समाचार . . ४५४८–४९

(२) दिल्ली में परमाणु बंम विरोधी सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के लिये जनवादी चीन गणराज्य को निमंत्रण . . ४५४९–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, (रेलवे) १९५९–६० . . . ४५५०

सभा का कार्य ४५५०–५१

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य . . ४५५१—५३

समिति के लिये निर्वाचन ४५५३

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक— पुरःस्थापित . . . ४५५३

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . ४५५४–५५

अनुदानों की मांगें . . . . . . ४५५५—६८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४५५५

राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक [श्री स० चं० सामन्त का] ४५६८

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) [श्री ज० ब० सिंह का] . ४५६८–६९

विधान परिषद् (रचना) विधेयक—परिचालित

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . . ४५६९—७३

भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) [श्री स० च० सामन्तका]—अस्वीकृत . . ४५७४—७८

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दीवान चन्द शर्मा का]	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४५७८–७६
अंक ४२—सोमवार, ११ जन, १९६२/२१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८२ से १३८४, १३८६, १३८८, १३९० से १३९४ और १३९७ से १४०१ .	४५८७–४६११
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७५, १३७८ से १३८१, १३८५, १३८७, १३८९, १३९५, १३९६, १४०२, १४०३ और १४०५ .	४६१२–१७
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २८९७, २८९९ से २९१५, २९१७ से २९३१ और २९३३ से २९३५ . . .	४६१७–४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४६४४–४८
(१) केरल में एनाथ में ट्यूबरक्युलिन परीक्षण की प्रतिक्रिया से उत्पन्न स्थति	४६४४–४४
(२) नागपुर–टाटानगर यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना .	४६४५–४८
सभा पटल पर रखा गया पत्र	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुप स्थति सम्बन्धी समिति	
पहला प्रतिवेदन . .	४६४८
अनुदानों की मांगें	४६४८–६२
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	४६४८–६२
वित्त मंत्रालय	४६६२–९२
सभा की बैठक के दिन में परिवर्तन	४६७४–९२
कार्य मंत्रणा समिति	४६७५–९२
दूसरा प्रतिवेदन	४६९२
दैनिक संक्षेपिका . . .	४६९३–९७
अंक ४३—मंगलवार, १२ जून, १९६२/२२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०६, १४०७, १४०९, १४११ से १४१३, १४१५ १४१६, १४१९ से १४२४ और १४२६ और १४२८ .	४६९९–४७२३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १६	४७२३–२८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०८, १४१०, १४१४, १४१७, १४१८, १४२५, १४२७, और १४२९	४७२८—३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २९३६ से ३०४३ . . .	४७३२—८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	४७८०—८४
(१) गुंटूर में तम्बाकू के लिये एक मार्क की पर्चियां देने में सरकार की कथित असफलता	
(२) पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	
(३) साम्भर झील के निकट सवारी गाड़ी और बस के बीच हुई टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८४
सैन्ट्रल प्रोविंसेस मैंगनीज और कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए करार के बारे में वक्तव्य	४७८४–८५
ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच चल रही बातचीत के बारे में वक्तव्य	४७८४—८६
कार्य मंत्रणा समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	४७८६—४८०९
अनुदानों की मांगें	४७८६
वित्त मंत्रालय	४७८६—४८०९
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२, पुरःस्थापित तथा पारित . .	४८१०—११
वित्त (वित्त संख्या २) विधेयक, १९६२	
विचार करने का प्रस्ताव	४८११—१५
दैनिक संक्षेपिका	४८१६—२२

अंक ४४——गुरुवार, १३ जून, १९६२/२३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३०, १४३१, १४३३ से १४४०, १४४२, १४४४, १४४५, और १४४७ से १४४९ . .	४८२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४४१, १४४३, १४४६ और १४५० से १४६४	४८४५—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४४ से ३१३५, ३१३७ से ३१४१, ३१४३ और ३१४४	४८५३—९९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७	४८९९
स्थगन प्रस्ताव	४९००
रेलवे फाटक पर रेल गाड़ी और बस में हुई टक्कर . .	४९००

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	४६००—०६
(१) उत्तरी लद्दाख में चीनियों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तर बन्द गाड़ियों का कथित आवागमन .	४६००–०१
(२) नेफा में नियुक्त कुछ वरिष्ठ सेना अधिकारियों की कथित भर्त्सना .	४६०१—०४
(३) वेस्ट विनय नगर, दिल्ली में साफ किये हुए पानी की कमी .	४६०५–०६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-	
दूसरा प्रतिवेदन	४६०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२	४६०७—४३
विचार करने का प्रस्ताव	४६०७—४३
दैनिक संक्षेपिका	४६४४—५०

अंक ४५—शुक्रवार, १५ जून, १९६२।२५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर	४६५१—७५
तारांकित प्रश्न संख्या १४६५, १४६७ से १४७३ और १४७५ से १४८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४७४ और १४८१ से १४८८. .	४६७५—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१४५ से ३२१३ . .	४६८०—५०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	५०१३—१७
सदर बाजार में विस्फोट . .	५०१३—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	५०१७–१८
अनुपस्थिति की अनुमति	५०१८
विधेयक पुरःस्थापित	५०१९
१. सीमा शुल्क विधेयक	५०१९
२. विशिष्ट सहायता विधेयक . . .	५०१९
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२	५०१९—३७
विचार करने का प्रस्ताव	५०१९—३७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति .	
दूसरा प्रतिवेदन	५०३७
अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी संकल्प	५०३८—५४
मजदूरों संघों के प्रतिनिधिस्वरूप के बारे मे संकल्प . .	५०५४—५८
दैनिक संक्षेपिका	५०५९—६४

विषय	पृष्ठ
अंक ४६--शनिवार, १६ जून, १९६१/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ से १४९१, १४९३ से १४९६, १४९८ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५०९ .	५०६५--८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४९२, १४९७, १५०४ और १५०६ . .	५०८९--९१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१४ से ३२९३ . .	५०९१--५१२६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	५१२६--२९
राजशाही जिले से आने वाले व्यक्तियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना . .	५१२९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	५१२९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर मे शुद्धि . — .	५१२९
सभा का कार्य	५१३०
वित्त (संख्या २) विधेयक १९६२ . . .	५१३०--५८
खण्ड २ से १९ और १, तथा अनुसूची . . .	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९-६० .	५१५८--६९
दैनिक संक्षेपिका	५१७०--७४
अंक ४७--सोमवार, जून १८, १९६२/२८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ज.	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१० से १५१८, १५२०, १५२१ और १५२३	५१५७--९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ .	५१९८--९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२२ और १५२४ से १५३७ .	५१९९--५२०५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३००, ३३०३ से ३३७०, ३३७३ से ३३९१ और ३३९३ से ३४२२ . .	५२०५--५९
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . ,	
राजसाहा जिले के निष्क्रमणार्थियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	५२५९--६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	

विषय	पृष्ठ
प्रोफैसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् छोड़ने का कथित निर्णय	५२६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५२६६
तारांकित प्रश्न संख्या २१९ के उत्तर में शुद्धि	५२६६
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९–६०	५२६६—६७
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५९–६०	५२६७—७१
राष्ट्रपति की पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १९६२	
विचार करने के प्रस्ताव	५२७१—८२
खण्ड २ से ४ तथा १	
पारित करने का प्रस्ताव	५२८२—८५
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव	५२८६—९९
बाग नदी परियोजना के बारे मे आधे घंटे की चर्चा	५३००—.०१
दैनिक संक्षेपिका	५३०२—०९
अंक ४८—मंगलवार, १९ जून, १९६२/२९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४९, १५५१ और १५५२	५३११—३३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ और १९क	५३३४—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ और १५५४ से १५६२	५३३८—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२३ से ३४८६, ३४८८ से ३४९७, ३५०० और ३५०१	५३४२—७७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	५३७८—८०
(१) मालदा जिले में पक्षाघात का महामारी के रूप मे फैलना	५३७८—७९
(२) दिल्ली स्टेशन और फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में पानी की कमी	५३७९—८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५३८१—८३
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष १९६०–६१ के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य	५३८३—८४
विधेयक पुरःस्थापित —	
(१) प्रत्यर्पण विधेयक	५३८४
(२) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२	५३८५
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक १९६२	५३८५
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक	५३८६—८८
विचार करने का प्रस्ताव	५३८६

विषय	पृष्ठ
खंड २ और १	५३८८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५३८८
श्री विभूधेन्द्र मिश्र	५३८८
निर्वाचनों के संचालन नियमों के बारे में प्रस्ताव . . .	५३८८—५४०३
सीमा शुल्क विधेयक	५४०३—१०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	५४०३—१०
रिहान्द की बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मे बांटने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	५४१०—१४
दैनिक संक्षेपिका	५४१५—२३
अंक ४९—बुधवार, २० जून १९६२/३० ज्येष्ठ १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ . . .	५४२३—४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० और २१ . . .	५४४५—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५७६ से १५९० .	५४४७—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०२ से ३५१४, ३५१६ से ३५७०, ३५७२ से ३६३३, ३६३५, ३६३६ और ३६३६-क से ३६३६छ .	५४५४—५५१८
दिनांक २२-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के उत्तर में शुद्धि	
स्थगन प्रस्ताव	५५१८
भारतीय राज्य क्षेत्र मे चीनियों द्वारा कथित अतिक्रमण का समाचार .	५५१८—१९
सभा पटल पर रखे गए पत्र	५५१९—२०
राज्य सभा से सन्देश	५५२०
गैर सरकारी सस्दयों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५५२०
तीसरा प्रतिवेदन	५५२०
हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५५२१
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२—पारित . .	५५२१
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६२—पारित . . .	५५२२
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	५५२२—४७
पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में आध घंटे की चर्चा	५५४७—५४
दैनिक संक्षपिका	५५५५—६३
अंक ५०—गुरुवार, २१ जून, १९६२/३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९१ से १५९९ १६०१ और १६१४ १६०२ १६०४ और १६०५	५५६५—८८

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६००, १६०३, १६०२—ए, १६०६ से १६१० १६१२, १६१३ और १६१५ से १६२०	५५८८–६३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३७ से ३६६० ३६६२ से ३७१२, ३७१४ से ३७२३, ३७२५ से ३७४२, ३७४४ से ३७५२, ३७५४ से ३७६७, ३७६७क, ३७६७ख और ३७६७ग	५५९४–५६५२
दिनांक २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४६ के उत्तर में शुद्धि	५६५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	५६५२–५४
(१) ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के राज्य सचिव के साथ यूरोपीय साझा बाजार के बारे में बातचीत	५६५२–५३
(२) त्रिपुरा के कमलपुर और अन्य भागों मे भारी बाढ़	५६५३–५४
जानकारी प्राप्त करने के बारे में प्रश्न	५६५४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५६५४–५६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	५६५७
कार्यवाही सारांश	५६५७
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	५६५७
कार्यवाही सारांश	५६५७
तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर मे शुद्धि	५६५७
सौलवीन प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य	५६५७
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम—अस्वीकृत	५६५८–६४
भेषज (संशोधन) विधेयक	५६६४
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५६६५–७३
खण्ड २ से २२ तथा १	५६६४–७७
पारित करने का प्रस्ताव	५६६४–७७
राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों के दिये जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	५६७८–८०
दैनिक संक्षेपिका	५६८१–९१

अंक ५१—शुक्रवार, २२ जून, १९६२/१ आषाढ़, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६२१, १६२३, १६२६ और १६२८ से १६३७ अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ और २३	५६९३–५७२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६२२, १६२४, १६२५, १६२७, १६३७क, १६३८ और १६३९	५७२०–२३

विषय	पृष्ठ

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से ३८३३ और ३८३५ से ३८४५	५७२३–५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	५७५८–६५
(१) चीनियों द्वारा नेफा में भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	५७५८–६०
(२) आई० एफ० स्टेशन बपरौला दिल्ली में एफ० ई० एस० के दो मेहतरों की मृत्यु	५७६०–६२
(३) पूर्वोत्तर रेलवे के तिलरथ स्टेशन के निकट रेल गाड़ी और ट्रक की टक्कर . . .	५७६२–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७६५–६७
राज्य सभा से सन्देश	५७६७
निर्वाचनों के संचालन नियमों में संशोधन के बारे में याचिका . .	५७६७
विधेयक पुरःस्थापित	५७६७–६८
(१) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक . . .	५७६७
(२) महाप्रशासक विधेयक	५७६८
(३) ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक . .	५७६८
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव . .	५७६९–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५७७८
तीसरा प्रतिवेदन	५७७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . .	५७७९–८४
(१) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक [श्री अ० त्रि० शर्मा का]	५७७९
(२) बीमा (संशोधन) विधेयक (धारा ३१क और ४०ग का संशोधन) [श्री इन्द्रजीत गुप्त का] . . .	५७७९
(३) बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक [श्री अ० क० गोपालन का]	५७७९–८०
(४) खाद्य तेलों पर प्रतिबन्ध (साबून बनाने के लिए) विधेयक [श्री दी० चं० शर्मा का]	५७८०
(५) परिवहन समन्वय विधेयक [श्री दी० चं० शर्मा का]	५७८०
(६) दूकानदार (मुल्यों की पर्चीयां लगाना) विधेयक [श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का]	५७८०–८१
(७) विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) [श्री हेम राज का] . . .	५७८१
(८) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [श्री हेम राज का] . .	५७८१
(९) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ११ और १२ का संशोधन) [श्री हेम राज का]	५७८१–८२

(१०) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन)
[श्री दी० चं० शर्मा का] . . ५७८२

(११) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
[श्री उ० मू० त्रिवेदी का] . . . ५७८४

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन)
[श्री दी० चं० शर्मा का] —वापिस लिया गया . ५७८२—८४

विचार करने का विचार . . . . .

हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक (नई धारा २३क का रखा जाना)
[श्री ज० ब० सि० बिष्ट का]—परिचालित . . . ५७८५—९४

परिचालित करने का प्रस्ताव . . .

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन)
[श्री सिद्दय्या का] . ५७९४

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . ५७९४—९६

नरियमंगलम् में फायटोकेमिकल प्लांट के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ५७९६—५८०२

विदाई भाषण . ५८०२

दैनिक संक्षेपिका . . ५८०३—१३, १—१०

पहले सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, ११ जून, १९६१

२१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निर्यात सम्बर्द्धन

†*१३७६. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के निर्यात व्यापार को बढ़वा देने के लिये मुख्यतः कौन सा मंत्रालय अथवा अभिकरण उत्तरदायी है ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि विदेशों में सरकार के निर्यात सम्वर्द्धन कार्यों में उचित समन्वय रहे क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) विभिन्न देशों में निर्यात सम्वर्द्धन के कार्य की ओर सरकार के कौन से अभिकरण अथवा विभाग ध्यान देते हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग भारत तथा विदेश के निर्यात संवर्द्धन कार्यों का समन्वय करने के लिए बनाया गया है ।

(ग) विदेशों में हमारे दूतावासों से संवद्ध सरकारी वाणिज्यिक प्रतिनिधि भारत के व्यापार हितों को देखते हैं । इस के अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम निर्यात संवर्द्धन परिषद् और चाय बोर्ड, प्रदर्शन निदेशालय जैसे संगठनों ने महत्वपूर्ण देशों में अपने अधिकारी रखे हुए हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

1221 (ai) LSD—1.

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या सरकार ने निर्यात संवर्द्धन कार्यों से संबंधित अभिकरणों के कार्यवहन के संबंध में सरकार ने कोई निर्धारण किया है तथा यदि हां, तो क्या उनके कार्यवहन में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** विभिन्न अभिकरणों का निर्धारण तथा पुनरीक्षण लगातार हो रहा है । समय समय पर निर्यात संवर्द्धन कार्यों का पुनरीक्षण किया जा रहा है तथा आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं जिससे निर्यात संवर्द्धन सुविधा से हो सके ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** निर्यात संवर्द्धन कार्यों का छ: मंत्रालयों से संबंध है । हाल में ही बनाये गये व्यापार बोर्ड के अतिरिक्त इन मंत्रालयों में सम्पर्क बनाने का क्या वास्तविक तरीका है तथा और क्या अन्य साधन हैं जिनके द्वारा विदेश में उचित समन्वय कार्य रखे जा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** भारत सरकार के केवल छ: मंत्रालय ही नहीं अपितु कृषि समेत देश के सभी वाणिज्य तथा उद्योग और समस्त व्यापार और केन्द्र तथा राज्य सरकार निर्यात संवर्द्धन के मामले में एक दूसरे से संबंधित है । परसों जब मैं मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय बोला था उस समय मैंने समन्वय के तरीकों को विस्तार से बताया था । मुख्य बात यह है कि हम पांच महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे रेलवे, खाद्य तथा कृषि, खान और इंधन और इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालयों तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में भी निर्यात संवर्द्धन विभाग बनाने का विचार कर रहे हैं । विदेशी दूतावासों के संबंध में महासचिव अब तक के कार्यों की समीक्षा बना रहे हैं । तथा विदेशी दूतावासों में वाणिज्यिक कर्मचारी बढ़ाने के प्रश्न पर व्यापार बोर्ड की अगली बैठक में विचार किया जायगा ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या सरकार हमारे देश से योरोपीय देशों को निर्यात कार्यों की देखभाल के लिए निर्यात संवर्द्धन निदेशक बनाने का विचार कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैंने अभी बताया कि संभवतया व्यापार बोर्ड की अगली बैठक में इस मामले पर विचार होगा । परन्तु विचार यह हैं कि विदेशी व्यापार महानिदेशक के अधीन समस्त विश्व में विदेशी व्यापार के चार क्षेत्रीय निदेशक होंगे । एक अमरीका और लटिन अमरीका के देशों में । दूसरा अफ्रीकी तथा मध्य पूर्व देशों में, तीसरा जापान समेत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों के लिए ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या सरकार को हमारे वाणिज्यिक दूतों के कार्यों के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह:** मुझे नहीं मालूम है । कभी कभी जब हमारे मित्र विदेशों में दूतावासों में जाते हैं तो उनकी बड़ी आवभगत होती है और वह उनकी तारीफ करते हैं। मैंने वाणिज्यिक दूतों की रिपोर्टें स्वयं देखी हैं जो बहुत ही लाभदायक हैं । परन्तु किसी गलती के कारण कुछ गड़बड़ी हो सकती हैं जिसके संबंध में कुछ आलोचना भी की जा सकती है ।

†**श्री बासप्पा :** किस्म नियंत्रण तथा कम लागत के दो मामले हैं । मैं इसके आधार पर जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई विशेष संस्था बनाई गई तथा यदि हां, तो यह किस्म नियंत्रण कम लागत का किस प्रकार अधीकरण करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** यह दो अलग अलग तथा विशिष्ट महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे विदेशी तथा आन्तरिक व्यापार के। व्यापार बोर्ड की पहली बैठक में हमने निर्णय किया था कि भारतीय किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण परिषद् बनाई जाये। परिषद् एक ऐसी संस्था होगी जो अन्तर्राष्ट्रीय नमूनों तथा राष्ट्रीय नमूनों का परीक्षण करके किस्म नियंत्रण देगी तथा मार्गदर्शन करेगी। ऐसा प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के समस्त देश में किया जायेगा।

†**श्री त्यागी :** क्या माननीय मंत्री विदेशों में व्यापारिक जासूसों का प्रवर्जन करेंगे जिससे विदेशी व्यापार में असामाजिक कार्यों पर नियंत्रण हो सके ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा माननीय सदस्य ने बताया यह काम वाणिज्यिक जासूसों का है और इससे व्यापार संवर्द्धन में बहुत लाभ होगा। इससे संवर्द्धन सहायता, विपणन सर्वेक्षण मिलेगी। यदि कम अथवा अधिक बीजक बनाने का मामला मालूम होगा तो निश्चित रूप से सरकार को बताया जायेगा। इस काम के लिए मैं शुक्रवार को चर्चा के दौरान बता चुका हूं कि हम राष्ट्रीय महत्व के आधार पर मामले पर विचार कर रहे हैं और हमारा विचार है कि कम अथवा अधिक बीजक बनाने को किसी भी प्रकार से रोका जायेगा।

†**श्री मे० क० कुमारन :** क्या राज्य व्यापार निगम के कार्यों का पुनरीक्षण व्यापार बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

†**श्री मनुभाई शाह :** राज्य व्यापार निगम भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध निगम है। एक सलाहकार संस्था नहीं है। यह एक व्यापार संस्था है जिसको कुछ काम सौंप दिए गए हैं। व्यापार बोर्ड कभी कभी इसके काम का पुनरीक्षण कर सकता है।

रबड़ बोर्ड

†*१३७७. **श्री मणियंगाडन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रबड़ बोर्ड के प्रतिष्ठान के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) क्या पुनर्गठन सम्पन्न हो चुका है ;

(ग) क्या पुनर्गठन के बारे में रबड़ बोर्ड की सभी सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो कौन सी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गईं और उस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जी हां।

(ख) रबड़ बोर्ड पुनर्गठन कर रहा है;

(ग) और (घ). जी हां।

†**श्री मणियंगाडन :** पुनर्गठन पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** काम आरंभ हो गया है। हमारा अलग सांख्यिकी विभाग, सूचना तथा प्रचार विभाग है और सभापति की सिफारिशों के अनुसार कुछ पदों को ऊंचा बनाया जा रहा है क्या बड़े रबड़ बागान मालिकों को बीच के रबड़ बागान मालिकों को ऋण दिए जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री मणियंगाडन : कितने नये कार्यालय बनाये गये हैं तथा नवीन स्थापना में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ?

†श्री मनुभाई शाह : बाद में इसी के बारे में एक प्रश्न है। यह एक नया संगठन नहीं है। वहां के कितने ही पद एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। २२ पदों का वर्गीकरण कर दिया गया है।

†श्री मे० क० कुमारन : क्या यह संगठन अनुसंधान विकास तथा सांख्यकी विभाग को शाक्तशाली बनाने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिशों को मानेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां।

कच्चे लोहे का निर्यात

+

†*१३८२. { श्री पें० वेंकटा सुब्बया :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने चेकोस्लोवाकिया और हंगरी को कच्चा लोहा सप्लाई करने के लिये उन देशों के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस करार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य कोई खनिज जैसे मैंगनीज आदि इन देशों को सप्लाई करने का विचार है; और

(घ) इस सौदे से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) चेकोस्लोवाकिया तथा हंगरी को बेचे गये लौह अयस्कों की किस्म, मात्रा तथा उनको भेजने का समय बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]

(ग) और (घ). जी हां। चेकोस्लोवाकिया से १९६२ में १५,००० टन मैंगनीज अयस्कों के संभरण का समझौता हो चुका है तथा ५००० टन की अग्रेतर बिक्री के बारे में बातचीत हो रही है।

†श्री पें० वेंकटा सुब्बया : प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर नहीं दिया गया। कितनी विदेशी मुद्रा मिली। मैं यह जानना चाहता हूं।

†श्री मनुभाई शाह : मुझे खेद है कि मैं यह नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय गोपनीयता नहीं होती है। मैं बेची गई वास्तविक मात्रा सभा में बताने को तैयार हूं।

†श्री पे० वेंकटा सुब्बया : क्या सरकार को लौह अयस्क के खान मालिकों को कोटे के आबंटन के बारे में कोई शिकायत मिली है कि राज्य व्यापार निगम से समझौता करने वाले खान मालिकों के साथ भेदभाव किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह:** ऐसे किसी मामले का पता नहीं लगा है। क्योंकि विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए यह हमारी मुख्य वस्तु है। मैं सभा में तथा अन्य व्यक्तियों को बता चुका हूं कि जो भी इस को लाभदायक मूल्य पर इसको बेच सकें हम उसका स्वागत करेंगे।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या चैकोस्लोवाकिया की शर्तें, जापान की शर्तों से अधिक लाभदायक हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वह काफी अच्छी हैं।

†**श्री बासप्पा :** इन को किस बन्दरगाह से लादा जायेगा ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या घटिया किस्म के अयस्कों के बारे में भी कोई समझौता हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** घटिया किस्म का अयस्क है। कुछ मंगलौर बन्दरगाह से जायेगा तथा कुछ विशाखापटनम के बन्दरगाह से जायेगा। यह दो मुख्य बन्दरगाह हैं।

डा० गोविन्द दास : यह जो लोहे का पत्थर भेजा जाने वाला है यह क्या पहली बार इन दो देशों को भेजा जा रहा है या इसके पहले भी भेजा गया है . . . .

श्री मनुभाई शाह : पहले भी भेजा गया है।

डा० गोविन्द दास : और इनके सिवा और किन-किन देशों को भेजा जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : सारी दुनिया के अन्दर हम ट्रेड कर रहे हैं, और सदस्य महोदय को पता है कि कोई ४० या ४५ मिलियन टन हम भेज रहे हैं, और कई जगह तो एक मिलियन टन या दो मिलियन टन तक भेजने का प्रोग्राम है।

राज्यों द्वारा करों की वसूली

†*१३८३. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना के लिये देशी संसाधन बढ़ाने के लिये प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित अंशदान पूरा करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों ने पिछले दो वर्षों में नये करों से धन इकट्ठा किया है;

(ख) क्या कोई राज्य सरकारें अपने निर्धारित अंशदान देने में पिछड़ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का इस विषय में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन):** (क) राज्यों द्वारा ६१० करोड़ रुपयों के अतिरिक्त कराधानों के तीसरी योजना के लक्ष्यों के अतिरिक्त राज्यों द्वारा १९६१-६२ में लगाये गये करों से उस वर्ष में लगभग १७ करोड़ रुपये मिले तथा योजनावधि में लगभग १०० करोड़ रुपये का कुल राजस्व मिल जायेगा। १९६२-६३ के अतिरिक्त कराधानों से प्राप्त धन का अभी नहीं पता है।

(ख) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या योजना आयोग ने हाल में ही दिल्ली में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से प्रत्येक राज्य में अतिरिक्त करों के द्वारा तीसरी योजना में वित्तीय साधनों की समस्या के बारे में चर्चा की थी ? यदि हां, तो योजना आयोग के सुझाव पर मुख्य मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया थी ?

†योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : कोई नया सुझाव नहीं था। हमने स्थिति बताई और मुख्य मंत्रियों से प्रार्थना की कि इस वर्ष में आवश्यक कार्यवाही करें जिस से अपेक्षित साधन उपलब्ध हों।

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में बहुत पीछे हैं क्योंकि वह अतिरिक्त कर लगाने में हिचकिचा रहे हैं कि कहीं वह जनता में इस के कारण बदनाम न हो जायें।

†श्री नन्दा : जैसा कि उत्तर में बता दिया गया है वही ठीक है जो कुछ किया जायेगा उसको अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। निर्णय लेने के बाद हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सी राज्य सरकारें पीछे है।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने शिकायत की थी कि जिन कराधानों को राज्यों को ही लगाना चाहिए उनको केन्द्र सरकार ने लगा रखा है ?

†श्री नन्दा : जब कन्द्रीय साधनों की जिम्मेदारियों को बताया गया था उस समय ही राज्यों तथा केन्द्र की आपसी स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी।

†श्री त्यागी : क्या राज्य सरकारों को कोई विशिष्ट आदेश दिये गये हैं कि समाज के किस भाग पर लगाये जायें तथा किस पर यह भार पड़े क्योंकि मेरे राज्य में करों का भार किसानों पर अधिक पड़ता दिखाई देता है ? मुझे ताज्जुब है कि क्या ऐसा तो कोई आदेश नहीं है कि करों का भार किसानों पर पड़े तथा वाणिज्य और उद्योग को बचाया जाये ?

†श्री नन्दा : हमारी नीति यह है कि भार सब पर बराबर पड़े तथा जो अधिक दे सकें वह अधिक दें।

†श्री त्यागी : इस प्रकार कर देने की क्षमता पर विचार किया जायेगा।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : राज्यों को और कर लगाने की सलाह देने से पहले क्या कराधानों के साधनों तथा कर देने की क्षमता पर ध्यान दिया गया ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने यही बताया है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या पंजाब सरकार ने इस अतिरिक्त कराधान विधेयक के प्रस्तुत करने से पूर्व कन्द्र सरकार का परामर्श लिया था ? यदि हां, तो पंजाब सरकार को क्या आदेश दिये गये हैं ?

†श्री नन्दा : योजना आयोग को ऐसी किसी बात के बारे में नहीं लिखा गया है।

† श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या योजना आयोग को पूरा विश्वास है कि सभी राज्य ६१० करोड़ रुपये तीसरी योजना में वसूल कर लेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा :** मतभेद का कोई कारण नहीं है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के वित्त मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जो राज्य कराधानों के सब से अधिक प्रयत्न करेंगे उन को केन्द्रीय सरकार के राजस्व के विवरण के सम्बन्ध में हतोत्साहित किया जायेगा ?

†**श्री नन्दा :** मैं नहीं जानता कि महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने क्या कहा था।

नागा विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी

†*१३८४. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में कुछ प्रमुख नागा विद्रोही नेता गिरफ्तार किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या उन से कोई पूछताछ की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री डा० एरिंग) :** (क) और (ख). जी हां। मई, १९६२ के दूसरे सप्ताह में तीन नागा विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) पूछताछ का ब्योरा बताना लोक हित में नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जब कि सभी विद्रोही नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होने पाकिस्तान में श्री फिज़ो अथवा जिन लोगों से वह पाकिस्तान में मिला था, उनके कार्यों के बारे में कुछ बताया है ?

†**श्री डा० एरिंग :** मैंने अभी बताया कि यह बताना लोक हित में नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** लोक हित क्या है ? मैं यह नहीं जानना चाहता कि क्या प्रश्न पूछे गये थे मैं जानना चाहता हूं कि श्री फिज़ो के कार्यों का उनसे कुछ पता लगा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य प्रश्न नहीं जानना चाहते हैं अपितु उतर जानना चाहते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कुछ बताया।

†**अध्यक्ष महोदय :** अजीब बात है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं। संसद सचिव बता चुके हैं कि इसका बताना लोक हित में नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि उनको क्या श्री फिज़ो के कार्यों का कुछ ज्ञान था।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह भी तो उसी का भाग है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या नागा विद्रोहियों के कार्यों में पाकिस्तान का भी हाथ था ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** फिर वही प्रश्न है।

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना नहीं चाहते हैं कि पूछताछ से क्या पता लगा अपितु यह जानना चाहते हैं कि क्या इन कार्यों में पाकिस्तान का भी हाथ था ।

†**श्री डा० एरिंग :** हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या इस पूछताछ से इसका कुछ पता लग पाया कि विद्रोहियों को हथियार कहां से मिलते हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** हथियार मुख्यतः भारतीय हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सरकार को ऐसी कोई जानकारी है कि विद्रोही नागा सीमा पर चीनी साम्यवादियों से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उत्तर बर्मा विद्रोहियों के द्वारा मिले हुए हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

पाकिस्तान से व्यापार प्रतिनिधि मंडल

+

†*१३८६

श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभति मिश्र :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री फ० गो० सेन :
श्री प्र० के० देव :
श्री वारियर :
श्री में० क० कुमारन :
श्री बेरग :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल हाल ही में दिल्ली आया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके आगमन का क्या परिणाम निकला और किये गये करारो का ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०]**

श्री विभूति मिश्र : स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है कि सरकार ४० लाख रुपया की जूट कटिंग्स मंगायेगी । मैं जानना चाहता हूं वह यह जूट कटिंग्स कितने रुपये मन मंगा रही है ।

श्री मनुभाई शाह : जिस दाम पर हम खरीद सकेंगे यह उस पर आधारित होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है कि दोनों तरफ से लेखा जोखा बराबर किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो चीजें पाकिस्तान से मंगाई जायेंगी उनका मूल्यांकन हिन्दुस्तान में कैसे किया जायेगा और हिन्दुस्तान से जो चीजें पाकिस्तान भेजी जायेंगी, उनका मूल्यांकन कैसे किया जायेगा।

श्री मनुभाई शाह : जो ट्रेड प्राइसेज उस जमाने में होंगी और जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को मिलेगा उस के बेसिस पर किया जायेगा। यह कोई कंट्रोल्ड प्राइसेज नहीं हैं कि हम उस प्राइस पर खरीदने के लिये तैयार हों या बेचने के लिये तैयार हों।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इन करारों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच आगामी वर्ष में व्यापार का संतुलन किस प्रकार रहने की संभावना है?

†**श्री मनुभाई शाह** : गत वर्ष में करारों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के बाद हमें इस बात से सन्तोष है कि कुछ कठिनाइयो के बावजूद दोनों पक्षों ने अपने दायित्व का निर्वाह किया और इस करार पर हस्ताक्षर करने से जो सद्भाव उत्पन्न हुआ है और जिससे उभय देशो को अधिक लाभ रहेगा, हम आशा करते हैं कि करार के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई न होगी।

†**श्री मे० क० कुमारन** : विवरण से पता चलता है कि हमें कपास की बहुत आवश्यकता है जब कि हाल में खाद्य तथा कृषि मंत्री ने सदन को बताया कि देश में कपास का कोई अभाव नहीं है दोनों मंत्रियों के वक्तव्य में यह अन्तर क्यों है?

†**श्री मनुभाई शाह** : श्रीमन्, इस बात को मैंने पिछली बार स्पष्ट किया था किन्तु मैं देखता हूं कि माननीय समस्य किसी अन्य मंत्री के कथन का बार बार निर्देश करते हैं। मैंने कहा था कि यह सच है कि देश में कपास का अभाव है जिसे कपास के आयात से पूरा किया जा रहा है। इसलिये कृषि मंत्री ने संभवतः इस बात पर ज़ोर दिया हो कि आयातित कपास और देश के कपास के उत्पादन से कपास की माँग को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार जहाँ तक उद्योग का सम्बन्ध है, कपास का कोई अभाव न होगा।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमन्, औचित्य के प्रश्न पर मेरा निवेदन है कि खाद्य तथा कृषि मंत्री ने हाल में कहा था कि देश में कपास का कोई अभाव नहीं है। जब मैंने जोर देकर पाकिस्तान के साथ सम्पन्न व्यापार करार का उल्लेख किया था तो आपने मुझे डांट दिया था। किन्तु अब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने स्वीकार किया है कि देश में कपास का अभाव है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य उसे डांट समझते हैं?

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमन्, सदन के अन्य सदस्य और मेरे राज्य के लोगों ने भी यही समझा है। किन्तु माननीय मंत्री ने मेरी बात को स्वीकार किया है या कहना चाहिये कि मेरे कथन का काफी समर्थन किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : औचित्य का प्रश्न इतना दीर्घ नहीं होना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमन्, दोनों मंत्रियों के कथन में अन्तर है। माननीय मंत्री ने खाद्य तथा कृषि मंत्री के वक्तव्य को किसी प्रकार सही सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कोई मंत्री ऐसा कर सकता है?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : औचित्य का प्रश्न प्रक्रिया के बारे में ही उठाया जा सकता है।

†**श्री हेम बरुआ** : औचित्य का प्रश्न यह है कि माननीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने खाद्य तथा कृषि मंत्री के कथन से भिन्न जानकारी दी है।

†**श्री त्यागी** : औचित्य का प्रश्न किसी बात के खण्डन पर नहीं उठाया जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने इस बात पर कई बार ज़ोर दिया है कि औचित्य का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब कि किसी विधि, संविधि, उपबन्ध या संविधान या विनियमों या नियमों के प्रवर्तन का विषय अन्तर्गस्त हो।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमन्, क्या सदन को गुमराह करना औचित्य का प्रश्न नहीं हो सकता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है कि सदन को गुमराह किया गया हो किन्तु इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य मुझे लिख सकते हैं कि यह बात ठीक नहीं है और हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिये और हमें माननीय मंत्री को किस प्रकार सलाह दे सकते हैं। प्रश्नकाल के पांच मिनट इस बात पर ले लिये गये हैं जब कि प्रत्येक सेकिन्ड का हमें सदुपयोग करना चाहिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : विवरण में भारत-पाकिस्तान व्यापार करार के तीसरे और अन्तिम वर्ष का निर्देश है। क्या पाकिस्तान ने करार के पहले दो वर्षों में अपने दायित्व का पूर्ण निर्वाह किया है ? यदि नहीं, तो उसने किस हद तक अपने दायित्व नहीं निबाहे।

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, थोड़ी बहुत त्रुटियों के बावजूद उभय पक्षों ने अपने दायित्वों का उचित निर्वाह किया है और दोनों देशों की अर्थ-व्यवस्था के लिये अनुकूल वस्तुओं को शामिल करने के परिणामस्वरूप व्यापार बढ़ने से जो सद्भाव उत्पन्न हुआ है उसे देखते हुए हमें उम्मीद है कि दोनों देशों के सम्बन्ध अधिक सौहार्दयुक्त होंगे और कार्यक्रम के कार्यान्वियन का ध्यान रखा जायेगा।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : विवरण में कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान को प्रति मास १,३०,००० टन कोयले का संभरण करने का दायित्व स्वीकार किया है। कोयले के अभाव और कोयले के यातायात में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए पाकिस्तान को कोयले का संभरण किस प्रकार किया जाने वाला है ? यह संभरण किस कोयला क्षेत्र से किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह दायित्व हम पहले से पूरा करते आ रहे हैं। यह कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं है। यह संभरण निकटतम अर्थात् बिहार और बंगाल के कोयला क्षेत्रों से पूर्व पाकिस्तान को किया जा रहा है।

श्री विभूति मिश्र : जिन चीजों को हम पाकिस्तान भेजते हैं और जिन चीजों को हम पाकिस्तान से मंगाते हैं, उनसे हमारे बाज़ार पर क्या असर पड़ता है ? मैं जानना चाहता हूं कि हम जो चीजें उनको भेजते हैं वे उस प्राइस पर भेजते हैं जो कि प्रेजेंट प्राइसेज़ हैं या उनसे कम ज्यादा पर, और इसी तरह से जो चीजें हम वहां से मंगाते हैं उनको वहां की बाजार की करेंट प्राइसेज़ पर मंगाते हैं या कम या ज्यादा प्राइसेज़ पर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। अगर एक्सपोर्टर को भाव पुसाता है तो वह उस दाम पर बेचता है और अगर इम्पोर्टर को दाम पुसाता है तो वह उस दाम पर खरीदता है। हम जो चीज वहां से खरीदते हैं अगर उसकी प्राइस हमको जंचती है और उसकी क्वालिटी ठीक होती है तो खरीदते हैं। इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। यह सब बाजार की गति विधियों पर छोड़ दिया जाता है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : सन्धि १ के अन्तर्गत वस्तुओं के वार्षिक विनिमय की अधिकतम सीमा क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग ५ करोड़ रुपये। जहां तक सन्धि २ का सम्बन्ध है, ऐसी कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : चूंकि हमें पाकिस्तान को लकड़ी का निर्यात करना है तो क्या यह संभव नहीं कि लकड़ी चिनाब और जेहलम नदियों से पाकिस्तान लेजाकर वहां खरीदारों को बेच दी जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लकड़ी एक ऐसी वस्तु है जिसमें माननीय सदस्य को बहुत दिलचस्पी है। पिछली बार भी उन्होंने मेरा ध्यान लकड़ी की ओर दिलाया था।

पश्चिम जर्मन की फर्मों के साथ वस्तु-विनिमय

+

†*१३८८. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध-तैयार और तैयार भारतीय माल के बदले में तार, केबल, कंडक्टर्स आदि के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सयंत्र और उपकरण का आयात करने के लिये भारत और पश्चिम जर्मनी की फर्मों के बीच किन्हीं वस्तु विनिमय सौदों के बारे में बातचीत चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में इनमें से किसी बातचीत को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ग) इन सौदों के अन्तर्गत भारत में बनाया गया कितना माल (तार, केबल, आदि) का निर्यात करने का विचार किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सरकार को इस प्रकार की बातचीत की कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान पश्चिम जर्मनी से वस्तु विनिमय के सौदों के बारे में बम्बई के एक पत्र "दी इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रकार के बहुतेरे प्रस्ताव आते हैं और आये दिन इस तरह के दर्जनों सौदे होते हैं। यदि माननीय सदस्य वस्तु या फर्म का नाम बतायें तो मैं कुछ पता लगा सकता हूं। वस्तु या फर्म का नाम जाने बगैर पता लगाना बहुत कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : यह सौदा भारत में बनाये गये तार, केबल, कन्डक्टर आदि के बारे में है। ये चीज़ें पश्चिम जर्मनी भेजी जाती हैं जिनके बदले में हमें संयंत्र और मशीनरी उपलब्ध की जायेगी ।

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसे किसी सौदे की हमें जानकारी नहीं है। जैसा कि सदन को विदित है, सभी विदेशो प्रविधिक सहायता या करार इस सदन और केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से सम्पन्न होते हैं। इसलिये, जब कभी यह सौदा होगा तो उसे हमारी पूर्व अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। हमें अभी तो कोई जानकारी नहीं है ।

संसद् सदस्यों के लिये फ्लैट

***१३९०. श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के नार्थ एवेन्यू में संसद् सदस्यों के निवास के लिए पूरे फ्लैट्स इस लिये नहीं बन पाये हैं, क्योंकि उस भूमि के कुछ अंश पर अभी तक प्रतिरक्षा मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों ने कब्ज़ा जमा रखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तविक स्थिति तथा अब तक किये गये प्रयत्नों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) इस भूमि के कब तक खाली हो जाने और उस पर संसद्-सदस्यों के फ्लैट्स कब तक बन जाने की आशा की जाती है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय म उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

नार्थ ऐवेन्यू में जो भूमि का टुकड़ा संसद् सदस्यों के वास्ते फ्लैट बनाने के लिए सुरक्षित है, वह रक्षा मंत्रालय की सेना परिवहन कम्पनी (आर्मी ट्रांसपोर्ट कम्पनी) के कब्ज़े में चला आ रहा है। रक्षा मंत्रालय और निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय में यह बात तय हो गई थी कि रक्षा मंत्रालय सेना परिवहन कम्पनी के लिए छावनी क्षेत्र में नया वास-स्थान बना लेगा और नार्थ ऐवेन्यु मे जितना क्षेत्रफल खाली किया जाना है, उसके बराबर वास-स्थान के निर्माण के लिए निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय पैसा देगा ।

२. छावनी क्षेत्र में नये वास-स्थान का निर्माण सैन्य इंजीनियरी सेवा (मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस) द्वारा किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि नार्थ ऐवेन्यू वाली जगह जून १९६२ के अन्त तक खाली कर दी जायेगी ? परन्तु अब ऐसा संकेत किया गया है कि कई कारणों से वे उस जगह का कब्ज़ा सितम्बर १९६२ के मध्य तक नहीं दे पायेंगे। निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री ने रक्षा मंत्री को लिखा है कि इस जगह को देर से देर जुलाई के पूर्वार्ध तक खाली करने और उसका कब्ज़ा दे देने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाये, जिससे उसके तुरन्त बाद केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग संसद् सदस्यों के लिए फ्लैटों का निर्माण शुरू कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, इस विवरण से मालूम होता है कि फौजी अधिकारी इस जगह को जून के अन्त तक खाली करने के वाले थे लेकिन अब सितम्बर तक इसे खाली करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस को खाली करने के लिए क्या और जोर डाला जाएगा, और इसमें कुल कितने फ्लैट बन सकेंगे।

†**श्री पू० शे० नास्कर :** हमने विवरण में बताया है कि निर्माण, आवास और संभरण मंत्री ने हाल ही में प्रतिरक्षा मंत्री को लिखा है कि निर्धारित तिथि तक जगह खाली कर दी जाये। वहां २० फ्लेट बनाये जायेंगे और उस जगह पर अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अस्पताल और चिकिसा कर्मचारियों के निवास की व्यवस्था की जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या मंत्री जी ने इस बात का पता लगाया है कि कुल ऐसे कितने संसद् सदस्य हैं जिनको प्रयत्न करने पर भी अभीतक न कोई फ्लैट, या बंगला या इसी तरह का कोई निवास ग्रह नहीं मिल पाया है तथा क्या कोई ऐसी स्कीम बनायी गयी है कि दो तीन चार या पांच साल के अन्दर सब संसद् सदस्यों के रहने की व्यवस्था की जा सके ?

†**श्री पू० शे०नास्कर :** इन २० फ्लैटों के अलावा ओल्ड मिल रोड पर एक क्लब होस्टेल बनाने का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

श्री भक्त दर्शन : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि कितने की आवश्यकता है और मंत्री महोदय कितने की पूर्ति करने वाले हैं। यह तो मालूम हो कि कितनी कमी है।

अध्यक्ष महोदय : गिनती तो आप के पास है। संभवत मंत्री महोदय बता सकते हैं कि अब भी कितने फ्लैटों की आवश्यकता है।

†**श्री पू० शे० नास्कर :** मैं पूरा ब्योरा तो नहीं दे सकता किन्तु क्लब तथा होस्टेल में मानीय सदस्यों के लिए कोई ८० कमरे होंगे।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** प्रश्न तो बिल्कुल भिन्न है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने क्लब और होस्टेल में बनाये जाने वाले कमरों की संख्या बताई जब कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि सदस्यों के लिए और कितने फ्लैट आवश्यक हैं।

†**श्री पू० शे० नास्कर :** सदस्यों की कुल संख्या ७४५ है। सदस्यों के लिए निवास के संग्रह में १३० बंगले और ४३६ फ्लैट हैं; वैस्टर्न कोर्ट मे ४४ और कान्स्टीट्यूशन हाउस में ३० कमरे हैं। इस प्रकार ६४० सदस्यों के रहने की व्यवस्था है। इसके अलावा मंत्रियों उप-मंत्रियों, अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष के लिए निवासस्थान हैं जिनकी संख्या ६७ है। ७४५ में से कुल निवास स्थान ७०७ हैं ? इस प्रकार ३८ निवास स्थान कम हैं। इनमें से ८ की व्यवस्था मिंटो रोड पर स्थित फ्लेटों में कर दी गई है। वास्तव में १७ सदस्यों को कान्स्टीट्यूशन हाउस और वेस्टर्न कोर्ट के अलावा अन्य होस्टलो में रहने की जगह मिल रही है ? हम माननीय सदस्यों के निवास की व्यवस्था के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ओल्ड मिल रोड पर एक होस्टेल और क्लब बनाने का प्रस्ताव है। इस होस्टेल में लगभग ८० कमरे होंगे जिनके साथ रसोई घर और गुसलखाना भी होगा। हमें उम्मीद है कि होस्टल बन जाने के बाद निवास को आवश्यकता पूरी हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजीं में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस होस्टेल के कब तक बन जाने की संभावना हैं; क्या उसके तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में बनाने की संभावना हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** नार्थ ऐवन्यू में १०५ फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है जिनने से ८० फ्लैट बन चुके हैं और २५ बनाये जाने हैं . . . . (**अन्तर्बाधा**) ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** श्रीमन, माननीय मंत्री हमारी बात की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इतना ही जानना चाहते हैं कि क्या यह होस्टल बनाने का प्रस्ताव तीसरी योजनावधि में कार्यान्वित कर लिया जायेगा ।

ञ **श्री पू० शे० नास्कर :** हमें उम्मीद तो है । प्रस्ताव विचाराधीन होने से मैं आश्वासन नहीं दे सकता । हम भी चाहते हैं कि होस्टल तीसरी योजना में बनकर तयार हो जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात बड़ी विचित्र प्रतीत होती है । किन्तु मैं पिछले ५ वर्षों से इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में पूछता'छ कर रहा हूं और अन्त में जब होस्टेल और क्लब के निर्माण का प्रस्ताव आया तो मंत्रालय ने उसे यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि अन्य प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं जिन्हें इस प्रस्ताव से ऊंची पूर्व बर्तिता दी जानी होगी ।

†**श्री पू० शे० नास्कर :** अब इस विषय को पूर्ववर्तित्त दी जा रही है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मंत्री महोदय ने संसद् सदस्यों की उपलब्ध निवास स्थानों की जानकारी दी । इसमें से कितने निवास स्थान हैं जो अन्य लोगों को --- जो सदस्य नहीं हैं--- प्राप्त हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** मुझे जानकारी नहीं है किन्तु मैं पता लगा कर बता सकता हूं ।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

†*१३६१. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और सभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने तथा गृह-कार्य मंत्री ने यह कहा था कि जून १६६० के बाद अनधिकृत रूप से बनाई गई झुग्गिया तथा झोंपड़ियां गिरा दी जायेंगी ;

(ख) क्या यह सच है कि निगम ने यह घोषणा की है कि इन निर्माणों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ; और

(ग) क्या अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध अब कोई कार्यवाही की जा रही है या नहीं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) दिल्ली के नगर निगम की ऐसी कोई घोषणा किये जाने की सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिल्ली में सरकारी और जनता की जमीनों पर अनधिकृत मकान आदि बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी है ।

†**श्री शिवचरण गुप्त** : जून १९६१ के बाद अनधिकृत रूप में कितने मकान बने हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हमारे पास ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री शिवचरण गुप्त** : क्या यह सच है कि कुछ समय पहिले यहां कहा गया था कि लगभग ११०० अनिधिकृत मकान गिराये गये हैं और केवल थोड़े गिराये जाने हैं ? दूसरी ओर, क्या यह सच है कि निगम अधिकारियों ने कहा है कि लगभग एक लाख अनधिकृत मकान, आदि हैं?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं ठीक से नहीं बता सकता कि सरकारी और जनता की जमीनों पर कितने अनधिकृत मकान आदि बनाये गये परन्तु पिछले महीनों में चार हजार से अधिक मकान आदि गिराये गये हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पिछले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि सरकार उनमें से २५,००० व्यक्तियों को आवास देने को तैयार है जो झुग्गियों झोंपड़ियों आदि में रहते हैं । ये कब बनाये जायेंगे ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : निर्माण, आवास और संभरण मंत्री ने मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए एक विस्तृत वक्तव्य दिया था और मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस का अध्ययन करने के लिए आकर्षित करता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : उस विस्तृत वक्तव्य को पढ़ने से मुझे संतोष नहीं हुआ और इसी कारण मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शायद उनके पास यह जानकारी नहीं है ।

राजनीतिक दलों को प्रसारण सुविधायें

†*१३९२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों, कार्यक्रमों तथा कार्यों के बारे में आकाशवाणी पर नियतकालिक अथवा नियमित प्रसारण करने के लिये समय देने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो मामला किस प्रक्रम पर है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) आकाशवाणी पर पार्टी प्रोपगण्डा की अनुमति न देने की सरकार की निरन्तर नीति रही है । फिर, ऐसी योजना बनाना भी कठिन है जो सभी राजनीतिक दलों को मान्य हो । पिछले सामान्य निर्वाचन से पहिले राजनीतिक दलों को प्रसारण करने की सुविधा देने की निर्वाचन आयोग की सीमित योजना भी आयोग को छोड़ देनी पड़ी क्योंकि राजनीतिक दलों में रेडियो समय का विभाजन करने के बारे में सहमति न थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच नहीं है कि आजकल संसार के अधिकतर लोकतन्त्र देशों में, जनतन्त्रवादी लोकतन्त्र को छोड़ कर, जहां केवल एक, आदि ही दल होता है वहां प्रश्न पैदा ही नहीं होता, और विशेषकर उन लोकतन्त्रवादी देशों में, जिनकी राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर हमने अपना संविधान बनाया है, राजनीतिक दलों को निर्वाचन काल में तो क्या अपितु सामान्य स्थिति में भी अपने कार्य के लिये रेडियो के काफी समय का प्रयोग करने की अनुमति है, और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन देशों का उदाहरण मानने का है ?

†**श्री शाम नाथ** : योरोप के देश में प्रत्येक देश की भिन्न व्यवस्था है और मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में कोई एकरूप नीति नहीं अपनाई जा रही है। फ्रांस, स्विटजरलैण्ड, जर्मनी, इटली या हालैण्ड जैसे देशों में लोकतन्त्रवादी सरकार है। फ्रांस में राजनीतिक दलों को अपने काय के लिये प्रसारण सुविधाओं का प्रयोग करने की अनुमति है। परन्तु स्विटरजरलैण्ड में यह बात इतनी नहीं है। और न ही पश्चिमी जर्मनी में ऐसा है।

†**श्री हरि विष्नु कामत** : आकाशवाणी पर सरकार का एकाधिकार कब तक बना रहेगा और उस प्रकार कांग्रेस दल का वक्ता बना रहेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह नीति सम्बन्धी बड़ा प्रश्न है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पन्द्रह वर्ष हो गये और अभी तक उन्होंने इस पर विचार नहीं किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। श्री हेम बरुआ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रख कर कि मन्त्रालय की रिपोर्ट में आकाशवाणी को सरकार को कार्यवाहो और नीतियों का प्रचार करने का एक साधन बताया गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की नीतियों और कार्यों का यह प्रचार सत्तारूढ़ दल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार नहीं है, और, यदि हां, तो राजनीतिक दलों को अलग रखने का क्या उद्देश्य है ?

†**श्री शाम नाथ** : अपने उत्तरदायित्व के भीतर मन्त्रीगण जो कार्यवाही करते हैं उसके बारे में कोई जानकारो या वार्ता दल का प्रोपगण्डा नहीं समझा जाता।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार राष्ट्रीय एकता के बारे में जहां वे कांग्रेस के साथ सहमत हैं, आवश्यक प्रसारण करने के लिये सारे राजनीतिक दलों को अनुमति देने को तैयार है ?

†**श्री शाम नाथ** : यह एक सुझाव है और इस पर विचार किया जायेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या निकट भविष्य में आकाशवाणी पर एकाधिकार समाप्त करने और उसे एक स्वायत्तशासी सरकारी निगम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ?

†**श्री शाम नाथ** : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

†**श्री हेडा** : क्या यह सच नहीं है कि योजना के अनेक पहलुओं पर अनेक गोष्ठियों और चर्चाओं में अनेक वक्ताओं को बुलाया जाता है और उस हालत में क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न दलों के सदस्यों को बुलाया जाता है ?

†**श्री शाम नाथ** : उन्हें बुलाया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तुलसी दास जादव** : अध्यक्ष महोदय, रेडियो के ऊपर जो पालिसी और प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है वह सरकार का प्रोग्राम होता है या कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम होता है ?

श्री शाम नाथ : वह सरकार का प्रोग्राम होता है ।

दिल्ली में होटल कर्मचारियों की हड़ताल

+

†*१३६३. { **श्री मोहसिन** :
श्री विशन चन्द्र सेठ :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के होटल कर्मचारियों ने इस कारण हड़ताल कर दी है कि जलपान गृहों के मालिकों ने श्रम न्यायाधिकरण का पंचाट लागू नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार हड़ताल खत्म कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) हां, कुछ होटलों और रेस्टोरेन्टों में ।

(ख) ६ जून, १९६२ को एक फैसला हो गया था और हड़ताल समाप्त कर दी गई थी ।

†**श्री मोहसिन** : होटल कर्मचारियों और मालिकों में हाल में करार किन शर्तों पर हुआ है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : अब करार हो गया है । एक तरह से वे सर्वोच्च न्यायालय के निश्चय की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री मोहसिन** : पंचाट तो पहिले भी थे । बाद में हड़ताल हो गई । वे एक दूसरे से सहमत हो गये हैं । शर्तें क्या थीं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : हड़ताल समाप्त कर दी गई है और उपदान का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय से निश्चित होगा । वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे । प्रश्न यह था कि बैरों को प्राप्त होने वाली बखशिश का ध्यान रखा जाये या नहीं । सर्वोच्च न्यायालय के सामने यही प्रश्न है और वे उनके निर्णय का पालन करेंगे । अन्यथा, करार हो गया है ।

सूत की कीमत

†*१३९४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूत की कीमत, विशेषतः दक्षिण भारत में प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ;

(ख) छः महीने पहले कीमत क्या थी ;

(ग) केरल में इस समय बाजार मूल्य क्या है ;

(घ) क्या खराब किस्म के सूत के सम्भरण के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(ङ) यदि हां, तो खराब किस्म के सूत का सम्भरण किये जाने के क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) क्या कुछ कारखाने बन्द कर दिये गये हैं और यदि हां, तो कितने; और

(छ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केरल में लाखों हथकरघे, हैं, क्या सरकार का विचार हथकरघा मजदूरों में सूत के वितरण के लिये उचित मूल्य वाली दूकानें खोलने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (छ) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११**]

†**श्री अ० क० गोपालन** : विवरण में उल्लेख है कि वहां स्वेच्छिक मूल्य नियन्त्रण की व्यवस्था है। वृद्धि होने के क्या कारण हैं ? कहा जाता है कि दिसम्बर १६६१ से मई १६६२ तक मूल्य में वृद्धि हुई थी ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने अनुबन्ध में यही कहा है । अन्तिम वृद्धियों का उल्लेख किया गया है । हथकरघे के कपड़े को अधिकाधिक सूत देने के लिये कपास का आयात करने, अतिरिक्त तकुए लगाने और मिलों में तीन पारी चलाने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : विवरण में उल्लेख है कि हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्य पर सूत देने एक सामान्य प्रश्न है जो केवल केरल को ही नहीं अपितु समूचे भारत को प्रभावित करता है और इस मामले की निरन्तर जांच होती है । इस "निरन्तर निरीक्षण" के अलावा सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि मूल्य स्थिर हो सकें और उनमें वृद्धि न हो ?

†**श्री मनुभाई शाह** : रूई की कताई के लिये हमने २० लाख तकुओं के लाइसेन्स दिये हैं और केरल को १,५०,००० तकुए देकर विशेष महत्व दिया गया है ।

†**श्री मे० क० कुमारन** : क्या यह सच है कि मद्रास को कृत्रिम रेशम के सूत का जो कोटा दिया गया है, उसमें हर तिमाही में कमी की जा रही है; यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : राज्यवार कोई कोटा नहीं । परन्तु कृत्रिम रेशम की उपलब्धि के अनुसार हथकरघा का कपड़ा वस्त्र आयुक्त द्वारा सीमित आधार पर बांटा जाता है । यह सच है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण और कृत्रिम रेशम उच्च प्राथमिकता की वस्तु न होने से, निरन्तर कटौती हो रही है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : माननीय मंत्री ने अभी कहा था कि अधिक तकुए लगा कर और मिलों में तीसरी पारी चालू कर के सूत अधिक मात्रा में देने के लिये कार्यवाही की जायेगी । तात्कालिक मांग को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : तीसरी पारी आरम्भ करने में कोई समय नहीं लगता । वास्तव में, अधिकतर मिलों में तीसरी पारी चल रही है क्योंकि मांग बहुत हैं । परन्तु उन को वास्तविक कठिनाई कपास की है । हम इन पारियों को चलाने के लिये भी कपास की अधिक मात्रा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री बड़े : क्या सरकार को इस बात का पता हैं कि बाज़ार में ऐसी हवा उड़ने से निर्यात पर नये टैक्सिज़ बढ़ने वाले है, उस की प्राइसिज़ बढ़ रही है ?

श्री मनुभाई शाह : जो टेक्सिज़ लगने थे, वे तो फिनांस मिनिस्टर साहब की स्पीच के अनुसार लग गये । बाज़ार में इस बारे में और बात कैसे आयेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अ० क० गोपालन** : सहकारी समितियों या सरकार की उचित मूल्य की दुकानों द्वारा इस सूत को देने में सरकार को क्या आपत्ति हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम सहकारी करघा क्षेत्र को और विक्रय सम्बन्धी सहकारी समितियों को अवश्य प्राथमिकता देते हैं । यदि माननीय सदस्य कोई ऐसी सहकारी समिति बता सकें जो यह काम करना चाहे, तो हम निश्चय ही उसे प्राथमिकता देंगे ।

समाचारपत्र के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

†१३६७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्र के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये एक सम्मिलित मजूरी बोर्ड बनाने का सरकार का प्रस्ताव त्याग दिया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ; और

(ग) क्या दो मजूरी बोर्डों का गठन किया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** (क) सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) केवल श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अगर सरकार दूसरे समाचारपत्र कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड कायम नहीं करना चाहती तो काम करने की दशाएं, मजूरी, आदि जैसी उन की मांगों पर विचार करने के लिये कौनसी प्रणाली स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्**: अभी फिलहाल तो केवल श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड बनाने के बारे में विचार किया जा रहा हैं । दूसरे कर्मचारी न्यूनतम मजूरी अधिनियम जैसे कानूनों के अन्तर्गत आ जाते है । अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में इस बीच अंतिम निश्चय कर लिया गया है और क्या श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक परामर्श हुआ है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के मामले पर विचार किया जा रहा है और हम ने संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की हैं ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, कब तक आशा की जाती है कि श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में दूसरा बोर्ड नियुक्त कर दिया जायगा ?

श्री हाथी : मैं निश्चित समय नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है कुछ महीनों बाद ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : सरकार को इस में क्या विशिष्ट आपत्ति है कि वह श्रमजीवी पत्रकारों को छोड़ कर दूसरे समाचारपत्र कर्मचारियों की मजूरी और काम करने की दशाओं पर विचार करने के लिये इस विशिष्ट मजूरी बोर्ड से कहे ?

†श्री हाथी : यह मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का प्रश्न संविहित उपबन्ध के अन्तर्गत आता है। धारा ८ के अधीन सरकार को इसे नियुक्त करना है। दूसरा असंविहित मजूरी बोर्ड होगा। इसलिये दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। छापेखाने के कार्यकर्ता और अन्य लोग न्यूनतम मजूरी अधिनियम तथा दूसरे अधिनियमों द्वारा प्रशासित होते हैं।

तिब्बत के साथ व्यापार

†*१३९८. श्री प्र० के० देव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सरजू पाण्डय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१ की तुलना में १९६२ की पहली तिमाही में भारत और तिब्बत के बीच व्यापार वस्तुतः बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह वृद्धि व्यापार पर पहले लगाये गये प्रतिबन्धों में कुछ छूट देने के फलस्वरूप हुई थी ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। १९६१ की पहली तिमाही में व्यापार के मूल्य की तुलना में १९६२ की पहली तिमाही में भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का कुल मूल्य बढ़ गया था।

(ख) इस व्यापार पर पहले लगाये गये प्रतिबन्धों की किसी ढिलाई के कारण ऐसा नहीं हुआ। निर्यात में वृद्धि मुख्यतः इस कारण हुई कि दोनों ओर के व्यापारी इस बात के लिये आतुर थे कि भारत और चीन के तिब्बती प्रदेश में व्यापार और विनिमय संबंधी १९५४ का करार २ जून, १९६२ को समाप्त होने से पहले यथासंभव अधिक से अधिक लेनदेन पूरे कर लिये जायें।

†श्री प्र० के० देव : अभी एक दिन पहले इसी विषय पर एक प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री ने बताया था कि जो भारतीय व्यापारी तिब्बत में अपना व्यापार समेट रहे हैं उन के परिसम्पदों के हस्तान्तरण के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में इस बीच क्या कदम उठाये गये हैं ?

†श्री दिनेश सिंह : उन के सभी परिसम्पद् समेटे जा रहे हैं और इस बात के लिये व्यवस्था की जा रही है कि चीन सरकार उन्हें अपने परिसम्पद् भारत में लाने के लिये अनुमति दे।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि यह व्यापार करार वापिस ले लिये जाने के कारण भारतीय व्यापारियों को काफी समय से न बिका हुआ अपना सामान घाटे पर भी बेच देना पड़ा ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे मालूम नहीं, ऐसा हो सकता है। जब हमें एकाएक बेचना पड़ता है, तो घाटे का खतरा होता ही है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि अभी हाल के महीनों में तिब्बत स्थित चीनी अधिकारियों ने न केवल तिब्बतियों को बल्कि नेपालियों को भी यह चेतावनी दी है कि वे भारतीयों के साथ कोई व्यापार न करें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या इस व्यापार में तिब्बत से ऊन और पश्मीना भारत में आया था?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : जी हां हम ऊन और पश्मीना आयात किया करते थे ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले वक्तव्य देते हुए यह बताया था कि हम ने चीन सरकार से यह कहा है कि गतांक स्थित हमारे वाणिज्य-दूत, ट्रेड एजेंट, को कुछ दिनों के लिये पश्चिमी तिब्बत में जाने की इजाजत दी जाये, ताकि वह वहां से सामान और रिकार्ड्ज़ को लाने की व्यवस्था कर सकें । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीन सरकार ने उन की पेशकश को स्वीकार कर लिया है ।

श्री दिनेश सिंह : इस बारे में अभी चीन सरकार से बातचीत चल रही है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : तिब्बत के साथ व्यापार बन्द हो जाने के कारण जिन भारतीय व्यापारियों को नुकसान हुआ है क्या उन्हें कोई सहायता देने का सरकार का विचार है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं । मैं समझता हूं कि उन्हें पहले बहुत फायदा हुआ है ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या हमारे व्यापार दूतावास बंद हो जाने के कारण भारतीय कर्मचारियों को अपनी तिब्बती पत्नियों को यहां लाने में कठिनाई हो रही ह ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वे भारतीय पदाधिकारी नहीं बल्कि स्थानीय तिब्बती लोग हैं जो हमारी नौकरी करते हैं । पत्नियों के संबंध में अवश्य कुछ कठिनाई है ।

भारत के विरुद्ध न्यू चाइना न्यूज एजेंसी के आरोप

+

†*१३६६. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू चीन न्यूज एजेन्सी ने भारत में १८ मई, १९६२ को तिब्बत के इलाके मे नई उत्तेजक कार्यवाही करने का आरोप लगाया है ;

(ख) क्या भारत के पड़ोसी देशों में इन आरोपों का अधिक प्रचार किया जा रहा हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे आरोपों का प्रभाव समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां । चीनी न्यूज एजेन्सी ने यह कहा था कि "१८ मई, १६६२ को भारतीय फौज लंगजू में घुस आई और अवैध कार्यवाहियां करने के बाद वहां से चली गई" इस तरह के निराधार आरोप चीन सरकार के हाल के पत्रों में बार बार दोहराये जा रहे है । उदाहरणार्थ, दिनांक १६ मई, १६६२ के चीन सरकार के नोट में इसी तरह के आरोप हैं । उस तारीख को चीनी नोट और उस पर हमारा उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ के उत्तर में ६ जून, १६६२ को सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन निराधार चीनी आरोपों के बारे में भारत सरकार के उत्तरों का यथासंभव प्रचार विदेशों में हमारे दूतावासों के जरिये किया जा रहा है । हमारे उत्तरों में बताई गई साक्ष्य से इन निराधार आरोपों का खंडन हो जाता है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इन असत्य और निराधार आरोपों के क्रम के पीछे चीन का यह उद्देश्य है कि भारत को उसके पड़ोसियों से अलग कर दिया जाय और वह इसमें कहां तक सफल हो पाया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इसका उत्तर वह दे चुकी हैं । वह सिर्फ प्रश्न को दोहरा रहे हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या चीन सरकार ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि वह तिब्बती शरणार्थियों को चीनीयों के विरुद्ध विध्वंसात्मक कार्यवाही करने के लिये प्रोत्साहित कर रहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उन्होंने ऐसे आरोप लगाये हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह केवल प्रचार मात्र है या सरकार इन आरोपों के पीछे कोई उद्देश्य योजना या कुचक्र पाती है और क्या ऐसी कोई बात तो नहीं है कि भारत पर आक्रमण का आरोप लगाकर अपने किसी कुचक्र को ढंकने के लिये कोई आवरण निर्माण किया जा रहा हो ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चीन के साथ हमारे संबंधों के बारे में, काफी समय से यह आरोप और प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं । मैं यह समझूंगा कि इन आरोपों और प्रयत्यारोपों के एक हिस्से के तौर पर ये बातें कही जा रही हैं । इसमें और कोई चाल है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : एशियाई देशों में चीनी प्रचार का प्रभाव दूर करने के उद्देश्य से, प्रति सप्ताह कितने घंटे और किन किन भाषाओं में, वैदेशिक कार्य मंत्रालय के, अधीन आकाशवाणी के विदेशी प्रचार सेवाओं ने इन दक्षिण पूर्वी और पश्चिम एशियाई देशों में प्रसारण किये हैं या उनकी व्यवस्था की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : एकाएक इस तरह की चीज पूछने पर मैं यह नहीं बता सकूंगा कि प्रति सप्ताह कितने घंटे प्रसारण किया गया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या कोई प्रसारण किये भी गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उत्तर देने से पहले हमें आकाशवाणी आदि से पूछताछ करनी पड़ेगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आकाशवाणी का विदेशी सेवा विभाग विदेशी कार्यालय मंत्रालय के अधीन है । इसी लिये मैने यह प्रश्न पूछा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि दुनिया की मुसीबत हमारे सिर पर आ रही है यदि हां तो क्या प्रधान मंत्री को उत्तर से किसी आक्रमण या हिंसात्मक कार्यवाही की आशंका है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक सोच पाता हूं मेरी राय में ऐसी कोई संभावना नहीं है।

†श्री त्यागी : क्या प्रधान मंत्री को मालूम है कि आकाशवाणी के चीनी अनुभाग में प्रसारण सामान्यतया अनेक चीनियों के एक अनुभाग को सौंप दिया जाता है ? क्या वर्तमान चीन सरकार के प्रति उनकी वफादारी को ध्यान में रखा गया है और क्या इस बात का अंदाजा लगा लिया गया है कि प्रसारण से पहले वे वास्तव में भारत के प्रति वफादार हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि जो लोग वहां रखे जाते हैं उनकी वफादारी के बारे में जानकारी मालूम करने के लिये कुछ कदम उठाये गये हैं।

पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों से मुठभेड़

+

*१४००. { श्री भक्त दर्शन :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों और सुरक्षा-दलों की मुठभेड़ हाल में बढ़ गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि २२ मई को पंजाब की भारत-पाक सीमा पर इस प्रकार की एक मुठभेड़ में दो पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी मारे गये, परन्तु चार भाग गये ; और

(ग) यदि हां, तो तस्कर व्यापार को समाप्त करने और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय म उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पिछले वर्ष के पहले चार महीनों में इस प्रकार की जो मुठभेड़ें हुई थीं, उनकी संख्या के मुकाबिले में १९६२ के पहले चार महीनों की मुठभेड़ों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई।

(ख) जी हां।

(ग) सीमा की सुरक्षा सेनायें सीमा का उल्लंघन और तस्कर व्यापार रोकने के लिये हमेशा तैयार रहती हैं।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री भक्त दर्शन : खड़े हुये।

†अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी ओर देख रहा था लेकिन वह खड़े नहीं हुये।

श्री भक्त दर्शन : मैं इस लिये रुक गया था कि कायदा यह है कि अंग्रेजी में भी उत्तर को दुबारा पढ़ा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : इसमें मेरा क्या कसूर है ? जब आप खड़े नहीं हुये तो मैंने दूसरा बुला लिया। अगला प्रश्न । अगर वे खड़े न हों, तो मैं क्या करूं ?

चीन-भारत सीमा विवाद का तय होना

+

†*१४०१ **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्र० के० देव :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा विवाद को तय करने के लिये चीन को भेजे गये नवीनतम प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ;

(ख) यदि चीन ने इसको स्वीकार कर लिया तो क्या भारत को दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक इलाका छोड़ना पड़ेगा ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप 'अराजक भूमि" का कितना क्षेत्र होगा ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) हमने १४ मई, १९६२ के अपने नोट में प्रधान मंत्री चाउ० एन० लाई के नाम प्रधान मंत्री के १६ नवम्बर, १९५९ के पत्र में उल्लिखित प्रस्ताव को दोहराया है। उसमें एक अंतरिम उपाय के तौर पर, ताकि तनाव कम हो जाय और होने वाले झगड़ों को रोका जा सके, यह सुझाव रखा गया था कि लद्दाख प्रदेश में भारत सरकार अपने आदमियों को १९५६ के चीनी नक्शे में दिखाई गयी रेखा से पश्चिम की ओर हटा ले और चीन सरकार भारतीय राजकीय नक्शों में दिखायी गयी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से पूर्व की ओर अपने कर्मचारियों को वापस बुला ले । यह वापसी न केवल सशस्त्र बल्कि शस्त्रहीन और प्रशासनिक कर्मचारियों पर लागू होगा और दोनों पक्षों के दावों की सीमाओं के बीच के सम्पूर्ण क्षेत्र पर किसी का भी कब्जा न हो ।

उसी नोट में हमने सीमा विषयक प्रश्न के बारे शांतिपूर्ण हल के लिये, चीनी असैनिक यातायात द्वारा अक्साई चिन सड़क के निरन्तर उपयोग के लिये, जब तक कि बातचीत पूरी नहीं हुई है, अनुमति देने की इच्छा व्यक्त की है ।

संबद्ध पत्रव्यवहार की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं ।[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी---१८८/६२**]

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अभी हाल में रखा गया प्रस्ताव सरकार के पहले के इस प्रस्ताव से, जिस पर वह पिछले कई महीनों से अटल रही कि चीनियों के साथ तब तक कोई बात चीत नहीं हो सकती जब तक कि वह पूरी तौर से पीछे न हट जाये, किस तरह मेल खाता है, या सरकार की नीति अब यह है कि वह केवल सांकेतिक रूप से वापसी चाहती है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जो कुछ कहा गया है उसके यह न केवल बिल्कुल अनुरूप है बल्कि हमेश यही नीति अपनायी गयी है। यदि माननीय सदस्य कुछ और सोचते हैं तो उन्होंने किसी वक्तव्य को गलत समझा है। यह प्रस्ताव

---

†मूल अंग्रेजी में

नवम्बर, १९५९ में रखा गया था और जो कि हमने उसे कई बार दोहराया नहीं है, फिर भी सामान्य वक्तव्य उनके अनुसार ही हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार, चीन सरकार को वास्तव में हमारा प्रदेश खाली करना होगा। अन्तर केवल इतना है कि फिलहाल वह क्षेत्र हमारे कब्जे में नहीं है और इस लिये उनके खाली करने के बाद बातचीत की स्थिति उत्पन्न होती है। हमने यही बात कही है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** ११,३०० वर्ग मील जितनी बड़ी अराजक भूमि के सम्बन्ध में, क्या भारत उस क्षेत्र पर किसी प्रकार का अधिकार या क्षेत्राधिकार लागू करेगी या उसे पूरी तरह छोड़ देगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह प्रस्ताव थोड़ी अवाध के लिये है जब तक कि इन मामलों के बारे में बात चीत होती है। कल्पना यह है कि इस अवधि में कोई भी देश वहां सैनिक के अतिरिक्त कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं लागू करेगा।

†**श्री हेम बरुआ :** इस तथ्य को देखते हुये कि चीनी आरोप बढ़ते जा रहे हैं और चीन ने रक्तपात आदि की धमकी दी है और भारत सरकार पर युद्धतत्पर देशप्रेम का आरोप लगाया है, क्या कोई बड़ी कार्रवाई करने का सरकार का विचार है जिसका मतलब युद्ध नहीं बल्कि चीन के साथ राजनयिक संबंद्ध तोड़ देना है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि चीन ने हम पर जो आरोप लगाये हैं हम उन्हें सच करके दिखायें।

†**श्री हेम बरुआ :** जी नहीं। मेरा आशय यह नहीं है। चीन ने ये आरोप लगाये हैं और अभी हाल, जैसा कि नोट से दिखलाई पड़ता है, उन आरोपों की तेज़ी बढ़ गयी है। उन आरोपों को देखते हुये सरकार का क्या करने का विचार है ? केवल नोट भेजने का ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जहां तक मैं समझता हूं वह यह चाहते हैं हम ऐसी कोई कार्यवाही करें जिससे उनने आरोप सच्चे साबित हों।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जब हम पीछे हटेंगे भी और चीनी भी पीछे हट जायेंगे तब बातचीत सरकारी स्तर होगी या केवल मंत्रियों के स्तर पर होगी ? मैं जानना चाहता हूं कि वह बातचीत किस ढंग की होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह मामला वह सवाल पैदा होने पर तय किया जायेगा। यदि ऐसा होता है और बातचीत के लिये रास्ता खुल जाता है तो वह बातचीत पहले सरकारी स्तर पर हो और बाद में मंत्रियों के स्तर पर हो या सीधे मंत्रियों के स्तर पर ही हो इसका फैसला आसानी से किया जा सकता है।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या अराजक भूमि का यह निर्माण वास्तव में भारतीय प्रदेश के समर्पण के बराबर नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य से मेरा सुझाव है कि पत्रों को पढ़ने के बाद वे कोई निष्कर्ष निकालें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान प्रणाली

†*१३७५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस समय विद्यमान मतदान प्रणाली में कोई सुधार करने में दिलचस्पी ली है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या दिलचस्पी ली है ;

(ग) क्या जन संख्या और राष्ट्रीय सम्पत्ति पर आधारित मतदान का कोई सूत्र खोज निकालने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई सिफारिशें की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं और उन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चाय बागानों के विदेशी मालिक

†*१३७८. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम तथा दक्षिण भारत में स्थित चाय बागानों के विदेशी मालिक भारतीय कर्मचारियों को भर्ती करने में अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह बात सरकार और विदेशी मालिकों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है; और

(ग) सरकार इस स्थिति में सुधार के लिये कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय म उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) भारत सरकार के ध्यान में यह बात आयीं है कि असम तथा दक्षिण भारत में स्थित चाय बागानों के विदेशी मालिक भारतीय कर्मचारियों को भर्ती करने में अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

गोआ

†१३७९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलिटरी गवर्नर ने गोआ की मुक्ति के बाद सालाजार शासन की दिनाँक ११ अप्रैल, १९३३ की आज्ञप्ति (डिक्री) नं० २२४६९ को पुनः लागू किया है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या यह आज्ञप्ति अब भी जारी है;

(ग) क्या यह आज्ञप्ति भारत के संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों के विपरीत है; और

(घ) क्या इस आज्ञप्ति को तथा ऐसे अन्य पुर्तगाली कानूनों को शीघ्र रद्द करने का इरादा है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) से (ग) गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, १९६२ के अधीन स्वाधीनता से पहले उत्तर प्रदेश में लागू सभी कानून अभी भी लागू हैं बशर्ते कि वे संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध न हों। मिलिटरी गवर्नर ने यह आज्ञप्ति पुनः लागू नहीं की बल्कि गोआ के हिस्से में जुलूस निकालने की कुछ शर्तें निर्धारित करते हुए गोआ दमन और दीव (प्रशासन) कठिनाइयों का निवारण आदेश १९६२ के अधीन, ३१ मार्च, १९६२ को एक आदेश जारी किया। यह आदेश संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध नहीं है।

(घ) भारत सरकार कुछ पुर्तगाली कानूनों को रद्द करने या उन में परिवर्तन करने और भारत के अन्य भागों में अभिनियमों को गोआ, दमन और दीव मे लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

चीन के प्रचार प्रसारण

†*१३८०. **श्री क० ना० तिवारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अन्य एशियाई देशों के लिये किये जाने वाले चीन के प्रचार प्रसारणों की अभी हाल में कोई छानबीन की गयी है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या नवीनतम स्थिति को देखते हुए आकाशवाणी के चीनी प्रसारणों में कोई परिवर्तन किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, हाँ।

(ख) आकाशवाणी से प्रत्युत्तर में कोई प्रसारण नहीं किये जाते लेकिन चीन के संबंध में सीमा समस्याओं और उन से संबद्ध विषयों पर भारत सरकार द्वारा जो भी वक्तव्य जारी किये जाते हैं उन का ध्यान समाचार बुलेटिनों और रेडियो आलोचनाओं में रखा जाता है। इस हद तक आकाशवाणी भारत में तथा विदेशों में अपने श्रोताओं की स्थिति को ठीक ठीक दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न करना है ।

तीसरी योजना के दौरान मद्रास में उद्योग

†*१३८१. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के लिये उद्योग के क्षेत्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये मूल आवंटन में कोई फेरबदल किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं;

(ग) "उद्योग" शीर्षक के अधीन मद्रास के लिये तीसरी योजना के अन्तर्गत मूल आवंटन कितना था;

(घ) क्या किसी अतिरिक्त रकम की व्यवस्था की गयी है;

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि हाँ, तो वह रकम कितनी है; और

(च) यदि नहीं, ती तीसरी योजना में अन्तिम रूप से निर्धारित रकम बढ़ाये बिना ये परिवर्तन किस प्रकार किये गये हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) २४.२६ करोड़ रुपया ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अहमदाबाद में कपड़ा मिलें

†*१३८५. **श्री याज्ञिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कपड़ा उद्योग को ऊंचे किस्म की रूई और कोयला आवश्यक मात्रा में देने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(ख) चालू वर्ष में अहमदाबाद की कपड़ा मिलें इन चीजों की कमी के कारण बन्द न हो जायें इस के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

चालू वर्ष में उद्योग की रूई संबंधी आवश्यकता पूरा करने के लिये सरकार ने लगभग १० लाख गाँठ विदेशी रूई आयात करने की व्यवस्था की है तथा और अधिक रूई आयात करने का प्रयत्न कर रही है। कपड़ा मिलों को भारतीय रूई की उपलब्ध सप्लाई का बराबर बराबर विवरण निश्चित करने के लिये उपयुक्त संविहित कार्यवाही की गयी है ।

कोयला—कोयले की पर्याप्त सप्लाई के लिये प्रयत्न किये गये हैं । जब कभी कम सप्लाई की शिकायतें आती हैं तब कोयला पहुंचाने में तेजी करने के लिये सभी संभव कदम उठाये जाते हैं ।

रूई या कोयले की कमी के कारण अहमदाबाद में मिलों के बन्द पड़ने की निकट भविष्य में कोई आशंका नहीं है ।

ठेकेदारों के मजदूरों के लिये भविष्य निधि

†*१३८७. { **श्री वारियर :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड तथा अन्य बनाम भारत संघ" के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा १४ मार्च, १९६२ को दिये गये निर्णय को दृष्टि में रख कर ठेकेदारों के नीचे

†मूल अंग्रेजी में

काम करने वाले मजदूरों पर भी भविष्य निधि अधिनियमों के लाभों को लागू करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस का स्वरूप क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) जी हाँ ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ तथा उस के अधीन बनायी गयी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में उपयुक्त संशोधन करने का विचार है ।

पांडीचेरी में कालेज

†*१३८९. { **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री प्रभात कार :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाँडिचेरी का फ्रेंच कालेज अभी भी फ्रांस सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** :(क) जी हाँ । भारत में फ्रांसीसी प्रशासन भारत सरकार को सौंपने के बारे में भारत सरकार और फ्रांस के बीच हुए करार के अनुच्छेद २५ के अनुसार पाँडिचेरी में स्थित फ्रासीसी सरकार के अधिकार में ही रहेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

नेपाली मिलिटरी पुलिस का भारतीय गांव में प्रवेश

†*१३९५. { **श्री प्रिय गुप्त** :
श्री योगेन्द्र झा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जीप में कुछ नेपाली मिलिटरी पुलिस के सिपाही मई, १९६२ के अन्तिम सप्ताह में बिहार के चम्पारन जिले के अदापुर थाने के गाँव में घुस आये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन नेपाली मिलिटरी पुलिस के सिपाहियों ने गाँव वासियों की हत्या करने की धमकी दी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इन नेपाली मिलिटरी पुलिस के सपाहियों से गाँव वासियों को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह)**:(क)मई, २१—२७, में १९६२ के सप्ताह में ऐसी कोई घटना नहीं हुई । प्रश्न में उल्लिखित घटना से मिलती जुलती एक घटना १२ मई, १९६२ को जिला चम्पारन में, पुलिस चौकी अदापुर के हल्के में हुई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जब जोधा राऊन नामक एक भारतीय ग्रामीण ने नेपाली पुलिस की बात सुनने की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, तब एक नेपाली पुलिस कर्मचारी ने उसे धमकी दी।

(ग) नेपाली पुलिस पार्टियों द्वारा भारतीय प्रदेश का उल्लंघन बंद करने के लिये सामान्य राजनयिक साधनों के जरिये नेपाल सरकार से प्रार्थना की गयी है।

ऊन उद्योग

†*१३९६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने ऊन उद्योगों को मिल तथा हाथ से निर्माण के लिये किस सीमा तक आयात किये गये ऊन पर निर्भर रहना पड़ता है ;

(ख) भारत को इस संबंध में आत्म निर्भर बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) क्या यह सच है कि मिल उद्योग की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ?

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२]

हस्तशिल्प उद्योग

†*१४०२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ऋण संस्थाओं की मार्फत हस्तशिल्प उद्योगों को भी ऋण दिये जाने की सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी हां। भारत का राज्य बैंक, वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंक आदि जैसी ऋणदाता संस्थाओं से पैमाने के उद्योगों के लिए अब उपलब्ध ऋण सुविधाएं हथकरघा उद्योगों को भी दी गयी हैं।

दार्जिलिंग में तिब्बती शरणार्थियों का आना

†*१४०३. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही दार्जिलिंग में बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी घुस आये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सलाह मांगी है कि निकट भविष्य में शरणार्थियों के भारी संख्या में आने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्थिति को कैसे सम्हाला जाये; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पूर्व पाकिस्तान के आप्रव्रजकों का पुनर्वास

†*१४०५. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व पाकिस्तान में हिंसात्मक साम्प्रदायिक झगड़ों के बाद पश्चिम बंगाल में हाल के आये हुए शरणार्थियों की सहायता अथवा पुनर्वास की कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार कर रही है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान ४ जून, १९६२ को निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर मन्त्री महोदय के भाषण के दौरान इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है। मुझे उससे अधिक कुछ नहीं कहना है । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि स्थिति पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है और सरकार इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

पालना कोयला क्षेत्र में कल्याण केन्द्र

†२८७०. **श्री कर्णीसिह जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पालना कोयला क्षेत्र (राजस्थान) में कल्याण केन्द्र के लिये एक इमारत बनाने की योजना की मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) यदि हां तो कल्याण संघठन ने इस योजना को कार्यरूप में परिणित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी) :(क) और (ख) नहीं, किन्तु इस काम के लिये पालाना ग्राम पंचायत से उपयुक्त स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) ११,१०० रुपये।

उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग

†२८७१. **श्री सरजू पाण्डेय:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना अवधि में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के विशेष लाभ

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये खादी तथा ग्रामउद्योग आयोग के अधीन उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजनाएं

†२८७२. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१–६२ में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर)** ५३.२५४ लाख रुपये ।

उत्तर प्रदेश में विद्युत् चालित करघे

†२८७३. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विद्युत् चालित करघों की संख्या कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह):** सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हौजरी उद्योग

†२८७४. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि उन होजरी निर्माताओं को जिन्होंने १९५८ के पश्चात् कार्य आरम्भ किया था, ऊनी धागे का अभ्यंश लेने का हक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन वास्तविक उपभोक्ताओं में बड़ा असन्तोष है, जिन्होंने १९५८ के पश्चात् होजरी व्यापार आरम्भ किया; और

(ग) सरकार उन वास्तविक उपभोक्ताओं को ऊनी धागों का अभ्यंश देने के लिये समान बनाने का विचार करती है, जो १९५८ से पहले था बाद हौजरी निर्माण कार्य में लगे हुए थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हौजरी उद्योग संघ, लुधियान द्वारा चलाई जाने वाली हौजरी धागा वितरण की योजना के अन्तर्गत, उपलब्ध धागा इकाइयों को अप्रैल १९५६ से मार्च १९५९ तक की अवधि में उनकी औसत वार्षिक खपत के अनुपात में आवंटित किया जाता है ।

(ख) जिन इकाइयों को धागे का आवंटन नहीं दिया जाता उनकी ओर से, विशेष मामले के रूप में धागा दिये जाने के लिये, कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) ऊनी उद्योग की विकास परिषद् ने ऊनी धागों के वितरण की देख रेख करने के लिये एक विकास समिति नियुक्त की है । समिति के सुझावों का परीक्षण किया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली

†२८७५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के रोजगार दफ्तरों की सूची में एम० ए० बी० टी, और साहित्य रत्न की योजना वाली कितनी महिलाओं के नाम हैं, जो दिल्ली प्रशासन में भाषा अध्यापिकाओं या अन्य रूप में अध्यापन के लिये नौकरी चाहती है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी) :**

एम० ए० (हिन्दी), बी० टी० और साहित्यरत्न	५
एम० ए० (संस्कृत), बी० टी० और साहित्य रत्न	१
कुल	६

अलौह स्क्रैप की बिक्री

†२८७६. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्भरण तथा निपटान के महानिदेशक को, टेंडर मंगवाकर कटनी, अम्बेरनाथ, ईशापुर में अलौह स्क्रैप को बेचने की अनुमति है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) सम्भरण तथा निपटान के महानिदेशक को उक्त अलौह स्क्रैप का निपटान करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि कटनी, अम्बेरनाथ और ईशापुर की आयुध फैक्टरियों ने अभी इस माल का कोई फालतू अंश घोषित नहीं किया ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

महाराष्ट्र राज्य के लिये तांबा और जस्ता

†२८७७. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९६० से मार्च १९६१, और अप्रैल, १९६१ से दिसम्बर, १९६१, और अक्तूबर १९६१ से मार्च १९६२ तक की अवधि के लिये महाराष्ट्र राज्य को कितना तांबा और जस्ता आवंटित किया गया था ; और

(ख) महाराष्ट्र राज्य की सरकार द्वारा विदर्भ और महाराष्ट्र के अविकसित क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों को कितना माल बांटा गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) नियतन इस प्रकार किया गया है ।

(मीट्रिक टनों में)

अवधि	तांबा	जस्ता
अक्तूबर १९६० से मार्च १९६१ . .	१५००	१०२०
अप्रैल से सितम्बर १९६१ . . .	१६००	१४५०
अक्तूबर ६१ से मार्च ६२ . . .	१५९८	१४५०

(ख) सरकार को इस मामले में जानकारी नहीं। राज्य सरकारों को इकट्ठा आवंटन कर दिया जाता है और वे विविध क्षेत्रों में इकाइयों के लिये नियतन करते हैं।

घड़ियों का निर्माण

†२८७८. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि कुछ गैर-सरकारी फ़र्मों को घड़ियों के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन फर्मों को ;

(ग) क्या इन फर्मों में कोई विदेशी पूंजी लगी हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री काननगो) :** (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बड़े पैमाने का उद्योग क्षेत्र :

गैर-सरकारी क्षेत्र में घड़ियों के निर्माण के लिये मैसर्स इण्डो-फ्रैंच टाइम इंडस्ट्रीज़ लि०, बम्बई और मैसर्स आसिक टाइम इंडस्ट्रीज़ (प्रा०) लि०, बम्बई नामक दो फर्मों की योजनाएं अन्तिम रूप से मंजूर कर ली गई हैं। इन दो योजनाओं के अधीन पूंजी में विदेशी और भारतीय सहयोग का अनुपात ५० : ५० रखा गया हैं।

इन दो योजनाओं के अलावा, दो अन्य योजनाएं—मैसर्स हिन्दुस्तान इक्विपमेंट सप्लायर्स लि०, बम्बई और मैसर्स जे० के० आर्गेनाइज़ेशन, कानपुर की—घड़ियों के निर्माण के लिये अस्थायी रूप से स्वीकार कर ली गई हैं। इन फर्मों ने अभी विदेशी सहयोग की शर्तों के बारे में अपनी अन्तिम प्रस्थापनाएं प्रस्तुत नहीं की है।

†मूल अंग्रेजी में

छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में घड़ियों के निर्माण के लिये निम्नलिखित सात फर्मों की योजनाएं मंजूर की है :—

(१) मैसर्स एलिना इन्डस्ट्रीज, लुधियाना ।
(२) मैसर्स जैबको इन्डस्ट्रीज, लुधियाना ।
(३) मैसर्स गिरनार इंजीनियरिंग वर्क्स, लुधियाना
(४) मैसर्स कुलदीप इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, चंडीगढ़।
(५) मैसर्स भारतीय इंडस्ट्रीज, सोलन, हिमाचल प्रदेश ।
(६) मैसर्स नवीन भारतीय इंडस्ट्रीज, दिल्ली
(७) मैसर्स इंडियन वाच एंटरप्राइजेज, बम्बई।

इन में से किसी योजना में विदेशी पूंजी लगाये जाने की व्यवस्था नहीं हैं ।

गन्धक का उत्पादन

२८७९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में गंधक के उत्पादन के लिये १९६१-६२ में कौन से कदम उठाये गये है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो) : प्रयोगशाला में किये गये सफल प्रारम्भिक परीक्षणों के आधार पर नार्वे के मैसर्स ओर्कला के कारखाने में अमझोर पाइराइट खनिज से गन्धक बनाने के लिये कुछ प्रयोगात्मक परीक्षण किये गये थे । ओर्कला से मिली सूचनाओं से प्रकट हुआ हैं कि भारतीय खनिज के लिये ओर्कला प्रणाली उपयुक्त सिद्ध होने के बारे में सन्देह हैं ।

इस लिये अमझोर पाइराइट से गन्धक बनाने के लिये कोई अन्य ऐसी प्रणाली खोजने के प्रयत्न किये जा रहे है जो व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त हो।।

अभ्रक की खानों में सीलीकोसिस

†२८८०. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव हैं कि अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि सलाहकार समिति तथा आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में अभ्रक खान क्षेत्र में मृत श्रमिकों के आश्रितों को तथा सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त श्रमिकों को १०० रुपये का इकट्ठा अनुदान और १५ रुपये मासिक अनुदान देती हैं, और

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार सिलिकोसिस के रोगियों की सहायता करने के लिये आवश्यक कार्रवाई करेगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री के० रा० पट्टाभिरामन)** (क) और (ख). सलाहकार समिति को, इस मामले की जांच करने की प्रार्थना की गई हैं । सिलिकोसिस के रोगियों की सहायता करने के लिये जो कार्रवाई पहले से की जा रही है, वे ६ जून, १९६२ को लोक सभा में तारांकित प्रश्न क्रमांक १३१० के उत्तर में बता दी गई है।

समुद्री नमक का निर्यात

†२८८१. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही हैं कि राजकीय व्यापार निगम समुद्री नमक का निर्यात कर रहा हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन देशों को;

(ग) अब तक कितना निर्यात किया गया हैं; और

(घ) उन्होंने कितनी विदेशी मुद्रा कमाई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) जी हां ।

(ख) समुद्री नमक का अधिकांश निर्यात जापान को होता है, और केवल थोड़ी मात्रा में कुछ अन्य पड़ोसी देशों को, जैसे मालदीव, सीलोन, केन्या, तंगान्यीका, पूर्वी पाकिस्तान और लंका को किया जाता हैं ।

(ग) ५,८३,०८३ मीट्रिक टन ।

(घ) १०७,८८,८७४ रुपये ।

ठेके के श्रमिक

†२८८२. **श्री काशीनाथ पांडे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो ने ठेके के श्रमिकों की शर्तो और समस्याओं की जांच पूरी कर ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस का प्रतिवेदन क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री च०रा०पट्टाभिरामन)** : (क) और (ख). श्रम ब्यूरो ने पांच उद्योगों/संस्थाओं में ठेके के श्रमिकों की शर्तों और समस्याओं सम्बन्धी जांच पूरी कर ली हैं, जहां ठेके के श्रमिकों की समस्या अत्यधिक है और उस की रिपोर्टें भारत श्रम राजपत्र/भारत श्रम पत्रिका के संस्करणों में इस प्रकार प्रकाशित कर दी है :

१. लोहा अयस्क खानें	जून, १९५८ संस्करण
२. पत्तन . . .	जनवरी, १९६० संस्करण
३. पेट्रोल शोधन कारखाने और तेल क्षेत्र	अगस्त, १९५९ संस्करण
४. रेलवे . .	मार्च, १९६० संस्करण
५. इमारत और निर्माण उद्योग . . .	नवम्बर, १९६१ संस्करण

इन रिपोर्टों में इन उद्योगों/संस्थानों में ठेके के श्रमिकों की मजूरी संरचना, रोजगार का स्वरूप और मात्रा, और श्रमिकों की काम करने तथा रहने की हालतों सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी दी गई हैं । ये प्रकाशन संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

कोदइकनाल म ऊंचाई पर प्रयोगशाला

†२८८३. **श्री उमानाथ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग के कार्य के सम्बन्ध में दक्षिण भारत में कोदइकनाल में एक उत्तुंग ब्रह्मांड रश्मि प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसे स्थापित करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये है; और

(ग) काम के कब शुरू तथा पूरा होने की सम्भावना है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हा, दक्षिण भारत में कोदइकनाल में एक उत्तुंग ब्रह्मांड रश्मि प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रयोगशाला के लिये एक उपयुक्त स्थान मद्रास सरकार की सलाह के साथ चुना जा रहा हैं ।

(ग) रिपोर्ट अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में हैं और इतनी जल्दी यह नहीं बताया जा सकता कि प्रयोगशाला का निर्माण कब तक आरम्भ या पूरा हो जायेगा ।

लालमटिया और हुर्रा कोयला खानें

†२८८४. **श्री मरंडी :**
श्री हु० च० सोय० :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में सन्थाल परगना जिला में लालमटिया और हुर्रा कोयला खानों मे कितने श्रमिक काम करते है;

(ख) उन को क्या मजदूरी दी जाती हैं और यदि कोई अन्य सुविधा भी दी जाती हैं तो क्या;

(ग) श्रम अधिकारी तथा क्षेत्र के निरीक्षक १९६१ में कितनी बार कोयला खानों को देखने के लिये गये हैं; और

(घ) उन के द्वारा किये गये निरीक्षण से क्या निष्कर्ष निकले और उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी बंगाल में बेकारी का सर्वेक्षण

†२८८५. **श्री कार्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल में बेकारी का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या निष्कर्ष निकला है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रममंत्री (श्री हाथी) : (क). केवल कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र में बेकारी का सर्वेक्षण पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा १९५९-६० में किया गया था ।

(ख) अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ।

त्रिपुरा का खादी बोर्ड

†२८८६. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा का खादी बोर्ड एक संविहित निकाय है या अर्धसंविहित निकाय;

†मूल अंग्रेजी में

(ख). क्या इस बोर्ड का सभापति त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त के द्वारा नामित किया गया हैं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा नामित है;

(ग). क्या सभापति को अपने कार्य काल में कोई वेतन या भत्ता मिलेगा;

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि प्रति मास मिलेगी और उसने वास्तव में कितनी राशि प्रति मास ली है; और

(ङ). भूतपूर्व सभापति ने वह राशि किस महीने तक प्राप्त की ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क). और (ख). खादी बोर्ड त्रिपुरा एक सलाहकार निकाय है, जिस का सभापति त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त के द्वारा नामित हैं ।

(ग) से (ङ). बोर्ड के सभापति को कोई वेतन या भत्ते नहीं दिये जाते । ३०० रुपये मासिक का मानदेय उस के लिये केवल १९५९-६० में मंजूर किया गया था और तदनुसार उसे १९५९-६० में ३०० रुपये मासिक दिये गये ।

मनीपुर में हथकरघा उत्पाद

†२८८७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रशासन के मनीपुर हथकरघा सामान के लिये इम्फाल में एक ऐम्पोरियम खोला है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने मूल्य का हथकरघा माल १९६०-६१ और १९६१-६२ में लिया गया और बेचा गया; और

(ग) ऐम्पोरियम का कार्य-संचालन किन नियमों के अधीन होता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: जी हाँ ।

(ख) ५०,००० रुपये का हथकरघा और हस्तकला का माल १९६०-६१ में लिया गया और २१,१३१ रुपये ९२ नये पैसे का माल बेचा गया । १९६१-६२ में ६७,००० रुपये की लागत का हस्तकला और हथकरघा का माल लिया गया और ४४,८४६ रुपये ७३ नये पैसे का माल बेचा गया ।

(ग) उद्योगों (ऐम्पोरियम) की राजकीय सहायता नियम, १९६०

मनीपुर के हथकरघा उत्पादों के लिये 'शोरूम'

†२८८८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि कलकत्ता में मनीपुर हथकरघा वस्तुओं के लिये एक शो रूम खोलने की प्रस्थापना है;

(ख) यदि हाँ, तो इस के लिये कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). हथकरघा और हस्तकला दोनों की वस्तुओं के लिये एक शो रूम खोलने का प्रस्ताव था। तथापि अनुमोदित आय-व्ययक में इस काम के लिये केवल ३,६०० रुपये की सांकेतिक व्यवस्था की गई है। अतः इस योजना की १९६२–६३ में कार्यान्वित होने की संभावना नहीं है।

आंध्र प्रदेश में विद्युत् चालित करघे

†२८८९. **श्री पें० बेंकटा सुब्बैया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में विद्युत चालित करघों को आरम्भ करने के लिये लाइसेंस जारी करने का विचार करती है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

कपड़ा मिल

†२८९०. **श्री जसवंत मेहता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में विविध राज्यों में कपड़ा मिल लगाने के लिये कितने लाइसेंस जारी किये गये; और

(ख) प्रति मिल कितने तकुओं की मंजूरी दी गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३**]।

भूकर सम्बन्धी सर्वेक्षण[१]

†२८९१. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री उमानाथ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की योजनाओं में भू-कर सम्बन्धी सर्वेक्षण और अधिकारों के अभिलेख (रिकार्ड) तैयार करने के लिये कोई योजना शामिल की है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने राज्यों ने यह सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ग) किन-किन राज्यो को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गई; और

(घ) केरल में अधिकारों का रिकार्ड तैयार करने में क्या प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

[१]Catastral Survey.

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (घ). भू-कर सम्बन्धी सर्वेक्षण और अधिकारों के रिकार्ड में सुधार की योजनाओं का उपबन्ध कुछ राज्यों की योजनाओं में किया गया है। कुछ अन्य राज्यों में राज्यों की योजनाओं के अतिरिक्त उपबन्ध किया गया है। राज्यों से इस सम्बन्ध में जानकारी माँगी गयी है। आसाम पंजाब और मध्य प्रदेश से जानकारी प्राप्त हो गई है जिसका सारांश नीचे दिया जाता है :—

आसाम : समतल जमीन वाले जिलों में वार्षिक भू-अभिलेख रखे जाते हैं। किन्तु रिकार्डों में किसान या अधिभार का नाम दर्ज नहीं किया जाता। किसानों और अधिभारों का रिकार्ड बनाने की योजना राज्य की १९६२-६३ की योजना में शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

पंजाब : काँगड़ा जिले के सर्वेक्षण न किये गये ऐसे क्षेत्र को छोड़कर जिसमें पैमाइश न किये गये आरक्षित वन और पहाड़ी क्षेत्र हैं शेष राज्य में अधिकारों के रिकार्ड रखे जाते हैं। इसलिये भू कर सम्बन्धी सर्वेक्षण और अधिकारों का रिकार्ड तैयार करने की कोई योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं की गयी है।

मध्य प्रदेश : खेती की जाने वाली भूमि के काफी बड़े हिस्से का भू-कर सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के वनों और पिछड़े क्षेत्रो के सर्वेक्षण की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। तीसरी योजना में लगभग १५०० गाँवों के सर्वेक्षण के लिये १५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है जिस में से १९६१-६२ में १.५२ लाख रु० खर्च किये गये हैं और १९६२—६३ में १.६२ लाख खर्च किये जाने की संभावना है। बस्तर जिले में नारायणपुर तहसील में काम शुरु हो गया है और अब तक २२५ गाँवों में सर्वेक्षण और रिकार्ड बनाने का काम पूरा हो चुका है।

अन्य राज्यों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भू-कर सम्बन्धी सर्वेक्षण तथा अधिकारों के रिकार्ड बनाने की जो योजनायें राज्यों की योजनाओं में शामिल की जाती हैं उनके व्यय का ५० प्रतिशत भाग राज्य केन्द्र से अनुदान के रूप में ले सकते हैं।

केरल म उद्योग

†२८९२. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान डा० लोकनाथन् द्वारा हाल में की गई इस अपील की ओर गया है कि राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए उद्योगों की स्थापना व नकदी फसलों के विस्तार के लिये एक करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जाये; और

(ख) उनके इस कथन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की अथवा करने का इरादा रखती है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख).जी नहीं। जाहिर है कि माननीय सदस्य का निर्देश राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित केरल के प्रविधिक आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में त्रिवेन्द्रम में २३ अप्रैल, १९६२ को हुई पत्रकार-वार्ता में डा० लोकनाथन् द्वारा दिये गये सुझावों से है।

उक्त संस्था ने केरल सरकार के अनुरोध पर प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया था और परिषद् सर्वेक्षण का अन्तिम प्रतिवेदन सीधे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोआ, दमन और दीव के लिये आयात नीति

†२८९३. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमन और दीव के लिये नयी आयात नीति निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

***†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** (क) और (ख). अप्रैल सितम्बर, १९६१ की अवधि के लिये आयात नीति सम्बन्धी घोषणा की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४**]

जोधपुर में रेडियो स्टेशन

२८९४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर में रेडियो स्टेशन की पुनः स्थापना करने के लिये निकट भविष्य में कोई योजना कार्यान्वित की जायेगी;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस विषय में कोई सिफारिश की है; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शामनाथ) (क) जोधपुर में विविध भारतीय के कार्यक्रमों को रिले करने के लिए एक १ किलोवाट मीडियम वेव का ट्रांसमीटर लगाया जायेगा; लेकिन यह सर्वांगपूर्ण रेडियो स्टेशन नहीं होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

तिमारपुर क्षेत्र (दिल्ली) के पुनर्विकास की योजना

†२८९५. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के तिमारपुर क्षेत्र के पुनर्विकास की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यह योजना कब तक पूरी होने की संभावना है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) तिमारपुर में १९११ में विभिन्न टाइप के ५०६ क्वार्टर बनाये गये थे। उन के संभाव्य अस्तित्व की अवधि समाप्त होने पर उन्हें गिराने और दो-मंजिल वाले १३१९ क्वार्टर बनाने की योजना मंजूर की गई थी। पहले दो चरणों में ३७२ क्वार्टर कोई क्वार्टर गिराये बिना बनाये गये हैं। तीसरे चरण में ४४ पुराने क्वार्टर गिरा कर साफ की गई जमीन पर प्रस्तावित ३५६ क्वार्टरों में से १२० क्वार्टर बन रहे हैं। बाद में और नये क्वार्टरों का निर्माण आरंभ किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) चूंकि और नये क्वार्टर वर्तमान क्वार्टरों के खात्मा किये जाने और गिराने के बाद ही क्रमशः बनाये जा सकते हैं इसलिये योजना की पूर्ति की अवधि के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है।

सूती वस्त्र निर्यात को प्रोत्साहन देने की योजना

†२८९६. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रवर्तित सूती वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या इस योजना के फलस्वरूप हमारा निर्यात वास्तव में बढ़ा है ; और

(ग) इस योजना के बारे में वस्त्र उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५]।

रेडियो रिसीवरों का उत्पादन

†२८९७. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूसरी योजना में हुए रेडियो रिसीवरों के उत्पादन से तिगुना उत्पादन करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां तो उस की रूपरेखा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) और (ख) तीसरी योजना में प्रति वर्ष ९००,००० रेडियो रिसीवरों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो १९६५-६६ तक प्राप्त कर लिया जायेगा जबकि दूसरी योजना में प्रतिवर्ष ३००,००० सेट बनाने का लक्ष्य था।

तीसरी योजना में १९६५-६६ तक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये संगठित क्षेत्र में ८००,००० सेट और लघु उद्योग क्षेत्र में १००,००० सेट के उपत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये सम्बन्धित निर्माताओं को अपनी योजनाओं के कार्यान्वित के लिये सभी संभव प्रोत्साहन और सहायता उपलब्ध की जा रही है।

दिल्ली में जाली पासपोर्ट बनाने वाला कार्यालय

†२८९९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली अपराध जांच विभाग ने हाल में जाली पासपोर्ट बनाने वाले एक कार्यालय का पता लगाया है जैसाकि २३ मई, १९६२ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा अणशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि २३ मई, १९६२ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में जो समाचार प्रकाशित

---

†मूल अंग्रेजी में

हुआ है वह दिल्ली में गिरफ्तार किये गये उन दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में है जिन पर जाली दस्तावेज़ों के आधार पर ग्रेट ब्रिटेन के लिये पासपोर्ट प्राप्त करने में लोगों की सहायता करने का आरोप लगाया गया है ।

(ख) इस सम्बन्ध में जांच ज़ारी है और अपराधियों के अन्य साथियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है ।

भारतीयों को अनधिकृत रूप से देश से बाहर ले जाया जाना[1]

†२६००. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पुलिस ने भारतीयों का कपटपूर्वक भारत से बाहर ले जाने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के एक कथित महत्वपूर्ण सदस्य पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस गिरोह ने कई भारतीयों को देश से बाहर भेज दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा उस का क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी, नहीं । बम्बई पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उस के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है । वह पाकिस्तानी नागरिक नहीं है ।

(ख) और (ग). अब तक की गई जांच से पता चला है कि यह व्यक्ति यात्रा के अनधिकृत दस्तावेज़ों के आधार पर पंजाब और गुजरात से भारतीयों को ग्रेट ब्रिटेन भेजा करता था । बताया जाता है कि यह व्यक्ति ग्रेट ब्रिटेन के एक यात्रा अभिकरण का कर्मचारी है और इस अभिकरण के कुछ सम्बन्ध बगदाद में भी हैं । इस सम्बन्ध में जांच जारी है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के लिए राशि

†२६०१. **श्री याज्ञिक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं को योजनावधि में पूरा करने के लिये राजस्व और पूंजी लेखे की मद में कुल कितनी राशि डाली गई ; और

(ख) दूसरी योजना की परियोजनाओं के योजनावधि में वित्त प्रबन्ध के लिये राज्यों को केन्द्र ने अनुदान या ऋण के तौर पर कुल कितनी राशि दी ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्व व्यय के आंकड़े अलग से नहीं रखे गये क्योंकि योजनाओं के व्यय का हिसाब १९५९-६० से पूर्व अलग नहीं रखा जाता था ।

(ख) दूसरी योजनावधि में केन्द्र द्वारा योजनाओं के लिये राज्यों को १०६० करोड़ रुपये दिये जायेंगे जिस में से ८०५ करोड़ रुपये ऋण के तौर पर होंगे और शेष अनुदान होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Fraudulent Emigration

दूसरी योजना की परियोजनाओं के व्यय का हिसाब

†२९०२. **श्री याज्ञिक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजनावधि में योजना की परियोजनाओं के वित्त प्रबन्ध के लिये प्रत्येक वर्ष में राजस्व के खाते में कितनी राशि डाली गयी ;

(ख) योजना की परियोजनाओं का व्यय बढ़ाने और इस प्रकार राजस्व के खाते में डाली जाने वाली राशि बढ़ाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार आगामी वर्षों में राजस्व के खाते डाली जाने वाली योजनाओं के बड़े व्यय की राशि की कोई सीमा निर्धारित करने का इरादा रखती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्व व्यय के आंकड़े अलग से नहीं रखे गये क्योंकि योजनाओं के व्यय का हिसाब १९५९-६० से पूर्व अलग नहीं रखा जाता था ।

(ख) और (ग). पूंजी और राजस्व लेखे के व्यय का वर्गीकरण सरकार द्वारा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है । योजना के व्यय का कुछ हिस्सा कर्मचारी आदि के आवर्तक व्यय से सम्बन्ध रखता है और उसे राजस्व लेखे के खाते में डाला जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ब्रिटेन को बेन्ज़ीन का निर्यात

†२९०३. { **श्री यर** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन को हाल में बेन्ज़ीन का कुछ निर्यात किया गया है ; और

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने कोई सौदा कर लिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां । २३ मई, १९६२ को २६४९.३६२ मीट्रिक टन बेन्जीन जहाज़ द्वारा ग्रेट ब्रिटेन भेजा गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

खली

†२९०४. **श्री याज्ञिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से गत तीन वर्षों से सब प्रकार की खली का कितना निर्यात किया गया ; और

(ख) खली के जानवरों के खाद्य और खाद के रूप में महत्व को देखते हुए उन के निर्यात को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

---

†मल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनभाई शाह) : (क) भारत से गत तीन वर्षों में खली की निम्नलिखित मात्रा का निर्यात किया गया :—

	मीट्रिक टन
१९५९-६०	५६२,०००
१९६०-६१	४३४,०००
१९६१-६२ (अप्रैल से फरवरी)	४८,४००

(ख) कुल उत्पादन के छोटे से हिस्से का ही निर्यात किया जाता है ।

केन्द्रीय निदेशक प्रशिक्षण संस्था, लुधियाना की स्थापना

†२९०५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की शासी परिषद् ने केन्द्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्था, लुधियाना की स्थापना के लिये ६६३,१०० पौंड का आवंटन करने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो शिक्षकों को किन व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जायेगा ; और

(ग) संस्था कब काम करना आरम्भ कर देगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां, आवंटन ६६३,१०० अमरीकी डालर का आवंटन किया गया है तथा ६६३,१०० डालरों का नहीं ।

(ख) निम्नलिखित अस्थायी सूची है :

१. इलैक्ट्रीशियन
२. लाइनमैन एण्ड वायरमैन
३. फिटर
४. मशीनिस्ट
५. मोटर मैकेनिक
६. मोल्डर
७. टर्नर
८. वैल्डर (इलैक्ट्रिक आर्क० आक्सी—एसेटीलोन)

(ग) मई, १९६४ ।

आकाशवाणी का गोहाटी केन्द्र

†२९०५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के गोहाटी केन्द्र की प्रसारण सीमा सीमित है;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रम पूरे राज्य में सुनु जा सकते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार आसाम में आकाशवाणी का दूसरा केन्द्र स्थापित करने का है जो मुख्य उपरि आसाम क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) आसाम में दूसरा केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार नहीं हैं । परन्तु उपरि आसाम क्षेत्र को आवश्यकता की पूर्ति के लिये जोरहाट में "रिले ट्रांसमीटर' स्थापित होगा ।

बफर स्टाक एसोसियेशन

†**२१०७. श्री बीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री 'बफर स्टाक एसोसियेशन' द्वारा त्रिपुरा जूट की खरीद के संबंध में २४ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में उपरोक्त संस्था जूट का कोई कोटा खरीदा गया था;

(ख) क्या उपरोक्त संस्था द्वारा १९६२–६३ में जूट की मात्रा खरीदने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां तो यह मात्रा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 'बफर स्टाक एसोसियेशन' द्वारा घटिया किस्म के जूट की १,७५,००० गांठें अब तक खरीदी गयी है ।

(ख) और (ग) संस्था द्वारा १९६२–६३ में जूट की खरीद इस मौसम में होती रहेगी । यह विचार हैं कि रक्षित भांडागार बनायें जायें जिस से बाजार में दीर्घकालीन स्थिरता रहे ।

कानपुर में बी० आई० सी० की फर्में

†**२१०८. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि कानपुर की बी० आई० सी० की कुछ फर्मों को कलकत्ते के श्री बाजोरिया खरीद रहे है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा खरीदे गये अंश रखे जायेंगे ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के नाम निर्देशित व्यक्ति निदेशक बोर्ड में रहेंगे;

(ङ) यदि हां, तो उन की क्या संख्या हैं; और

(च) क्या केन्द्र सरकार प्रधान का नाम निर्देशन करेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :(क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) से (च). २३ मई, १९५८ से बी० आई० सी० के निदेशक बोर्ड के संगठन (प्रबन्ध अन्तरिम समिति) को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने समय समय पर निश्चित किया है । १४ फरवरी, ६२ के अपने निर्णय में उच्च न्यायालय ने निदेश दिया था कि प्रबन्ध अन्तीरम समिति के जनवरी, १९६३ कम्पनी की जनरल मीटिंग बुलानी चाहिये जो निदेशक बोर्ड का चुनाव करें और यह निदेशक बोर्ड १ फरवरी, १९६३ से काम आरम्भ कर दे । हाल में ही कुछ अंश धारियों ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन पत्र दिया हैं कि निदेशकबोर्ड का चुनाव करने के लिये अंशधारियों की जनरल मीटिंग शीघ्र

†मूल अंग्रेजी में

बुलायी जाये । उपरोक्त आवेदन पत्र पर उच्च न्यायालय के आदेशों तथा कम्पनी के संस्था के अन्तर्नियम के आधार पर अंशधारी निदेशकों का चुनाव करेंगे । परन्तु केन्द्रीय सरकार तथा जीवन बीमानिगम ने स्वीकार कर लिया हैं यक उपरोक्त आवेदन पत्र को इलाहबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इसलिये पेश किया जा रहा हैं कि नया निदेशक बोर्ड, जिस का अंशधारी चुनाव करेंगे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत संविधान के अनुरूप हो । इस आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रधान का नामनिर्देशन करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता हैं ।

आकाशवाणी के इंजीनियर

†२६०६. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी**, क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हों ने नई दिल्ली में २७ मई, १६६२ को एक वक्तव्य दिया था कि आकाशवाणी के इंजीनियरों की सेवा की शर्तो में सुधार की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

सूचना और प्रसारण मत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चाय बागानों तथा कारखानों के लिये मशीनी उपकरण

†२६१०. **श्री प्र० च० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ अगस्त, १६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराया-खरीद आधार पर ऐसे उपकरणों का सम्भरण करने की योजना के अधीन अगस्त १६६१ के बाद चाय बागानों तथा कारखानों को कितना मशीनी उपकरण संभरित हुआ ;

(ख) ऐसे कितने अभ्यावेदन विचारार्थ हैं; और

(ग) इन अभ्यावेदनों के अधीन कितने अनुमानित मूल्य की मशीनें मंगाई जायेंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय मत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ७५ वस्तुयें ।

(ख) और (ग) लगभग १,११ करोड़ रुपये की मशीनों के लिये ८६ अभ्यावेदन विचाराधीन है ।

चाय बोर्ड द्वारा ऋण देना

†२६११. **श्री प्र० च० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बोर्ड द्वारा मशीनों की मरम्मत अथवा नई मशीनों को लगाने के लिये कचार, त्रिपुरा, कांगड़ा और मंडी के मध्यम श्रेणी के बागानों को ऋण देने की योजना के लिये आवंटित रकम का बड़ा भाग वितरण के बिना शेष हैं ?

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) इस के क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजो में

(घ) क्या इस योजना को आसाम के अन्य चाय बागानों पर लागू करने का भी विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उन बागानों में लागू करने के लिये कोई नई योजना बनान का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) और (ख). जी हां। योजना के लिये आवंटित ५ लाख रुपयों में स चाय बोर्ड ने १७,२५५ रुपये एक आवेदक को दिये है। तथा आशा हैं कि शीघ्र ही दो व्यक्तियों को ५१,३७६ रुपये दिये जायेंगे।

(ग) ऋण की जमानत देने के उपबन्ध की शर्ते बागानों के अभ्यर्थियों द्वारा पूरी करने में कठिनाई के कारण हाल में ही सरकार ने इस उपबन्ध को ढीला कर दिया हैं तथा योजना में कारखानों का निर्माण भी शामिल कर दिया है।

(घ) और (ङ). अभी नहीं।

बेरियम रसायनों का आयात

†२९१२. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बेरियम कैमिकल्स लिमिटेड को इंगलैंड से ३० लाख रुपये के बेरियम रसायनों के आयात के लिये आयात लाइसेन्स दिये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो उस के ब्यौरे क्या हैं :

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बेरियम लवण तथा रसायन का निर्माण

†२९१३. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरियम रसायन लिमिटेड द्वारा किन बेरियम लवणों तथा रसायनों का निर्माण होगा;

(ख) क्या प्रस्तावित संयंत्र का स्थापना स्थान निश्चित कर लिया गया है; और

(ग) एल० ए० मित्चैल लिमिटेड, मैनचैस्टर, ब्रिटेन से सहयोग की शर्ते क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्यो मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण संबद्ध हैं।

विवरण

(क) मेसर्स बैरियम कैमिकल्स, लिमिटेड, मद्रास को निम्न बेरियम रसायनों के निर्माण के लाइसेंस दिये गये है : —

(१) बेरियम हाइड्रोक्साइड
(२) ब्लैंक फिक्से
(३) बेरियम नाइट्रेट
(४) बेरियम कोर्बानेट

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) बेरियम क्लोराइड (टैक्नीकल ग्रेड)
(६) बेरियम क्लोराइड (बी० पी० ग्रेड)
(७) बेरियम सल्फाइड
(८) बेरियम सल्फाइट

(ख) कारखाने को आन्ध्र प्रदेश में (ऐरनाकुलम के निकट) कोठाकुडुम में स्थापित करने का विचार है ।

(ग) विदेशी सार्थ ने ब्रिटेन से १३.६ लाख रुपये के संयंत्र तथा मशीनें संभरण करना तथा शेष १६.४ लाख रुपये का मशीन देश में बनाना स्वीकार कर लिया है । ब्रिटिश फर्म इंजीनियरिंग सेवा की भी व्यवस्था करेगी ।

बेरियम टिटेनेट* का निर्माण

†२६१४. **श्री प० कुन्हन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरियम कैमिकल्स लिमिटेड प्रतिरक्षा मंत्रालय से बेरियम टिटेनेट जो कि डेटोनेटर्स बनाने के लिये महत्वपूर्ण पदार्थ है, के निर्माण के लिये बातचीत कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बात चीत पूरी हो चुकी है ?

†*वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)* : (क) और (ख). इस मंत्रालय को इसकी कोई जानकारी नहीं हैं ।

दिल्ली में भूमिगत जलका उपयोग

†२६१५. **श्री रा० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास और सभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में प्राप्त भूमिगत जल सिंचाई तथा बागवानी के उपयुक्त नहीं पाया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इस पानी का वैज्ञानिक रीति से सफाई करके उपरोक्त भाग (क) में वर्णित कामों के लिये प्रयोग करने के लिये सरकर द्वारा कोई प्रयास किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ङ) क्या इस पानी का स्वीमिंग पूलों, बोरिंगपूलों तथा फव्वारों के लिये, प्रयोग करने का प्रयत्न किया गया है ; और

(च) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) से (घ). दिल्ली में भूमि गत पानी में नमक बहुत अधिक होने के कारण इसका सिंचाई और बागबानी के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है । इस पानी का वैज्ञानिक परिष्करण न तो संभव है और न ही मितव्ययी है । परन्तु सम्भव है कुछ समय बाद जब पानी पम्प द्वारा पर्याप्त मात्रा में निकल जाये तब इसका कोई उपयोग हो सकेगा ।

(ङ) और (च). पहले बतलाये गये कारणों से अभी नहीं ।

*Barium Titanate

†मूल अंग्रेजी में ।

आकाशवाणी से हरियानी बोली में कार्यक्रम

२९१७. श्री युद्धवीर सिंह चौधरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होने वाला हरियानी बोली का कार्यक्रम ब्रज भाषा के साथ मिला दिया गया है जिसके कारण इन दोनों में से किसी भी क्षेत्र के निवासी उसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं। उनको मिलाया नहीं गया है बल्कि उनको उसी देहाती कार्यक्रम वाले घन्टे में प्रसारित किया जाता है।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पंजाब में तेल की घानी

†**२९१८. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग के अधीन पंजाब के विभिन्न जिलों के किन स्थानों पर कितनी तेल की घानियां चालू हैं ; और

(ख) तेल की घानियों को खोलने के लिये गांव वालों को क्या सुविधायें दी गई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जानकारी इकट्ठा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(क) सहायता प्राप्त दरों पर अच्छी घानियों के संभरण के अतिरिक्त निम्न कार्यों के लिये ऋण तथा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी गई है :—

(१) घानी बनाने वाले कारखाने स्थापित करना ।
(२) कारखानों का निर्माण ।
(३) तेल का विपणन ।
(४) वर्तमान पुरानी घानियों को अच्छी किस्म की घानियां बनाना ।
(५) तिलहन की खरीद तथा उसका भंडार ।
(६) कामगरों की सहकारी समितियां बनाना ।
(७) तेलियों, मिस्त्रियों तथा निरीक्षकों का प्रशिक्षण ।
(८) स्थापना व्यय वहन करना ।

पंजाब में हथकरघा उद्योग

†**२९१९. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में पंजाब में हथकरघा उत्पादों का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना वधि में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये पंजाब को कितनी निधियों का आवंटन किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क). जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठा की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ख) ४५ लाख रुपये।

हरी चाय

२६२०. श्री हेम राज : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितनी हरी चाय बिना बिकी पड़ी है ;

(ख) इसको इस प्रकार इकट्ठा करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इससे हरी चाय के मूल्य किस प्रकार कम हुऐ हैं ; और

(घ) इसको शीघ्र निबटाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) १ मई १९६२ को लगभग ५ लाख किलोग्राम ।

(ख) मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान होकर अमृतसर से काबुल जाने वाला जमीन का रास्ता बन्द हो गया है। केवल परिवहन का साधन विमान ही रह जाता है।

(ग) यह मालूम हुआ है भंडार इकट्ठा हो जाने के कारण मूल्य लगभग २५ से ३७ नये पैसे प्रति किलोग्राम कम हो गये हैं।

(घ) हरी चाय को यथा संभव विमान से ले जाने के लिये कदम उठाये गये हैं।

"स्वतंत्र समाचार"

२६२१. श्री बेरवा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा (राजस्थान) से एक साप्ताहिक पत्र "स्वतन्त्र समाचार" पिछले १० महीनों से बराबर निकल रहा है ;

(ख) क्या इस पत्र ने रजिस्ट्रेशन के लिये समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में आवेदन कर रखा है ।

(ग) यदि हां, तो रजिस्ट्रेशन में देर लगने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इस नाम का कोई दूसरा पत्र भारत में अन्यत्र कहीं नहीं निकलता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका रजिस्ट्रेशन कब तक हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क). इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या हिन्दी साप्ताहिक पत्र "स्वतन्त्र समाचार" नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है या नहीं।

(ख) से (ङ) : जिलाधीश कोटा ने ७-८-१९६१ को प्रेस रजिस्ट्रार को बताये बिना "स्वतन्त्र समाचार" के बारे में डिक्लेरेशन की तसदीक दे दी और प्रेस रजिस्ट्रेशन ऐंड बुक एक्ट की धारा ६ का उल्लंघन हुआ। प्रेस रजिस्ट्रार के रिकार्ड से पता चलता है कि इस से पहले "स्वतन्त्र समाचार पत्र" नामक एक दैनिक समाचार पत्र जोधपुर से २८ फरवरी, १९६० को बाकायदा डिक्लेरेशन के आधीन जारी हो चुका था। क्योंकि "स्वतन्त्र समाचार" नाम पहले से मौजूद "स्वतन्त्र समाचार

---

†मूल अंग्रेजी में

पत्र" से मिलता जुलता था इस लिये राज्य सरकार से इस बात की पूछताछ की गई कि क्या "स्वतन्त्र समाचार पत्र" तब भी प्रकाशित हो रहा था। अब इस बात की तसदीक कर ली गई है कि जोधपुर के दैनिक हिन्दी पत्र का प्रकाशन बंद हो गया है और इस तरह से "स्वतन्त्र समाचार" के रजिस्ट्रेशन के लिये अड़चन दूर हो गई है।

रंगों तथा रसायनों का आयात

†२९२२. **श्री सुब्बारायन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६०, १९६०–६१ तथा १९६१–६२ के वर्षों के लिये कितने मूल्य के तथा किन देशों से कितनी मात्रा में रंगों तथा रसायनों का आयात किया गया ; और

(ख) इनका किन अभिकरणों से आयात किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) एक विवरण सम्बन्ध है। [देखिये परिशिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १६]।

टौलीगंज रेलवे उपनगर, कलकत्ता में शरणार्थी

†२९२३. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टौलीगंज रेलवे उपनगर, कलकत्ता में रहने वाले शरणार्थियों को रेलवे अधिकारियों ने स्थान छोड़ देने के नोटिस दे दिये हैं ;

(ख) क्या इन शरणार्थियों के पास कोई वैकल्पिक स्थान नहीं है और उनको यह स्थान पन्द्रह दिनों में छोड़ देना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) से (ग). जानकारी इकट्ठा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में शराब आदि बनाने के कारखानों की परियोजना

†२९२४. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल में शराब आदि बनाने के कारखानों की परियोजना के लिये लगभग २२ लाख रुपये की मशीनें आदि का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस दिया है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार को शराब आदि बनाने के कारखानों की मशीनें भारत में बनाने का प्रस्ताव मिला था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित शराब आदि के कारखाने की ऐसी मशीनों का जो देश में बन सकती थीं का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस दिये गये थे।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Brewery project

योजना

†२९२५. **श्री गो० महन्ती** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना की कितनी प्रतियां प्रकाशित होती हैं ;

(ख) कितनी प्रतियां निःशुल्क सम्भरित होती हैं तथा पत्रिका को कितने व्यक्ति खरीदते हैं; और

(ग) १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में पत्रिका पर कितना धन व्यय हुआ ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में 'योजना' की निम्न प्रतियां प्रकाशित हुई थीं:—

संस्करण	**१९६०–६१**	**१९६१–६२**
अंग्रेजी . . .	३,१८,२२५	२,७१,२५५
हिन्दी	२,८८,३९०	१,९९,७३०

(ख) (१) **निःशुल्क संभरित प्रतियां** :—

संस्करण	**१९६०–६१**	**१९६१–६२**
अंग्रेजी	१,४१,९९०	१,१७,८४५
हिन्दी	९५,५०३	६७,९२४

(२) **बेची गई प्रतियों की सख्या**—

संस्करण	**१९६०–६१**	**१९६१–६२**
अंग्रेजी . . .	१,६६,०३१	१,४६,४२६
हिन्दी	१,७५,०६४	१,१६,५८५

(ग) **पत्रिका पर व्यय किया गया धन** :—

संस्करण	**१९६०–६१**	**१९६१–६२**
अंग्रेजी	१,५०,६१५ रु०	१,७६,०१५ रु०
हिन्दी	१,४५,२३६ रु०	१,४६,१६४ रु०

तिमारपुर, दिल्ली में क्वार्टर

२९२६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्रों में १९५० में और उसके बाद बनाये गये सरकारी क्वार्टरों का साधारणतयः कितने वर्ष जीवनकाल होता है ;

(ख) क्या यह सच है कि केवल दस वर्ष पूर्व दिल्ली के तिमारपुर क्षेत्र में बनाय गये 'जेड' टाइप के २०० से अधिक क्वार्टरों को उनकी छतें और छज्जे टूट जाने के कारण निवास के लिय असुरक्षित घोषित कर दिया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" में हो, तो क्या वह निम्नलिखित बताने की करेंगे कि :—

(एक) क्या ये क्वार्टर उनके प्राक्कलन और नक्शे आदि के स्वीकृत हो जाने के बाद ही बनाये गये थे और क्या उनके लिये स्तर से नीचे के निर्माण के आदेश नहीं दिये गये थे ;

(दो) इन क्वार्टरों के इतनी जल्दी खराब होने के क्या विशेष कारण थे और क्या इसकी जांच की गई और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; जिन ठेकेदारों ने ऐसे निम्नकोटि के क्वार्टर बनाये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, यदि उनका इस विषय में दोष पाया गया हो ;

(तीन) विभाग के जिन अधिकारियों के स्तर से नीचे के काम को स्तर का प्रमाणित किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या की जा रही है ;

(चार) क्या उन क्वार्टरों की मरम्मत की जा रही है और यदि हां, तो अनुमानत: प्रत्येक पर कितना खर्च होगा ;

(पांच) रहने के लिये सुरक्षित न होने के कारण जितने समय के लिये ये क्वार्टर खाली रखे गये या रखे जा रहे हैं उतने समय मे किराया न मिलने के कारण सरकार को वास्तव में कितनी हानि हुई ; और

(छः) निर्धारित स्तर से नीचे के क्वार्टर फिर न बनें इस के लिये क्या कदम उठाय गये हैं या उठाये जायेंगे ?

निर्माण, आवास और संभरण मत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) ५० से ६० वर्ष तक ।

(ख) जैसा कि ९ अगस्त १९६० को लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं० ४७७ के उत्तर में बताया गया था, 'जेड' टाइप के क्वार्टरों मे दूसरी मंजिल के १७२ फ्लैटों की छतें खराब हो गई थीं ।

(ग) (एक) से (तीन) : प्राक्कलन (एस्टिमेट) और विशिष्टियां (स्पैसिफिकेशन्स) सरकार द्वारा स्वीकार की गई थीं, लेकिन खर्च में बचत के लिए और परीक्षण के तौर पर इन क्वार्टरों में चूना कंकरीट की छत की व्यवस्था की गई थी ।

(दो) चूना कंकरीट की छतें इससे पहले बड़े पैमाने पर नहीं बनाई गई थीं और छत बनाने के लिये उपयुक्त सिद्ध नहीं हो चुकी थीं । इस परीक्षण से पता चला है कि चूना कंकरीट की छत जल्दी ही घिस कर टूट फूट जाती है, जिससे पानी उसके अन्दर रिस जाता है । इसके फलस्वरूप सीमेंट कंकरीट की छत की पाटियों में लगी कच्चे लोहे की सलाखों में जंग लग जाता है, जिससे छतें खराब हो जाती हैं । इसके अलावा ठेकेदार ने कुछ निर्माण कार्य विशिष्टियों से घटिया स्तर के किये थे, जिनके लिए उस पर ७३१६/११/– रुपये जुर्माना किया गया और केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग के साथ उसका पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) रद्द कर दिया गया ।

(तीन) स्तर से नीचे के किसी काम को अपेक्षित स्तर का प्रमाणित नहीं किया गया । इसलिये किसी अफसर के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता ही नहीं हुई ।

(चार) हां । लगभग ३३६० रुपये प्रति क्वार्टर ।

†मूल अंग्रेजी में

(पांच) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(छः) बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण के लिए केवल वे ही विशिष्टियां अपनाई जा रही हैं, जो समय की कसौटी पर खरी उतर चुकी हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की ओर अधिक कड़ी देख रेख तथा मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा प्रमुख निर्माण कार्यों की, निर्माण की सब दशाओं में, लगातार तकनीकी परीक्षा से भी स्तर से घटिया काम की रोकथाम होने की आशा है।

लोहा अयस्क का मूल्य

†२९२७. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी खान मालिकों तथा सरकारी खानों ने इस्पात कारखानों को और निर्यात के लिये लोहा अयस्क का क्या विक्रय मूल्य पेश किया है ; और

(ख) १९६१–६२ में गैर सरकारी खान मालिकों तथा सरकारी खानों ने इन कामों के लिये पृथक्, पृथक्, कितना माल खरीदा गया तथा उनको कितनी राशि दी गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). यह व्यौरा बताना राजकीय व्यापार निगम के व्यापार हित की दृष्टि से ठीक नहीं समझा जाता।

बड़ी कारों का आयात

†२९२८. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में विविध विदेशों से भारत में बड़ी संख्या में बड़ी कारों का आयात करने का विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों से ; और

(ग) भुगतान की क्या शर्तें होंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

केरल में हौपकिन एंड विलियम्स फैक्टरी

†२९२९. **श्री अ० का० गोपालन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के क्विलोन जिले में हौपकिन एण्ड विलियम्स फैक्टरी कब बन्द की गई थी ;

(ख) फैक्टरी बन्द किये जाने के क्या कारण थे ;

(ग) फैक्टरी बन्द करने का कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा ;

(घ) क्या फैक्टरी को पुनः चालू करने का व्यवस्थापकों का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास फैक्टरी को चलाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) मैसर्स हौपकिंज़ एण्ड विलियमस (त्रावनकोर) लि० ने १-१०-६० से क्विलोन जिले में अपनी चावारा फैक्टरी बन्द कर दी।

(ख) कम्पनी ने उत्पादन जारी रखना अलाभकर समझा।

(ग) फैक्टरी के बन्द होने का लगभग २००० कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) जहां तक सरकार को पता है कम्पनी के प्रबन्धक फैक्टरी को पुनः चालू करना नहीं चाहते।

(ङ) नहीं, सरकार के सामने इस समय फैक्टरी को चलाने की कोई ठोस प्रस्थापना नहीं है।

जापान को इल्मेनाइट का निर्यात

†२९३०. श्री अ० क० गोपालन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि जापान ने हाल ही में इलमेनाइट खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जापानी बाजार बनाने के लिये क्या कार्रवाई की है ;

(ग) क्या इल्मानाइट के निर्यात के लिये बी० टी० पी० ग्लाइडन एण्ड त्रावनकोर खनिज के बीच कोई करार तय हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो यह करार कब समाप्त होता है ; और

(ङ) क्या करार के पुनर्नवीकरण के लिये इन दोनों के बीच कोई बातचीत चल रही है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). भारतीय इलेमेनाइट की खरीद के सम्बन्ध में जापान के कई सार्थों ने पूछताछ की है। इन पक्षों के साथ बातचीत चल रही है।

(ग) जी हां। त्रावनकोर खनिज समिति ने ब्रिटिश टिटन प्राडक्ट्स लन्दन और ग्लाइडन कम्पनी बालटीमोर, अमरीका के साथ, इलमेनाइट के सम्भरण के लिये दो पृथक् करार किये हैं।

(घ) ब्रिटिश टिटन प्राडक्ट्स कम्पनी समिति के साथ करार नवम्बर १९६३ में और ग्लाइडन कम्पनी के साथ करार मई १९६४ में समाप्त हो जाएगा।

(ङ) इन संविदाओं के पुनर्नवीकरण की बातचीत सफल नहीं हुई है।

एफ० ऐक्स पेरेरा लिमिटेड

†२९३१. { श्री अ० क० गोपालन : श्री प० कुन्हन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि ऐफ० ऐक्स पेटेरा लिमिटिड, क्विलोनत्तिला, के केरल राज्य में इलमेनाइट का उत्पादन करने वाला विभाग बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इसके बन्द होने से कितने कर्मगारों पर कुप्रभाव पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). ऐफ० ऐक्स पी० मिनलर्ज, चावारा [मूलतः ऐफ० ऐक्स पेरेरा एण्ड सन्स (ट्रावनकोर लिमिटिड)] एक औद्योगिक इकाई है जो केरल सरकार के प्रबन्ध के अधीन चल रही है। इलमेनाइट का उत्पादन अलाभकर होने, माल जमा रहने और खनिज सम्बन्धी मांग की कमी होने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति पर केरल सरकार ने फैक्टरी में काम करने वाले श्रमिकों के प्रतिनिधियों के परामर्श से विचार किया और इलमेनाइट का उत्पादन अक्तूबर १६, १९६१ से बन्द कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप लगभग, ४७५ श्रमिकों पर कुप्रभाव पड़ा। तथापि फैक्टरी में मुख्यतः रुटाइल' का उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है।

सरकारी बंगले

†२९३३. श्री प्र० च० बरुआ : क्या **निर्माण, आवास और सभरण** मंत्री १० मई १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सचिवालय के समीप अधिकांश बंगले ३० वर्ष से पुराने हो गये हैं और गिराये जाने वाले हो गये हैं ;

(ख) क्या बंगलों की मरम्मत आदि पर भारी खर्च किया जाता है, इतना खर्च कि बहुत से बंगलों का पिछले कुछ वर्षों का अधिकतर पुनर्नवीकरण कराना पड़ा ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में इस कारण कितनी राशि खर्च की गई थी और इस प्रकार कितने बंगलों का पुनर्नवीकरण किया गया;

(घ) क्या तीसरी योजना में इन बंगलों के स्थान पर दुमंजिले फ्लैट बनाने का कोई क्रमित कार्यक्रम है ; और

(ङ) यदि हां तो इसका व्यौरा क्या है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) सचिवालय के समीप अधिकतर बंगले तीस वर्ष से पहले से बने हुए हैं किन्तु अभी वे गिराये जाने वाले नहीं हैं।

(ख) सामान्य मरम्मत सम्बन्धी व्यय इन बंगलों को ठीक हालत में रखने के लिये काफी नहीं है क्योंकि भूमिगत जल के तल बढ़ जाने के कारण उनके फर्शों और दीवारों पर कुप्रभाव पड़ा है ; छतें भी खराब हो गई हैं और बहुत से बंगले १९६० के भूकम्पों से खराब हो गये थे। इसलिये छतों को बदलने, दीवारों पर प्लास्टर करने, फर्श बदलने और नमी को रोकने वाली व्यवस्था करने पर अतिरिक्त व्यय किया गया है। इन विशेष मरम्मतों के साथ बंगले और २५–३० वर्ष चल सकेंगे ऐसी आशा है।

(ग) ५६ बंगलों का पुनर्नवीकरण पिछले तीन वर्षों में किया गया था और उन पर इस प्रकार व्यय किया गया है।

वर्ष	रुपये
१९५९–६०	३,९३,६०८ रुपये
१९६०–६१	२,११,०७५ रुपये
१९६१–६२	९,००,९९१ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जी नहीं।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता।

चाय का निर्यात

†२९३४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ में जापान और इंग्लैण्ड को कितनी भारतीय चाय का निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनभाई शाह)** : १९६०-६१ में जापान और अमरीका को चाय का निर्यात क्रमश: ४५४४७ किलोग्राम तथा १२१५१८९३९ किलोग्राम था।

भारतीय विदेश सेवा (ख)

†२९३५. **श्री ज० ब० सि० बिष्ट** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में अधिक राजनयिक मिशन खोलने और कुछ मिशनों को ऊंचा उठाने के तथ्यों की दृष्टि से भारतीय विदेश सेवा (ख) की संख्या बढ़ाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सेवा में नियुक्तियां की जा रही हैं ; और

(ग) क्या मन्त्रालयों एवं विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को इस सेवा में नियुक्तियों के लिये अर्जी देने दिया जाएगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) नहीं। वर्तमान प्रक्रिया के अधीन, भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्तियां (१) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगी परीक्षा, (२) विभागीय परीक्षाओं और (३) वैदेशिक कार्य मन्त्रालय की विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर नीचे के संवर्गों से पदोन्नति के द्वारा की जाती हैं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

केरल में एनाथ में ट्यूबरक्यूलिन परीक्षण की प्रतिक्रिया

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस के बारे में वक्तव्य दें।

'केरल में त्रिवलोन के निकट एनाथ में ट्यूबरक्यूलिन के परीक्षण की प्रतिक्रिया से उत्पन्न स्थिति'

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : समाचारपत्रों में प्रकाशित घटना ५ जून, १९६२ को हुई थी लगभग ३० व्यक्तियों पर ट्युबरक्यूलिन का परीक्षण किया गया था। वह ट्यूबरक्यूलिन गिंडी की बी० सी० जी० प्रयोगशाला से प्राप्त हुई थी। इस का घोल मई, १९६२ में तैयार किया गया था। वे घोल सदा की तरह रखे गये थे। १५३ व्यक्ति प्रभावित हुए थे। अनेक लक्षण देखने में आये, जैसे शरीर में थोड़ा थोड़ा दर्द, सिर का भारीपन और वमनेच्छा। जो परीक्षण किये गये थे, उनके आधार पर कोई निश्चित निदान अभी तक नहीं सिद्ध किया गया। प्रयोग किये जा रहे है; पर स्वास्थ्य सेवा नियोजक का यह विचार है कि कोई गंभीर बात नहीं है। सब व्यक्तियों की स्थिति संतोषजनक है। सम्बन्धित ट्यूबरक्यूलिन को आवश्यक परीक्षण के लिए त्रिवेन्द्रम की लोक-स्वास्थ्य प्रयोगशाला और गिंडी की बी० सी० जी० प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। इस मामले की पूरी जांच की जा रही हैं। पहले दिन ४५ व्यक्ति दाखिल किये गये थे, दूसरे दिन ४६ व्यक्ति किन्तु कोई गम्भीर बात नहीं हुई। वे सब अच्छे हो गये थे और अधिकतर व्यक्ति वापस भेज दिये गये हैं। घोल में कोई मिलावट आदि के बारे में और क्या उसे उचित रूप में रखा गया था, इस बात की जांच की जा रही है। बाद में एक और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

नागपुर-टाटानगर यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान ८ जून, १९६२ को नागपुर-टाटानगर यात्री गाड़ी के पटरी से उतर जाने की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इसके बारे में वक्तव्य दें।

†रेलवे मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : ८ जून, १९६२ को लगभग १९.१० बजे नं० ३२२ डाउन नागपुर-टाटानगर यात्री गाड़ी के साथ भिलाई मार्शलिंग यार्ड के 'ए' केबिन के पास दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। इंजन के पीछे का पहला डिब्बा पटरी से उतर गया और बाद के १० डिब्बे उलट गये। उस समय भिलाई और कुम्हारी के बीच बड़े जोर का तूफ़ान चल रहा था। दुर्भाग्यवश नौ व्यक्ति मारे गये और १२३ घायल हुए जिन में से ८४ को प्राथमिक चिकित्सा के बाद घर भेज दिया गया था और शेष ३९ को अस्पतालों में भरती कर लिया गया था ३३।—रायपुर अस्पताल में और ६ भिलाई में। इन में से ६ की रायपुर अस्पताल में और २ की भिलाई अस्पताल में गहरी चोटें बताई जाती है।

आंधी के कारण बहुत से वृक्ष उखड़ गये थे और भिलाई यार्ड के १०० क्वार्टरों की छतें उड़ गई थीं। १४ माल के डिब्बे भी पटरी से उत्तर गये।

रायपुर से चिकित्सा सहायता और सामान और बिलासपुर से चिकित्सा गाड़ी दुर्घटना-स्थल पर तुरन्त भेजी गई। दक्षिण पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक और अन्य वरिष्ट अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों से मिले। रेलवे उपमंत्री भी उन से मिले।

कुछ मृत व्यक्तियों के सम्बन्धियों और घायल व्यक्तियों को ४१०० रुपये की राशि दे दी गई है।

कलकत्ता स्थित रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त ने दुर्घटना के कारण के सम्बन्ध में संविहित जांच शुरू कर दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बागड़ी** (हिसार) : यह हिन्दुस्तानी में भी बतला दिया जाय।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या मंत्री महोदय आयुक्त की जांच के परिणाम बतायेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : चूंकि जांच अभी की जा रही है, इस लिए दुर्घटना के कारण बताना मेरे लिये उचित नहीं होगा। किन्तु यदि सदन चाहे तो प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या तूफ़ान के अलावा, दुर्घटना का कोई और कारण भी था ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मेरे लिए कारणों का पूर्वानुमान लगाना उचित नहीं होगा, मैं ने तथ्य बतला दिये हैं। माननीय सदस्य अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : क्या मंत्री महोदय ने यह जानने की कोशिश की हैं कि मृत व्यक्तियों की संख्या ९ से बढ़ी तो नहीं ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं ने नवीनतम जानकारी दी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी कोई सवाल करना चाहते हैं ?

श्री बागड़ी : मैं सवाल क्या करूं जब अंग्रेजी में सारी कार्रवाई हो रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ पूछना चाहते है या नहीं ?

श्री बागड़ी : बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कि न तो मैं वक्त जाया करना चाहता हूं और न कोई अड़चन की बात करना चाहता हूं। अर्ज यह है कि कालिंग अटेन्शन नोटिस मैंने दी थी, और मेरा ख्याल है कि मैं ने सब से पहले दिया था ....

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसी बात नहीं कह सकते।

श्री बागड़ी : या तो यों कहिये कि हिन्दी बोलने वालों के पल्ले ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति आप यह नहीं कह सकते कि आप का नोटिस सब से पहले आया था क्योंकि यह तो पहले ही से दर्ज किया हुआ है कि किस का नोटिस पहले आया। इस में कुछ रिफ्लेक्शन आता हैं। आप दूसरों पर इल्जाम लगाते है। अगर आप को तसल्ली करनी है तो दफ्तर में जा कर कर लें कि पहले किस का नोटिस आया क्योंकि हर नोटिस पर वक्त दर्ज किया जाता है। जो आपने अखबार में पढ़ा है वही वाक्यात हैं, अब अगर आप आप सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कीजिए।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, मैं तो यही चाहता हूं कि अगर आप हिन्दी या हिन्दुस्तानी में कोई चीज नहीं कहने देना चाहते हैं तो यह कह दें ताकि मैं बार बार बीच में पड़ कर हाउस का वक्त जाया न करूं। अगर हिन्दुस्तानी में कोई बात कही जाए तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में करो, लेकिन जो बात अंग्रेज़ी में कही जाए अगर उसका अनुवाद हिन्दी में न किया जाए तो इसका मतलब यह है कि जो हिन्दी या हिन्दुस्तानी जानते हैं उनका यहां बैठना बेकार है सिवा इसके कि वह सुनते रहें और बैठे रहें।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है । सिवाय सवालों के, कि जब कोई सवाल हिन्दी में किया जाता है तो उसका जवाब हिन्दी में दिया जाता है और उसका अनुवाद अंग्रेजी में भी दिया जाता है, वरना जो कार्रवाई यहां होती है उसका हर एक चीज का तरजुमा अंग्रेजी में नहीं किया जाता । यहां पर मेम्बर साहिबान को और मिनिस्टर साहिबान को हिन्दी या अंग्रेजी में बोलने की पूरी आजादी है । इसी कायदे के मुताबिक मैं चल रहा हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : मैं आपका एक मिनट चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कहिए ।

श्री रामेश्वरानन्द : बात यह है कि अभी तक ऐसा हुआ हैं कि जो प्रश्न का उत्तर हिन्दी में दिया गया है उसका अनुवाद अंग्रेजी में अवश्य सुनाया गया है । मैं इसका विरोधी नहीं हूं क्योंकि जो भाई हिन्दी नहीं समझते हैं उनके लिए ऐसा किया जाना चाहिए । किन्तु इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि जो अंग्रेजी नहीं जानते उनके लिए हिन्दी में अनुवाद किया जाए । मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए । यह ठीक है कि आप लोगों के हाथ में शासन है, किन्तु यह चीज देर तक नहीं चलेगी, हम लोग भी यहां चुनकर आए है, आपसे अच्छी तरह से आए है खराब नहीं आए है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें किसी तरह का इम्तियाज नहीं हैं । पहले यहां सारी कार्रवाई अंग्रेजी में होती थी, अब हमें हिन्दुस्तानी को लाना है तो हर एक को उसे सीखना होगा । इसी लिए हम हिन्दी को आहिस्ता आहिस्ता लाने की कोशिश कर रहे है । इसमें किसी किस्म का इम्तियाज नहीं किया जा रहा है ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब...

†**श्री मोहसिन** (धारवाड़ दक्षिण) : क्या जाँच किसी गैर-रेलवे अधिकारी को नहीं सौंपी जा सकती ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : जी अधिकारी जाँच कर रहा है, वह रेलवे मंत्रालय का नहीं, परिवहन मंत्रालय का है ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, मैं एक सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी श्री नाथपाई को बुलाया है ।

श्री नाथ पाई : मैं वक्तव्य की प्रतीक्षा करूंगा ।

श्री बागड़ी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो देश में रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं इनके बारे में सोचने के लिए क्या वह कोई गैर-सरकारी बोर्ड कायम करने की तजवीज रखेंगे जोकि इन नुकायस को देख कर दूर कर सके और इन रात दिन के एक्सीडेंटों से देश को बचाया जा सके ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य को इल्म होगा कि एक कमेटी बनायी गई है जिसके सदर डा० कुंजरू हैं और इस हाउस के मेम्बर और राज्य सभा के मेम्बर उस कमेटी के मेम्बर हैं । ८ जून को उनकी पहली मीटिंग हुई है । उन्होंने एक क्वेश्चनेयर मुकम्मिल किया है और रेलवे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स्वर्ण सिंह]

एडमिनिस्ट्रेशन को और दूसरे आरगेनाइज़ेशन्स को भी जिनको वाकफियत है उनको वह लिख रहे हैं। जो चीज़ आनरेबिल सदस्य के मन में है उसी क़िस्म की एन्क्वायरी कमेटी दर असल कायम की जा चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी रिपोर्ट से ऐसी कुछ तजावीज़ निकलेंगी जिन से रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा पहुंचेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय का अनुसमर्थन

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : मैं बागान श्रमिकों के काम की दशा के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय (संख्या ११०) के अनुसमर्थन के बारे में एक वक्तव्य पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १८७/६२]

सभा के बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

पहला प्रतिवेदन

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फरुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन पेश करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें—जारी

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मांगों पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगा :

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : कुछ समय से औद्योकि उत्पादन में कमी होने की प्रवृत्ति शुरू हो गई है। इस का कारण कोयले का न मिलना है। सरकार को चाहिये कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि कोयला विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों को समय पर और नियमित रूप से पहुंच सके।

देश में उद्योगों को उचित रूप से वितरित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया और इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति का अनुसरण नहीं किया गया। इस से असंतुलन और भी बढ़ा है। क्या रोजगार केवल बम्बई, मद्रास और पश्चिम बंगाल तक ही सीमित रहा है ? उड़ीसा इस विषय में सब से पीछे है। पूंजी जिस तरह से केन्द्रित हुई है, उस से उद्योगों के वितरण को हानि पहुंची है। सरकार उन क्षेत्रों में विभिन्न उद्योग स्थापित करे, जिन की अब तक उपेक्षा की गई है। उद्योग, वाणिज्य और व्यापार बम्बई, कलकत्ता मद्रास और

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में केन्द्रित हैं । इनका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर पिछड़े हुए क्षेत्रों में पैदा किये जा सकें ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का काम सफलतापूर्ण नहीं रहा । उन की आय में कमी हो गई है । हमें जाँच करनी चहिये कि इस के कारण क्या हैं, क्या प्रबन्धक कर्मचारी उपयुक्त नहीं हैं या लागत का खयाल नहीं रखा जाता ।

राज्य व्यापार निगम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी निर्यात स्थिति बहुत गम्भीर है । यह आवश्यक है कि मशीनरी का आधुनिकीकरण किया जाये और निर्यात किये जाने वाले माल का गुणप्रकार निश्चित किया जाये । निगम ने नई मंडियाँ ढूंढ़ने और नई नई वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ काम नहीं किया । इस विषय की जाँच आवश्यक है । निगम की अपनी इमारत होनी चाहिये और इसे भारतीय नौवहन का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिये । निगम के पास लौह-अयस्क के व्यापार का एकाधिकरण प्राप्त है । अब मालूम हुआ है कि राज्य व्यापार निगम बिहार और उड़ीसा की खानों से अयस्क नहीं उठायेगी । इस समय ८ लाख टन अयस्क खानों के मुंह पर पड़ा हुआ है ।

†**श्री हेडा** (निज़ामाबाद) : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को पुनर्गठित कर दिया गया है । पुनर्गठन के समय पर यह अच्छा होता यदि इस को वाणिज्य और उद्योग के दो अलग अलग मंत्रालयों में विभाजित कर दिया गया होता ।

अब इस मंत्रालय में दो विभाग हैं । एक है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग और दूसरा उद्योग विभाग । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग से यह मालूम होता है कि इस का काम आयात और निर्यात से है, किन्तु वासत्व में ऐसा नहीं है । इस के अन्तर्गत वाणिज्य की बहुत सी मदें भी हैं । अतः इस का नाम इतना उचित नहीं है ।

इन दिनों हम निर्यात-आयात व्यापार को बहुत महत्व दे रहे हैं । इस सम्बन्ध में बिना विभाग के मंत्री की नियुक्ति का स्वागत है, यद्यपि यह कहना कठिन है कि उन के कर्तव्य क्या होंगे । निर्यात आयात व्यापार के सम्बन्ध में हम जापान और बेलजियम की ओर देख सकते हैं । जब तक हम इनकी तरह निर्यात की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न करेंगे तब तक हमारे लिये अपने निर्यात को बढ़ाना संभव नहीं होगा । भारत की प्रवृत्ति इन दो देशों की प्रवृत्ति के बिलकुल उलट है । हमें भी जापान और बेलिजयम की तरह निर्यातों का एक दीर्घकालीन कार्यक्रम और नीती बनानी चाहिए । भारतीय फर्मों की यह प्रवृत्ति है कि बहती गंगा में हाथ धो लो । वे एक दो वर्षों के लिए अपने कार्यक्रम बनाते हैं और अपने सौदे पूरे करने पर समाप्त हो जाती हैं । हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि निजी लिमेटिडकम्पनियों केबल निर्यात आयात के काम के लिए आगे आयें और दीर्घकालीन कार्यक्रम बनायें । हमें एसी फर्मों को प्रोत्साहन देना चाहिए ।

निर्यात किये जाने वाले माल का सर्वेक्षण और मूल्यांकन बहुत कड़ा होना चाहिए । भारतीय निर्यातक बहुत सी अनियमितताएं करते हैं । बहुत से निर्यातक ब्योरे के अनुसार माल नहीं भेजते । इससे हमारी बदनामी होती है और हमारे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इस लिए किसम पर भी बहुत कड़ा नियन्त्रण होना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति का एक बहुत चिन्ताजनक पहलू यह है कि कुछ राजनीतिज्ञ हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्रों के बीच विभेद की भावना पैदा कर रहे हैं । इस प्रकार की स्थिति और गैर-सरकारी तथा सरकरी उद्योग क्षेत्रों में समन्वय और सहयोग का अभाव ही मुख्यत : इस बात का उत्तरदायी है कि हमारी प्रगति बहुत धीमी रही है और सरकार स्थिति का पर्याप्त रूप से मुकाबला नहीं कर सकी ।

यदि हम चाहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र भी हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में रचनात्मक योगदान करे, तो हमें उसके बारे में गैर जिम्मेदाराना प्रचार बन्द कर देना चाहिये ।

मंत्री महोदय को हमें आश्वस्त करना चाहिये कि गैर-सरकारी क्षेत्र की इन आशंकाओं को दूर करने का भरसक प्रयास किया जायेगा । तभी उसके लिये देश में एक उचित वातावरण तैयार होगा । मैं तो समझता हूं कि हमारे देश के कई संसाधन अप्रयुक्त पड़े है ।

उदाहरण के लिये देश को पूंजी की आवश्यकता है पर देश में बहुत सा धन छिपाकर रखा हुआ हैं । उसे निकाल कर राष्ट्र की सेवा में लगाने के लिये कुछ किया जाना चाहिये । ऐसे लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करके उन का धन बाहर निकालने के लिये तैयार किया जाना चाहिये । ऐसा कोई कानून उन पर थोपने से लाभ नहीं होगा ।

हमें अपनी आर्थिक नीति सैद्धान्तिक कठमल्लेपन से निश्चित नहीं करनी चाहिये । यदि सरकारी क्षेत्र कुछ उद्योगों को शुरू करने की स्थिति में न हो, तो गैर सरकारी क्षेत्र को उसका अवसर दिया जाना चाहिये । यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये कि यदि सरकारी क्षेत्र कुछ उद्योगों को हाथ में नहीं ले सकता तो वे शुरू ही नहीं किये जायेंगे । दोनों क्षेत्रों को एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये ।

सरकार को छिपी हुई सम्पदा को निकालने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करनी चाहिये ।

आयात व्यवस्था के प्रति दूरदर्शिता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, तभी हम अपनी योजनाओं को सफल बना सकेंगे । आयात अनुज्ञप्तियां देने में पक्षपात नहीं करना चाहिये । इस के बारे में जनता में बड़ी आशंकायें है । फोटोग्राफी की वस्तुओं के आयात के लिये पिछले दस वर्ष से अनुज्ञप्तियां कुछ इस तरह दी जा रही है कि विदेशी समवायों को ही लाभ होता जा रहा है । अनुज्ञप्तियां देने का एक समुचित आधार निश्चित किया जाना चाहिये ।

जूट उद्योग में प्राथमिक उत्पादक मशीनों के लिये आयात अनुज्ञप्तियां देने में बड़े प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं ।

हाल का अनुभव बताता हैं कि हमें विदेशी ऋणों के रूप में अधिक पूंजी नहीं मिल सकेगी । विदेशी मुद्रा के अन्य संसाधन भी बड़े सीमित है । और, सभी जानते है कि हमारा वैदेशिक व्यापार आगे नहीं बढ़ पाया है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने इस सम्बन्ध में हमें काफी आशा बंधाई हैं । उनका भाषण सुनने में बड़ा अच्छा लगा । लेकिन उनको याद रखना चाहिये कि १९६०—६१ में भी १८ से २० करोड़ की न्यूनता थी । फिर हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिये प्रति वर्ष लगभग ४० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा पाने की आशा कर सकते है ? अधिक विदेशी

---

†मूल अंग्रेजी में

मुद्रा कमाने और देश में अधिक विदेशी पूंजी लगाने के लिये देश की अपनी उत्पादन प्रक्रिया और विनियोजन-व्यवस्था की कार्यक्षमता तथा प्रभावशाली बनाने का प्रयास करना चाहिये।

वर्तमान गतिविधि को देखते हुए, मुझे लगता है कि योजना काफी महत्वाकांक्षापूर्ण है और उसके लक्ष्य पूरे करना इतना आसान नहीं होगा।

हमारे वैदेशिक व्यापार की मूल कठिनाई उद्योग के लागत-ढांचे की है। हम उत्पादन की लागत घटाने का प्रयास पिछले तीन वर्ष से करते आ रहे हैं, पर हमें उस में अधिक सफलता नहीं मिल सकी है। यह हमारे योजनाकारों की असफलता है। अब सरकार इस समस्या को हल करने पर तुल गई है, इसी से कुछ आशा बंधती है।

एक दूसरी बड़ी समस्या है—देश में संस्थापित क्षमता के एक भाग के अप्रयुक्त, बेकार पड़े रहने की। इस समस्या का ढंग से अध्ययन करने की कोशिश भी नहीं की गई है। अनेक ऐसे उद्योग है जिन का संस्थापित क्षमता का ५० प्रतिशत भाग अप्रयुक्त, बेकार पड़ा रहता है। यह संसाधनों का अपव्यय है। मशीनें जितने समय काम करती हैं, उसका ४१ प्रतिशत भाग छोटे-मोटे कामों, जैसे निरीक्षण, पुर्जे ठीक करने और मरम्मत इत्यादि में खप जाता है। इस सम्बन्ध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिये गये आंकड़ों को ही आधार बनाना पड़ेगा। वे आंकड़े आठ घंटे की पाली और साल में ३०० दिन के काम के आधार पर बनाये गये हैं। हमारे जैसे विकासशील देश के लिये यह अपर्याप्त है। हमें आठ घंटे के काम के दिन और वर्ष में ३०० दिन के काम-दिनों में कुछ वृद्धि करनी चाहिये। इसके लिये कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहिये।

देश में ऐसे सैंकड़ों उदाहरण देखने में आते हैं कि औद्योगिक उपोत्पाद के उपयोग की ओर ध्यान न देने से वे अप्रयुक्त रहते है। उनका उपयोग नहीं हो पाता। यह योजनीकरण के सिद्धान्त से कतई मेल नहीं खाता। उनका लाभदायक तरीके से उपयोग किया जाना चाहिये।

सरकारी उपक्रमों के लिये संसद् की एक स्थायी समिति बनाने का मैं स्वागत करता हूं। इस से बहुत लाभ होगा।

साथ ही सरकारी उपक्रमों की कार्यक्षमता पर विचार करने के लिये लेखा-परीक्षा की विशेष समितियां गठित की जानी चाहिये। सरकारी उपक्रमों को स्वायत्तता तो दी जाये, पर उनको संसद् के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिये। कर-दाताओं के प्रति उनका एक निश्चित दायित्व है। मैं प्राक्कलन समिति के इस सुझाव का भी समर्थन करता हूं कि सरकारी उपक्रमों के कुल विनियोजन का २५ प्रतिशत भाग जनता के लिये खुला रहना चाहिये। माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में क्या करना चाहते है ?

भारतीय मानक संस्था पर उपभोक्ताओं का विश्वास नहीं जमता। उस में भाई-भतीजावाद और पक्षपात का बोलबाला है। हमने पहले उसके लिये ५ लाख रुपये की मंजूरी दी थी, लेकिन अब २० लाख रुपये की मंजूरी दे दी हैं। फिर भी उसका कार्य उत्साहवर्धक नहीं रहा है। संगठन में कई त्रुटियां है।

आशा है माननीय मंत्री इन सभी बातों पर ध्यान देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री हेम राज

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री हेम राज (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया हैं। स्माल टी ग्रोअर्स का मामला मैं आज सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेरे से पहले अपने किसी भाषण में यह मामला साउथ के किसी मेम्बर साहब ने रखा था। स्माल टी ग्रोअर्स का यह मामला खास तौर से पंजाब के पहाड़ी इलाके और मद्रास के नीलगिरी हिल्स से ताल्लुक रखता है। यह दोनों इलाके जहां कि चाय पैदा होती है पहाड़ी है। जहां तक हमारे पंजाब का ताल्लुक हैं यहां पर छोटी छोटी टी इस्टेट्स है जिन की कि तादाद १५०० के करीब है और उनका ऐरिया कोई ५ एकड़ से लेकर ज्यादा से ज्यादा ५० एकड़ तक है। यह टी इंडस्ट्री पंजाब में काटेज इंडस्ट्री की बेसिस पर चलती है। यह इंडस्ट्री खास तौर पर कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके में हैं। यह यहां की काटेज इंडस्ट्री है। बड़ी मशीनें भी नहीं है और आम तौर पर हाथ से काम चलता हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से और टी बोर्ड की तरफ से इसके प्रति अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। टी बोर्ड की तरफ से कुछ कर्जे मंजूर किये गये थे, ग्रान्ट्स मंजूर की गई थीं लेकिन आज तक वह खर्च नहीं की गईं। वहां पर चाय का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जहां ११ या साढ़े ११ लाख के करीब प्रोडक्शन था अब की फीगर्स यह बतला रही है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है और वह १० लाख तक पहुंच गया हैं। जहां चाय की पैदावार घट रही है वहां उस की प्रोडक्शन कास्ट बढ़ रही हैं। उस के साथ साथ कीमत जो वसूल हो रही है वह भी कम है। अमृतसर मार्केट से इस वक्त जो फीगर्स ली गई हैं उन के मुताबिक उसकी कीमत १ रुपये १९ नये पैसे पर पाउंड चलती है। आज कल उसके ऊपर ऐक्साइज ड्यूटी बढ़ गयी है। ऐक्साइज ड्यूटी लगाने का जो कायदा उन्होंने रखा है और जोन्स जो बनाये है उनका नतीजा यह हुआ है कि हमारी जो ग्रीन चाय है उसकी यह हालत है कि बहुत सारी चाय जो वहां पर तैयार होती है उस में से ५० प्रतिशत या तो अमृतसर मार्केट में पड़ी है या हमारे जो स्माल टी ग्रोअर्स हैं उनके पास पड़ी है। हमारी चाय अफगानिस्तान में बिकती थी। अफगानिस्तान एक ऐसा मार्केट था जहां कि हम उसको भेजते थे। अब लैंड रूट तो बन्द हो गया है और चूंकि हवाई जहाज द्वारा भेजी जाती है इसलिए बहुत खर्चा पड़ता है। लैंड रूट से भेजने में जहां २ आने फी पाउंड का खर्चा पड़ता था अब इंडियन एयर लाइंस के जरिए भेजने में वह खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी के साथ साथ आप ने टी पर एक्साइज ड्यूटी जो कि जोन नम्बर एक में पहले ५ पैसे थी अब उस को १५ पैसे कर दिया है और जिसका कि नतीजा यह हुआ है कि यह चाय मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकती।

टी बोर्ड ने प्रोडक्शन के लिहाज से जोन्स् बनाये हैं। एक्साइज ड्यूटी जो लगाई हैं वह उन्होंने वेट के हिसाब से लगाई है। मैं चाहता हूं कि यह जोन्स् इस लिहाज से बनाये जायें कि वहां पर प्रोडक्शन कितना होता है और उस की प्राइस वहां पर कितनी वसूल होती है। इस लिहाज से देखा जाय और जो कांगड़ा के टी गार्डेंस हैं और नीलगिरी के टी गार्डेंस हैं उनकी जुदा जोन्स् बनाई जायें। इस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। यह जोन्स् तबदील करने चाहिएं ताकि यहां की ग्रीन टी मार्केट मे चल सके और यहां के टी गार्डेंस आगे तरक्की कर सकें। इस के लिए मैं एक तजवीज यह रखना चाहता हूं कि वह चाय जिसकी कि कीमत ३ रुपये पौंड से कम हो उस पर किसी किस्म की एक्साइज ड्यूटी न रखी जाय। इस के साथ साथ मैं यह चाहता हूं कि कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाय जिससे यह ग्रीन टी का अफगानिस्तान जाने का जो मामला हैं वह ठीक तरह से हल हो सके। कोई और तरीका ट्रान्सपार्ट का हो या कोई ऐसी सबसिडी हिन्दुस्तान की सरकार दे जिससे कि जो किराया टी ग्रोअर्स को देना पड़ता है उस सबसिडी से वह किराया कम हो जाय ताकि उनकी चाय अफगानिस्तान में जा कर बिक सके।

एक और बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूं । टी बोर्ड की तरफ से ग्रान्ट्स और लोन्स वगैरह बाकायदा नहीं मिलते हैं । जो रुपया दो साल पहले और पिछले साल मंज़ूर किया गया वह भी खर्च नहीं किया गया । अगर यही हालत रही तो यह काम ठीक से नहीं चल पायेगा और फलस्वरूप यह टी गार्डन्स बन्द हो जायेंगे क्योंकि उन की टी बुशेज १०० साल पुरानी हो चुकी हैं । इन टी गार्डंस और जो टी इंडस्ट्री यहां पर चलती है उस में करीब १०,००० के लेबर काम कर रही है। अगर इस इंडस्ट्री को कायदे से चलाना है और उन हजारों आदमियों को बेकार नहीं करना है तो मैं यह चाहूंगा कि इस के लिये वहां पर आप कम्पलसरी कोआपरेटिव्स बना दीजिये ताकि वहां के स्माल टी ग्रोअर्स इन कोआपरेटिव्स में चले जायें । उस सूरत में ही यह इंडस्ट्री बच सकेगी ।

इसलिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि ट्रान्सपोर्ट चार्जेज मीट करने के लिये उन को सबसिडी दी जाय । जो जोन्स बनाये गये हैं उन को तबदील किया जाय और वह वहां की प्रोडक्शन कौस्ट प्रतिपौंड, प्रोडक्शन प्रति एकड़ और जो वहां प्राइस प्रति पौंड वसूल होती है उस के मुताबिक बनाये जायें ।

एक बात मैं आप के सामने और अर्ज़ करना चाहता हूं और वह यह है कि हम ने यह एक कायदा अथवा सिद्धान्त थर्ड फाइव इयर प्लान में रक्खा था कि यह रीजनल डिस्पैरिटीज फौर दी परपज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कम से कम रक्खी जायेंगी । इस लिहाज से हमारे पंजाब के साथ बहुत अच्छा स्लूक नहीं किया जाता है । पंजाब में कोई हैवी इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जाती हैं । पंजाब के लिये पबलिक सैक्टर में सिर्फ मशीन टूल्स फैक्टरी की बात रक्खो गई है बाकी उस लिहाज से कोई हैवी इंडस्ट्री पंजाब मे नहीं लगाई गई है । स्टेट सैक्टर में दो और फैक्टरियाँ लगाई जा रही थीं । हमारे पंजाब के पहाड़ी एरियाज में दो फैक्टरीज के लगाने का टार्गेट रक्खा गया था । एक सीमेंट फैक्टरी और एक न्यूज़प्रिंट फैक्टरी कांगड़ा में लगाने की बात थी लेकिन उन को आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी एरिया में न लगा कर प्लेन्स में लगाया जा रहा है । दरअसल हो यह रहा है कि लिप सिम्पैथी तो हम पहाड़ वालों के साथ की जाती है । लेकिन अमल कुछ नहीं किया जाता है । यह चीज वहां पर चल रही है । यह सारा रा मैटीरियल, चाहे वह सीमेंट के लिये हो या न्यूज़प्रिंट के लिये हो कांगड़ा से लाया जा रहा है । इसी तरह से कुल्लू की पहाड़ियों से फर ट्रीज की लकड़ी लाई जा रही है । सामान तो सारा वहां से लाया जा रहा है और यह फैक्टरीज़ लगाई जा रही हैं प्लेन्स के अन्दर । इस से वहां की पहाड़ी जनता में बहुत अधिक असन्तोष फैला हुआ है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि इस सवाल को ले कर हमारे इलाक में कोई एजीटेशन हो । वह एक बार्डर एरिया है और इसलिये मैं खुद नहीं चाहता कि वहां पर इस बारे में कोई एज़ीटेशन किया जाये, लेकिन मैं यह ज़रूर चाहता हूं कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह वहां पर ऐसे हालात न पैदा करे, जिस से लोगों में असंतोष हो और वे यह महसूस करने लगें कि इंडस्ट्रीज कायम करने के बारे में हमारे इलाके के साथ इन्साफ़ नहीं हो रहा है और इस सवाल को ले कर किसी किस्म का एजीटेशन हो ।

अध्यक्ष महोदय : यहीं पर एज़ीटेशन नहीं शुरू हो जाना चाहिये ।

श्री हेम राज : इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये दोनों फैक्ट्रीज, जिन के लिये पंजाब के थर्ड फ़ाइव-यीअर प्लान में रुपया रखा गया है, खास तौर से पहाड़ों में, कांगड़े में, लगाई जायें, जहां पर उन के लिये कच्चा माल उपलब्ध है ।

इस बारे में एक उज्र यह किया जाता है कि कांगड़ा में ये फ़ैक्ट्रीज इसलिये नहीं लग सकतीं कि वहां पर ट्रांस्पोर्ट की व्यवस्था नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है । इस पर मुझे बहुत हैरानी होती है । मैं पूछना चाहता हूं कि जब काश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज कायम की जा सकती हैं,

[श्री हेमराज]

जहां पर रेलवे लाइन नहीं है, तो फिर कांगड़ा में, जहां ज़ोगेन्द्रनगर तक रेलवे लाइन जाती है, इंडस्ट्रीज क्यों नहीं शुरू की जा सकतीं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस किस्म के उज्र को नजर-अन्दाज कर के ये फैक्ट्रियां जिला कांगड़ा में ही लगाई जायें।

इस के अलावा एक खास बात यह है कि पंजाब के सारे जंगलात का ९/१० हिस्सा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां से सारे का सारा रेजिन पंजाब में आता है। वहां पर एक रेजिन की फ़ैक्ट्री बहुत अच्छी तरह लग सकती है, लेकिन आज तक उस तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह वहां पर रेजिन फ़ैक्ट्री लगाने के विषय में विचार करें।

पहाड़ों में अन-एम्पलायमेंट उसी सूरत में दूर हो सकती है कि वहां के लोकल कच्चे माल का, रा मैटीरियल का, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाये। वहां पर रा वूल है। बहुत दिनों से यह बात चल रही है कि एक इम्प्रूव्ड वूलन चर्खा मार्केट में आ जाये लेकिन मुझे पता नहीं कि कब से इस बारे में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और कब तक वे पाया-तकमील तक पहुंच जायेंगे, मुकम्मल हो जायेंगे। इस तरफ भी ध्यान दिया जाये और एक इम्प्रूव्ड वूलन चर्खा तैयार कर के मार्केट में लाया जाये। अगर वह चर्खा बिजली से चल सके, तो बेहतर होगा। उस से बहुत ज्यादा प्राडक्शन हो सकेगा वहां का कच्चा माल इस्तेमाल हो सकेगा और वहां की अन-एम्प्लायमेंट भी दूर हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे समय दिया।

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुजा) : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने निर्यात व्यापार के संवर्धन के लिये कई उपाय बताये हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि पिछले दस वर्ष में पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ हमारा व्यापार काफ़ी बढ़ गया है। पूर्वी यूरोप ही नहीं, अफ़्रीका के अनेक देशों, एशिया और लैटिन अमरीका में भी अनेक देशों के साथ हमारा निर्यात व्यापार बढ़ाया जा सकता है। उस के लिये काफी गुंजाइश है। आवश्यकता वास्तव में निर्यात व्यापार में अधिक विविधता पैदा करने की है।

हमें ब्रिटेन जैसे देशों पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिये। आवश्यकता इस बात की है कि अपने पुराने व्यापारिक सम्बन्धों पर निर्भर रहने की बजाय नये-नये देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने की कोशिश की जाये। वह ज्यादा लाभदायक रहेगा।

देश के लिये नारियल जटा उद्योग काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी हालत बड़ी दयनीय है। उसका मुख्य कारण यह है कि पिछले दस वर्षों में उसका बहुत सा विदेशी बाजार खत्म हो गया है।

नारियल जटा बोर्ड की स्थापना १९५४ में हुई थी। पर वह निर्यात संवर्धन में अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाया है।

मुख्य कठिनाई यह है कि नारियल जटा के सूत का अनियंत्रित निर्यात विदेशों को कर दिया जाता है। उसे बन्द किया जाना चाहिये। साथ ही, भाड़े की दरें भी कम की जानी चाहियें। और जब तक भाड़े की दरों में कोई कमी नहीं होती, तब तक सरकार को नारियल जटा की वस्तुओं के निर्यात को सरकारी सहायता दी जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल जटा उद्योग के कर्मचारियों के विभिन्न कार्मिक संघों की मांग है कि एक नारियल जटा व्यापार निगम स्थापित किया जाये। वह उद्योग को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद दे सकता है।

दूसरा प्रस्ताव है नारियल जटा की वस्तुओं के उद्योग को भी उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाये।

और भी एक प्रस्ताव यह है कि उद्योग के क्षेत्र में सहकारी समितियों का संगठन किया जाये और उन को हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाये।

यह केवल केरल का प्रश्न नहीं है। प्रश्न पूरे तटीय प्रदेश का है। और उस प्रदेश के व्यापार की रीढ़ नारियल जटा उद्योग ही है। वही संकट में है। इसलिये सरकार को संकट की गम्भीरता महसूस करनी चाहिये। माननीय मंत्री को स्वयं एक बार वहां जा कर हालत देखनी चाहिये।

श्री कप्पन ने हमारे राज्य की समस्या की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया है। सामान्य समस्या राज्य के पिछड़ेपन की है। यदि केरल शेष भारत के विकास के स्तर पर आना चाहे, तो उसे कम से कम १,००० करोड़ रुपये के विनियोजन की आवश्यकता पड़ेगी।

फाइटो-रासायनिकों के उद्योग को नेरियामंगलम् में शुरू करने के प्रश्न पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। उस के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी उत्तर सभा में दिये गये हैं।

आप जब भी सरकारी क्षेत्र में नये उद्योग खड़े करने के प्रश्न पर विचार करें, आप को केरल का ध्यान रखना चाहिये। केरल की आम जनता भारतीय संघ से अलग होने की बात नहीं सोचती। वह केवल इतना चाहती है कि पिछड़े हुए प्रदेशों के विकास के सम्बन्ध में जो नीति औद्योगिक नीति संकल्प में रखी गई है, उसे कार्यान्वित किया जाये। इस से अधिक कुछ नहीं।

आशा है माननीय मंत्री इन पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं इस मंत्रालय के उद्योग पक्ष के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

हमारे उद्योग की मुख्य समस्या किस्म और लागत की है। उत्पादों की किस्म बेहतर बनाने और उत्पादन की लागत कम करने के लिये गम्भीरता के साथ प्रयत्न किये जाने चाहियें। तभी आंतरिक खपत और निर्यात व्यापार में वृद्धि की जा सकती है।

सरकार को उत्पादों के मूल्य का किसी न किसी तरह नियंत्रण कर के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी चाहिये। सरकार को लागत के सम्बन्ध में अनिवार्य पर्यवेक्षण की कोई व्यवस्था चालू करनी चाहिये।

कुछ वर्ष पहले उद्योग मंत्री ने कहा था कि सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। यदि ऐसा है तो अधिनियम में ऐसी शक्ति ग्रहण करने के लिये संशोधन किया जाना चाहिये। श्री मनुभाई शाह ने हमें बेबी कार के निर्माण की परियोजना के सम्बन्ध में आश्वासन दिया था। पता नहीं उसका क्या हुआ।

†**श्री मनुभाई शाह** : वह भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह**: मंत्रालयों में कार्यों का विभाजन भी तो किसी उचित आधार पर किया जाना चाहिये ।

उस परियोजना पर एक वर्ष से विचार हो रहा है, पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है ।

श्री स्वर्ण सिंह ने घोषणा की थी कि किसी भी अधिकारी को सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के चार से अधिक बोर्डों का सदस्य नहीं बनाया जायेगा । लेकिन कुछ अधिकारी तो ९ बोर्डों के सदस्य हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : ९ नहीं, ३–४ बोर्ड ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं इस प्रतिवेदन से सिद्ध कर सकता हूं ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : इसका निर्णय तो इस प्रतिवेदन को पटल पर रखने के बाद किया गया था ।

†**श्री अ० चं० गुह** : यदि कुछ सुधार हुआ है, तो बड़ा अच्छा है ।

हथकरघों और बिजली से चलने वाले करघों से संबंधित नीति स्पष्ट की जानी चाहिये । कुछ पत्र, जो परिचालित किये गये हैं, कहते हैं कि बिजली के अधिक करघों की अब अनुमति नहीं दी जायेगी लेकिन दूसरी और तृतीय योजना में हथकरघों को बिजली के करघों में बदलने के लिये ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था मौजूद है ।

वास्तव में बिजली से चलने वाले करघों की संख्या की वृद्धि पर कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिये ।

हथकरघा उद्योग में सहकारी इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

साथ ही यह भी आवश्यक है कि हथकरघा मजदूरों के शोषण को रोका जाये । बिचवाई करने वाले लोग उनका बड़ा शोषण करते हैं । यह तभी किया जा सकेगा, जब सरकार उनको सीधे ही सूत देने लगे ।

हमारा उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करना और सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण रोकना है । अनुज्ञप्तियां देने की नीति इसी को सामने रखकर बनाई जानी चाहिये । परम आवश्यक है कि इस क्षेत्र में नये लोगों को अवसर दिया जाना चाहिये ।

पटसन के आयात के क्षेत्र में सब से बड़ी कठिनाई कच्चे पटसन के मूल्यों के उतार-चढ़ाव की है । इस लिये राज्य व्यापार निगम को निर्माताओं को कच्चे पटसन का संभरण करने का प्राधिकार दिया जाना चाहिये ।

सरकार को इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये कि राज्य व्यापार निगम को कच्चे पटसन के निर्यात का काम भी सौंपा जा सकता है या नहीं ।

हमारे निर्यात व्यापार के विस्तार सम्बन्ध में मुदालियर समिति ने कई ऐसी भी सफारिशें की हैं, जो सरकार की घोषित नीतियों के विरुद्ध हैं । उन सुझावों को मानने से भी कोई लाभ नहीं हो सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

किस्म के नियंत्रण के लिये हमें निर्यात के लिये जहाज पर माल लदने के समय ही सभी वस्तुओं की किस्म की बारीकी से जाँच कर लेनी चाहिये। इसके बिना निर्यात व्यापार के क्षेत्र में हमारी वस्तुओं की साख नहीं बन पायेगी।

कहा गया है कि ब्रिटेन को हमारे यहाँ से होने वाले चाय के निर्यात में कोई कमी नहीं आई है। यह बात गलत है। निर्यात कम हुआ है। इसलिये हमें चाय के निर्यात के बारे में अधिक सतर्क रहना चाहिये ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मंत्रालय के अनुदानों की माँगों का विषय बड़ा ही विस्तृत है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है क्यों कि माननीय सदस्यो का ध्यान केवल इन्हीं मामलो पर नहीं जाता जो प्रत्यक्ष रूप से इस मंत्रालय के अधीन हैं अपितु उनकी ओर भी आकर्षित होता है जो प्रत्यक्ष रूप से अन्य मंत्रालयों के अधीन हैं किन्तु उनका प्रभाव देश की औद्योगिक नीति तथा प्रोग्राम पर पड़ता है। मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मंत्रालय के प्रशासन के कुछ पहलुओं की सराहना की है, या कुछ रचनात्मक सुझाव दिये हैं या थोड़ी अथवा कटु टीका टिप्पणी की है। इन सब से हमें समस्याओं को ीक से समझने और ठीक कार्यवाही करने में सहायता मिलेगी। जहाँ तक सरकार की औद्योगिक नीति और समय समय पर बनाये गये औद्योगिक प्रोग्रामों का संबंध है, उनका सब का उद्देश्य समाजवादी ढंग का समाज बनाना है देश में उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिये चाहे सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें बनाना हो, या गैर सरकारी उद्योगों को बढ़ावा देना हो, या छोटे पैमाने, ग्राम या कुटीर उद्योग आरम्भ करने हो, इन सब में औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प पर ही कार्य होता है इन सब का उद्देश्य समाजवादी ढंग का समाज बनाना है ।

पिछले दिन इस चर्चा को आरम्भ करने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि यदि हमने विदेशी कम्पनियों या विदेशियों की कम्पनियों या उनके द्वारा चलाई जाने वाली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर लिया होता, तो हम विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को संभाल सकते थे। निःसंदेह इस प्रभुता सम्पन्न सरकार को किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार है। परन्तु हमारार उद्देश्य तो अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने का है। यदि हम अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करना चाहते हैं और उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो नीति विद्यमान उद्योगों का जिनमें उत्पादन होता है, राष्ट्रीयकरण करने की नहीं अपितु उत्पादन बढ़ाने वाले उद्योग खोलने की होनी चाहिये। अतः विदेशी उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करने और उत्पादन बढ़ाने के चुनाव करना स्पष्ट है कि उत्पादन बढ़ाया जाये।

अन्य माननीय सदस्य ने, शायद वह श्री याज्ञिक थे, देश के औद्योगीकरण प्रोग्राम में विदेशी विनियोजन की कटु आलोचना की थी। वर्ष १९४९ में प्रधान मंत्री ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि भारतीय पूंजी की विदेशी पूंजी से अनुपूर्ति होने की आवश्यकता है क्योंकि जिस पैमाने पर हम देश का शीघ्र विकास करना चाहते हैं उसके लिये हमारी राष्ट्रीय बचत पर्याप्त न होगी और फिर अनेक मामलों में वैज्ञानिक, टेक्निकल और औद्योगिक जानकारी एवं पूंजीगत सामान विदेशी पूंजी के साथ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा था कि सरकार अपनी नीति ऐसी बनायेगी कि भारत में और विदेशी पूंजी ऐसी शर्तों पर लगाई जा सके जो दोनों देशों के लिये लाभप्रद हों। श्रीमान्, औद्योगिक विकास में विदेशी पूंजी के विनियोजन की नीति इस कथन के अनुसार है। जिन उद्योगों की स्थापना के लिये विशेष जानकारी की आवश्यकता है और जिनके लिये हमारे पास विदेशी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रेड्डी]

मुद्रा कम है, केवल उन्हीं उद्योगों के लिये विदेशी मुद्रा स्वीकार की जाती है। और वे उद्योग आरम्भ किये जाते हैं।

जब भी विदेशी मुद्रा देश के औद्योगिक प्रोग्राम में भाग लेने के लिये माँगी जाती है, उस पर औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के विभिन्न उपबन्ध लागू होते हैं। और भी अनेक अधिनियम हैं, जो विदेशी विनियोजन से स्थापित होने वाले उद्योगों के कुछ पहलुओं पर लागू किये जा सकते हैं।

इस समय मैं विदेशी विनियोजन के एक दो पहलुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रति वर्ष विदेशी सहयोग तथा विदेशी विनियोजन के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष इस प्रकार के लगभग ४०० मामले थे और इनमें से अधिकतर में भारतीय सहयोग भी रखा गया है और इनमें विदेशी सहयोग अल्प मात्रा में है। विदेशी सहयोग की अधिकता बहुत ही थोड़े मामलो में है। पिछले वर्ष ऐसे मामले लगभग १४ थे और ऐसा अपवाद स्वरूप ही होता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम गैर-सरकारी विदेशी मुद्रा बहुत ही खास मामलों में स्वीकार करते हैं। अतः इस नीति से हमें देश का अधिक विविधतापूर्ण औद्योगीकरण करने में सहायता मिली है। इस से उत्पादन बढ़ा है और जब तक हमें ऐसी पूंजी को नियमित करने का अधिकार है, तब तक डर की कोई बात नहीं है।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : यहाँ काम कर रहे विदेशी बैंकों और सामान्य बीमा कम्पनियों के बारे में क्या है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : हाँ, वे हैं। वे पहिले से ही चल रहे हैं। उदाहरणार्थ, चाय, आदि के बागों में बहुत विदेशी पूंजी लगी है। हो सकता है कि बैंकों और कुछ वाणिज्यिक उपक्रमों में भी काफी विदेशी पूंजी लगी हो। जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूं कि यदि हम उनका राष्ट्रीयकरण करते हैं, तो हमें उनको प्रतिकर देने में अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करना होगा। जिसके लिये हम अपने संविधान के अधीन वाध्य हैं। ऐसी स्थिति में हम प्रतिकार के रूप में जाने वाले धन का प्रयोग नये उद्योग खोलकर उत्पादन बढ़ाने के लिये नहीं कर सकते।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़ा) : संविधान में संशोधन हो सकता है।

†**श्री क० च० रेड्डी** : हां, श्रीमान्, वर्ष १९६१ में औद्योगिक उत्पादन दर का उल्लेख किया गया है और आलोचना की गई है कि पहिले के वर्षों में उत्पादन की दर की अपेक्षा इस वर्ष दर कम हो गई है। वर्ष १९५९ में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर लगभग ८·७ प्रतिशत थी और १९६० में यह लगभग १२.१ प्रतिशत थी। वर्ष १९६१ में वृद्धि की दर उस से कुछ कम रही। किन्तु साथ ही यह याद रखना चाहिये वर्ष १९५८ में वृद्धि की दर केवल १·७ प्रतिशत थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में वृद्धि की दर बढ़ गई थी क्योंकि पहिले जो कुछ परियोजनाएं स्थापित की गई थीं उन में वर्ष १९६० में उत्पादन आरम्भ हुआ और उस से वर्ष १९६० में वृद्धि की दर बढ़ गई। दूसरी योजना काल में विस्तार की समूची दर लगभग ७ प्रतिशत थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में उत्पादन में देशनांक लगभग १३९ थे। दूसरी योजना के अन्त में ये आंकड़े लगभग १९० थे। आशा है कि तीसरी योजना के अन्त में ये आंकड़े बढ़ कर उत्पादन के सामान्य देशनांक लगभग ३२९ हो जायेंगे। अतः आशा है कि तीसरी योजना के अन्त में उत्पादन देशनांक लगभग ७० प्रतिशत बढ़ जायेगा और आशा है कि वृद्धि की दर बाद के वर्षों में अधिक रहेगी। हालांकि संभव है कि पहिले वर्षों में यह दर कम रही हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछले वर्ष की परिस्थितियां कुछ असाधारण थीं। जूट के कपड़े का उत्पादन ६ से १० प्रतिशत हो गया था क्योंकि कच्चे जूट की फसल मारी गई थी। सूती कपड़े के उत्पादन में भी बहुत थोड़ी वृद्धि हुई थी। इन कारणों से वर्ष १९६१ में वृद्धि की दर पिछले वर्षों की अपेक्षा कम रही। परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि देश में उचित परिस्थितियां हों तो देश तीसरी योजना के अन्त तक आशातीत वृद्धि प्राप्त कर सकेगा।

यह सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर निर्भर करता है जोकि पूरी करनी होगी। सभा माननीय वित्तीय मंत्री से विदेशी मुद्रा की हमारी कठिनाई के बारे में सुन चुकी है परन्तु इस से हमें निराश नहीं होना चाहिये। इस कठिनाई को दूर करने के लिये यथासंभव कार्यवाही की जा रही है। वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि यद्यपि हमारे संसाधन पौंड पावना से अधिक हैं, किन्तु हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम उस में से धन न निकालें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह घोषणा की गई है कि उक्त विदेशी मुद्रा के लिये केवल सुस्थापित आयातकर्ताओं को लाइसेन्स दिये जायेंगे और 'रेड बुक' में उल्लिखित स्तर के आधी मात्रा के लिये दिये जायेंगे। इस से पुर्जों, उपभोक्ता वस्तुओं आदि के लिये अच्छे लाइसेन्स दे कर लगभग १२ करोड़ रु० की बचत होगी। वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को कच्चे सामान के लाइसेन्स भी कम करने होंगे। इस क्षेत्र में १० से १५ प्रतिशत कटौती की जायेगी।

इन कटौतियों के कारण आशा है कि मूल्यों मे एकदम वृद्धि नहीं होगी और सुव्यव्यवस्थित आयातकर्ता मल्य बढ़ा कर स्थिति से अनुचित लाभ नहीं उठा सकेंगे। जब तक कि अत्यधिक बाध्यकारी कारण न हो और वह भी उचित हो, तब तक मूल्यों में ऐसी वृद्धि उचित नहीं है। हो सकता है कि जिन वस्तुओं का आयात कम कर दिया गया है उन का उत्पादन देश में अधिक मात्रा में किया जा सके, जैसे पुर्जों आदि का।

वर्तमान विदेशी मुद्रा-स्थिति का देश के औद्योगीकरण प्रोग्राम पर जो प्रभाव पड़ेगा उस का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। सच यह है कि कुछ परियोजनाओं पर इस का प्रभाव न पड़ेगा। जिन परियोजनाओं के लिये हमें सहायता प्राप्त हो चुकी है उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपितु कुछ अन्य परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। आशा है कि वर्तमान संकट को पूरा करने के लिये की जाने वाली जिन विभिन्न कार्यवाही की घोषणा की गई है, उस का औद्योगिक उत्पादन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हमारे देश में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों का विकास हो रहा है। दूसरी योजना में लगभग १५०० करोड़ के विनियोजन में से लगभग ८०० करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र में लगाये गये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल लगभग ३००० करोड़ रुपये के लगाये जाने का अनुमान है जिस में से लगभग १,८०० करोड़ रुपये सरका ी क्षेत्र में लगाये जायेंगे। इस से पता लगता है कि सरकारी क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। मेरा ख्याल है कि डा० सिंघवी ने देश के औद्योगीकरण प्रोग्राम में गैर-सरकारी उद्योगों के भाग के लिये डर व्यक्त किया था। मेरा ख्याल था सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में यह मतभेद सुलाया जा चुका है और सरकारी क्षेत्र ने यह स्वीकार कर लिया है कि उसे देश के औद्योगीकरण में क्या भाग लेना है। मेरा यह भी ख्याल था कि उसे देश की घोषित नीति और प्रोग्राम के बारे में कोई भारी शिकायत नहीं है।

हमें याद रखना होगा कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सरकारी क्षेत्र का विकास गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये सहायक ही सिद्ध होता है। सरकारी क्षेत्र में जो मशीनों इत्यादि के उत्पादन का कार्य तथा अन्य परियोजनाओं को चालू किया गया है, उस के परिणामस्वरूप गैर-सरकारी कार्यक्रमों को भी उभरने का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत से गैर-सरकारी

[श्री क० च० रेड्डी]

उपक्रमों को उभरने का मौका मिला है। यह उपक्रम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र ने अपना बहुत सा दायित्व निभाना है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि सरकारी क्षेत्र का कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहा। इस के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी तर्कसंगत बातों से यह सिद्ध किया है कि सरकारी क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है उस का परिणाम बहुत ही अच्छा रहा है। मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत १६ उपक्रम सरकारी क्षेत्र में चल रहे हैं। इन में से केवल ७ उपक्रम वास्तव में उत्पादन की स्थिति में हैं। शेष भी प्रारम्भिक अवस्था में ही हैं। इन सात उपक्रमों में, मेरे पास जो आंकड़े हैं, उन के अनुसार लाभ १५ प्रतिशत फैलता है। सभी को मिला कर तो कुछ अधिक ही होगा। अतः यह कहना ठीक नहीं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे। जब सभी उपक्रम पूरी तरह उत्पादन करने के योग्य हो जायेंगे तो हम कुछ कह सकेंगे कि इस दिशा की सफलताओं का स्पष्ट चित्र क्या है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम सरकारी क्षेत्र की गतिविधि की पूरी जानकारी नहीं दे रहे। और उस का उल्लेख अपने वार्षिक प्रतिवेदन में नहीं किया है। इन उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतिलिपि समय समय पर सभा पटल पर रख दी जाती है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को देश के यथासम्भव अधिक से अधिक भागों में स्थापित करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया गया है, परन्तु कुछ आर्थिक तत्वों, जैसे कच्चे माल का मिलना, उपभोक्ता बाजारों का निकट होना, बिजली और पानी की सुविधाओं इत्यादि का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। उद्योगों के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास की ओर भी ध्यान देना पड़ता है। केरल और आन्ध्र प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के स्थानों का निश्चय किया गया। किसी प्रकार का भेदभाव न हो जाय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। एक बात आप को समझ लेनी चाहिये कि भिलाई, रूरकेला अथवा दुर्गापुर कहीं भी कोई उद्योग स्थापित किया गया है तो वह एक राज्य विशेष के लिये नहीं समस्त राष्ट्र के लिये है। देश भर में जहां भी कहीं किसी उद्योग को स्थापित करना सम्भव समझा गया है, उसे कर दिया गया है। एक भाग के औद्योगीकरण का निश्चित रूप से देश के दूसरे भाग पर प्रभाव होता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने देश में लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये अनेक कदम उठाये हैं। लगभग सभी राज्यों में लघु उद्योग सेवा संस्था स्थापित की गई है। विस्तार केन्द्र खोले गये हैं और भरण सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १२२ औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की स्वीकृति दी गई थी। ६७ तो स्थापित हो चुकी हैं और कुछ के स्थापित किये जाने को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। तीसरी योजना के अन्तर्गत औद्योगिक बस्तियां बसाने का बड़ा व्यापक कार्यक्रम है। विभिन्न राज्यों से इस बारे में जो प्रस्थापनायें प्रस्तुत हुई हैं उस के अनुसार २०० अतिरिक्त औद्योगिक बस्तियां बनेंगी। २४० देहाती औद्योगिक बस्तियां बनेंगी और ५० वर्क शैड बनाये जायेंगे। इस बारे में राज्य सरकारों को हिदायत दी गई है कि वे उन्हें लघु उद्योगों के लिये दी गई कुल राशि का ७५ प्रतिशत छोटे नगरों और देहाती क्षेत्रों में लगायें। इस से अविकसित क्षेत्रों को विकसित होने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। इस राशि का दो तिहाई भाग ५००० से कम जनसंख्या वाले गांवों में खर्च करना होगा। उन उद्योगों को कच्चा माल देने के लिये विशेष प्रबन्ध किये गये हैं। लघु उद्योगों को सहायता देने के लिये एक विशेष समिति की स्थापना भी की गई है। समिति का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका है और सरकार उस का भी परीक्षण कर रही है। फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता से एक अन्तर्राष्ट्रीय दल को यहां आमंत्रित किया गया है ताकि वह यह पता लगाये कि हमारे देश में

लघु उद्योगों की योजना में कितनी प्रगति हुई है और उन के विकास के लिये उपाय प्रस्तुत करे। यह दल इस वर्ष के अन्त तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। मुझे आशा है कि इस प्रतिवेदन में जो सिफारिश की जायेंगी उस के फलस्वरूप लघु उद्योगों को देश भर में बहुत ही लाभ पहुंचेगा।

एक माननीय सदस्य ने अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की आलोचना की है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जो काम किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है, यद्यपि उस में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, किन्तु यह लोगों को रोजगार दिलाने, स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने और अन्य कार्यों में जो अंशदान दे रहा है उस की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इस आयोग के संगठन के अन्तर्गत १,६१३ पंजीकृत संस्थायें हैं और ७,६८१ सहकारी संस्थायें हैं। १५ राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड हैं, जोकि आयोग की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं। ४,००० उत्पादन केन्द्र हैं और ३,००० विक्रय केन्द्र हैं। १९५३-५४ में ११५.६३ लाख वर्ग गज थी परन्तु १९६०-६१ में यह बढ़ कर ६४७.७७ लाख वर्ग गज हो गई। १९५३-५४ में खादी की बिक्री १२९.९८ लाख रुपये की थी जो १९६०-६१ में बढ़ कर १,२४०.१३ लाख हो गई। ग्रामोद्योग जो १९५६-५७ में ८.९७ करोड़ थे, १९६०-६१ में बढ़ कर ३३.२६ करोड़ हो गये। इस प्रकार आयोग काम कर रहा है और आयोग के प्रधान एक योग्य और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। एक आध कोई इधर उधर की भल हो गई हो तो दूसरी बात है परन्तु सामूहिक तौर पर आयोग के कार्य में प्रशंसनीय प्रगति हुई है।

आयोग के काम में लगे हुए कर्मचारियों की संख्या १९५६-५७ में ८.८१ लाख थी परन्तु १९६०-६१ में यह बढ़ कर १७.२४ लाख हो गयी। कुल मिला कर खादी और ग्रामोद्योगों में २२.२५ लाख लोग रोजगार पर लगे हुए हैं। आयोग ने एक "ग्राम इकाई" योजना तैयार की है जिसमें ४० प्रतिशत खादी का उपयोग स्थानीय लोग करेंगे। और मूल्य भी १५ से २० प्रतिशत तक कम हो जायेंगे। प्रविधिक तौर पर भी सुधार करने की बात विचाराधीन है। अम्बर चर्खा पर भी प्रयोग किये जा रहे हैं। अनुसन्धान का कार्य करने के लिये वर्धा में एक संस्था की स्थापना की गयी हैं। दूसरी योजना के अन्तर्गत खादी के लिये ४,६१,२८० और ग्रामोद्योगों के लिये २७,६११ व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये। इस प्रकार जो मानवीय साधनों के अन्तर्गत सम्भव था किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश के प्रस्तावित संश्लिष्ट औषधि परियोजना के बारे में श्री रेड्डी ने उल्लेख किया था। इसके लिये निवेदन है कि हमारे और टैक्नो-एक्सपर्टस के बीच एक संविदा के प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया गया है। एक आध सप्ताह में इस पर हस्ताक्षर हो जायेंगे। इस बीच नागरिक कार्य चल रहा है। भूमि को हमवार कर दिया गया है। सड़कों के लिय निशान लगा दिये गये हैं। इमारत के लिए अपेक्षित बिजली पानी की व्यवस्था कर दी गयी है। होस्टल पूरा हो गया है। नगर की मास्टर प्लान भी पूरी कर ली गयी हैं। कुछ ही दिनों की बात रह गयी हैं।

केरल में माननीय मित्र सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक परियोजनाओं के चाहवान है। प्रस्तावित फाइटो—केमिकल परियोजना का बहुत उल्लेख हुआ हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे केरल के बन्धुओं से पूरी सहानुभूति हैं। निश्चय ही फाईटो-केमिकल परियोजना को केरल में चालू किया जायेगा। डी० डी० टी० परियोजना भी वहां चालू होगी, इसके लिये प्रथम योजना में ७९ करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। इस परियोजना को छोड़ देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और भी बहुत से लाइसेंस गैर सरकारी साथों को दिये गये हैं ताकि वे केरल में अपनी परियोजनायें चालू कर सकें।

[श्री क० च० रड्डी]

सरकार ने इन लाइसेंसों को देने में किसी प्रकार के पक्षपात से काम लिया हैं, यह बात गलत हैं, फिर भी यदि कोई ऐसा उदाहरण हो तो उसे मेरे नोटिस में लाया जाना चाहिए ।

भारतीय परिमाप संस्था भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं । इस संस्था में कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति निश्चित नियमों के अनुसार होती हैं । यदि किसी को ७०० रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पर नियुक्त करना होता हैं तो भारत-सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती हैं । जहां तक हमारी जानकारी है वहां कोई गम्भीर अनियमितता नहीं हुई हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १५०० और अधिक परिमाप निर्माण कर रहे हैं जबकि १८०० परिमाप पहिले ही संस्था ने स्थापित किये हैं । १९५५ से संस्था ने निर्माताओं को ४२२ लाइसेंस दिये है । इसमें १२० भारतीय परिमाप आ जाते है । ३४४ लाइसेंस तो अभी तक चालू है परन्तु ७८ को असन्तोष-जनक कार्य होने के कारण लाइसेंस पुनः नहीं दिये गये है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या कोई माननीय सदस्य कोई कटौती प्रस्ताव अलग से मतदान के लिये रखवाना चाहता हैं ? नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :–

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१.	वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय . . .	७८,६९,०००
२.	उद्योग . . .	२०,७५,४५,०००
३.	नमक . .	६४,९६,०००
४.	वाणिज्यिक सूचना और आंकड़े . . .	७०,४३,०००
५.	वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२,८४,१९,०००
११२	वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय का पूंजी व्यय . . .	८,२२,२३,०००

वित्त मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में वित्त मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा होगी । इसके लिये ५ घण्टे समय निर्धारित किया गया हैं । जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे उनकी सूचना १५ मिण्टों में दे दें ।

†मूल अंग्रेजी में ।

वर्ष १९६२-६३ के लिये वित्त मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :-

मांग संख्या	शोर्षक	राशि
		रुपये
२३	वित्त मन्त्रालय	१,३५,२४,०००
२४.	सीमा-शुल्क	३,००,६६,०००
२५.	संघ उत्पादन शुल्क	७,३६,६२,०००
२६.	निगम कर आदि सहित आय पर कर	४,६६,७५,०००
२७.	स्टाम्प	२,०६,११,०००
२८.	लेखा-परीक्षा	९,३२,१६,०००
२९.	चल मुद्रा और मुद्रा	१३,३७,८१,०००
३०	टकसाल	१,९२,२९,०००
३१.	निवृत्ति वेतन और सेवा निवृत्ति सम्बन्धी अन्य लाभ	३,७४,९९,०००
३२.	प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेन्शनें	१८,५७,०००
३३.	अफीम	४४,३३,०००
३४.	वित्त मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	४१,५५,९६,०००
३५.	योजना आयोग	७१,४२,०००
३६.	राज्यों को सहायतार्थ अनुदान	१,१६,९१,०४,०००
३७.	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	१९,०९,०००
३८.	विभाजन-पूर्व के भुगतान	८,६६,०००
११७.	इण्डिया सिक्यूरिटी प्रेस पर पूंजी व्यय	३१,२५,०००
११८.	चल-मुद्रा और मुद्रा पर पूंजी व्यय	७,४०,४८,०००
११९.	टकसालों पर पूंजी व्यय	४,८५,०००
१२०.	सेवा-निवृत्ति वेतन का राशि कृत मूल्य	१,७३,३९,०००
१२१.	वित्त मन्त्रालय का अन्य पूंजी व्यय	५०,६०,६२,०००
१२२.	विकास के लिये राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी व्यय	१८,९९,००,०००
१२३.	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन	९९,७३,०६,०००

†**श्री प्रभात कार** (हुगली): वित्त मन्त्रालय की प्रत्येक शाखा में वित्त मन्त्री ने स्वयं कठिनाईयां पैदा की हुई हैं। जब आलोचना की जाती है तो वित्त मन्त्री को क्रोध आता है।

सुनियोजित अर्थ व्यवस्था में सुनियोजित बजट बनाना है। वित्त मन्त्री जो बजट पेश करते आ रहे हैं। उनमें इस आवश्यक तत्व की कमी रही हैं। यदि हम पिछले पाच वर्षों के बजट देखें तो पता

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभात कार]

लगेगा कि वास्तविक राजस्व अनुमानित राजस्व से अधिक नहीं हैं । और वास्तविक व्यय बजट अनुमान से कम रहा हैं । आप देश से यह कहते हैं कि ये योजनाएं और परियोजनाएं समाप्त हो जाएंगी परन्तु वर्ष के अन्त में राशि धन वापिसकर देते हैं और कहते हैं कि रुपया नहीं व्यय कर सके । ऐसे समय मे जबकि हम प्रत्येक व्यक्ति से कम खर्च करने के लिये कह रहे हैं; बजट अनुमान वास्तविकता के अनुरूप होने चाहिएं ।

करों के बकाया पर कई वर्षों से चर्चा होती आ रही हैं, परन्तु बकाया ऐसे ही चल रहा हैं जितनी कि १९५६–५७ में थी । वित्त मन्त्री को इस बात के लिये कदम उठाने चाहिये कि २५० करोड़ रुपये की राशि वास्तविक वसूली और आयकर अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने से १०० करोड़ रह जाये ।

आयकर की प्राप्तियों में कमी की प्रवृत्ति रही हैं । इस काम में नीचे के कर्मचारियों का सहयोग होना आवश्यक हैं । सरकार को कर वसूली कर्मचारियों के असन्तोष के कारणों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । करों की बकाया राशि के न भुगतान के लिये कुछ दण्ड भी दिया जाना चाहिये ।

मूल्यों में वृद्धि का एक कारण बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम धन हैं । अत: मूल्यों में वृद्धि रोकने का एक तरीका बैंक ऋण पर नियन्त्रण का है । यह आवश्यक हैं तथा किया जाना चाहिए ।

यदि बैंकों का राष्ट्रीकरण किया जाये, तो इस का अर्थ यह नहीं होगा कि वे गैर-सरकारी क्षेत्र को ऋण नहीं देंगे । उन की ऋण देने की नीति पर नियंत्रण करने के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । क्योंकि उस नीति का मूल्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है ।

मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहूंगा कि विदेशी सहायता पर अधिकाधिक निर्भर करने से हमें क्या लाभ होगा । जहां तक करारोपण और अन्य बातों का सम्बन्ध है, यह केवल श्रेष्टिचत्वर की अच्छी स्थिति को बनाये रखने के लिये है । श्रेष्टिचत्वर ही हमारी अर्थ व्यवस्था का मार्ग दर्शक है । अधिकतर हम ने यह देखा है कि इस ने हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में कठिनाइयां उत्पन्न कर दी हैं । यदि हम अपनी अर्थ व्यवस्था को धनिक समाज से सम्बद्ध करेंगे तो इस का परिणाम भी बालस्ट्रीट' के हाल के संकट जैसा होगा । देश की पूंजी ६९० बड़े बड़ों के हाथों में केन्द्रित है । १३०० करोड़ रुपये की पूंजी में से ६० प्रतिशत २ प्रतिशत लोगों के हाथों में है । और उन का मुनाफा दिन प्रति दिन बढ़ रहा है ।

वीएना स्थित भारतीय राजदूतावास के प्रथम सचिव की कथित आत्म हत्या के बारे में स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है ।

करापवंचन का पता लगाने के लिये सरकार को स्थानीय लोगों की सहायता लेने से संकोच नहीं करना चाहिये । विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अनियमितात्रों के लिये दंड अधिक कठोर बनाये जाने चाहियें । थोड़ा सा जुर्माना लगा कर लोगों को इन अपराधों से रोका नहीं जा सकता । वित्त मंत्री को इन अपराधों के सम्बन्ध में अधिक कड़े प्रतिबन्ध लगाने चाहियें ।

†**श्री परम शिवन** (इरोड) : हाथकरघे से तैयार किये गये कपड़े पर लगाये गये नवीन उत्पादन शुल्क से इस उद्योग को बहुत हानि पहुंची है । सरकार ने इस उद्योग को अब तक जो सहायता और

†मूल अंग्रेजी में

संभरण प्रदान किया है वह नये कर से सर्वथा व्यर्थ हो जायेगा। इस से उस उद्योग के लिये बड़ा संकट उत्पन्न हो जायेगा।

हाथ करघे का तैयार किया हुआ कपड़ा बड़ी बड़ी मिलों के कपड़े का मुकाबला करने में असमर्थ है। इन एककों की पूर्ण विकसित मिश्रित मिलों से समानता के आधार पर तुलना करना उचित नहीं होगा। वर्तमान करारोपण के परिणामस्वरूप हाथ करघा उद्योग को प्रति वर्ग मीटर पर पांच नये पैसे अधिक देने पड़ते हैं ज ब कि मिलों को केवल १.३ नया पैसा ही अधिक देना पड़ता है।

सब अनधिकृत विद्युत्-चालित करघों को अनुमति दे कर सरकार ने हाथ करघा और विद्युत्-चालित करघा वस्त्र में तीव्र प्रतियोगिता उत्पन्न कर दी है। प्रस्तावित कर के कारण तामिलनाड में हथकरघा उद्योग सर्वथा विनष्ट हो जायेगा, जिस में इस समय ३५,००० व्यक्ति काम करते हैं; सरकार को इस विषय पर पुनः विचार करना चाहिये।

सहकारी संस्थाओं की सहायता के लिये रिजर्व बैंक को तीन साल के मध्यमकालीन ऋण देने चाहियें।

†**श्री लीलाधर कटकी** (नौगांग): विदेशी मुद्रा का हमारा संग्रह बहुत जल्दी कम होता जा रहा है और इस समय केवल १०० करोड़ रुपये है। वित्त मंत्री ने इस को बचाने के लिये जो कदम उठाये हैं, मैं उन का समर्थन करता हूं। सब से महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम अपने निर्यातों की आय बढ़ायें। उन्हों ने आयातों को ५० प्रतिशत कम करने का सुझाव दिया है। मुझे डर है कि ऐसा करने से तीसरी योजना की परियोजनाओं की क्रियान्विति में बाधा पड़ेगी। यदि ऐसा न हो, तो इस में कोई हानि नहीं है। सरकार को यह भी देखना चाहिये कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अल्प विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं पर बुरा प्रभाव न पड़े।

मैं वित्तमंत्री का ध्यान आसाम की गम्भीर कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं। कहा जाता है कि वहां औद्योगिकरण के लिये पर्याप्त बिजली नहीं है। इस बिषय की ओर वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिये, कि आसाम की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। इस का घाटा बहुत है, तीसरे वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार भी आसाम की आवश्यकताओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया, विशेषकर जब कि यह एक सीमान्त राज्य है और इस की अपनी समस्यायें हैं। वित्त आयोग ने पहले से भी कम आवंटन किया है। जब तक केन्द्रीय सरकार आसाम को विशेष रूप से औद्योगीकरण में सहायता न कर तब तक उस की समस्याओं का हल नहीं होगा। इन समस्याओं के अध्ययन के लिये वित्त मंत्री को एक विशेषआयोग या समिति नियुक्त करनी चाहिये।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): वित्त मंत्री स्वयं बड़े स्वस्थ व्यक्ति हैं। मैं उन को बधाई देता यदि देश की वित्तीय व्यवस्था को भी उन्हों ने उतना ही स्वस्थ बना दया होता। देश की आथिक स्थिति चिन्ताजनक हो गई है। देश में सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण होने के बजाय और अधिक केन्द्रीय-करण हो गया है। प्रोफेसर डी० आर० गाडगिल ने भी यही मत प्रकट किया है कि हमारे देश में आयों की असामनता सब से अधिक है। और इस के लिये वित्त मंत्रालय ही जिम्मेदार है।

वित्त मंत्री अपने पद पर आसीन हैं इस से सिद्ध हो जाता है कि उन की वित्तीय नीतियों को मंत्रिमंडल का पूरा समर्थन प्राप्त है।

मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि वे किस प्रकार के समाजवाद कोला रहे हैं, या यह कि कांग्रेस की विचारधारा के अनुकूल समाजवाद कैसा है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि देश की आर्थिक व्यवस्था में ठहराव आ गया है। उस में गतिशीलता नहीं रह गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

विदेशी मुद्रा के हमारे संसाधनों में कमी आ गई है। विदेशों से भी सहायता के रूप में पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं मिल पा रही है। इस से ठहराव की स्थिति स्पष्ट है।

हमारे देश के लिये निर्यात व्यापार का संवर्धन अत्यावश्यक बन गया है। लेकिन यूरोपीय साझा बाजार बनने से उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार को इस प्रभाव से अपना बचाव करने के लिये समुचित उपाय करने चाहियें थे, पर नहीं किये गये हैं।

निर्यात व्यापार की वृद्धि में सब से बड़ा योगदान राज्य व्यापार निगम को देना है। सरकार को उसे अपना कार्य-क्षेत्र बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। उस का एक तरीका यह हो सकता है कि देश का समस्त निर्यात व्यापार निगम अपने हाथ में ले ले।

यह सोचना गलत है कि नियंत्रणों के तरीके से आयात-नीति में सुव्यवस्था लाई जा सकती है। ऐसा सोचना गलत है।

हमें देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विलास और अर्द्ध विलास की वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये।

हमारे देश में तस्करी बढ़ती जा रही है विशेष कर सोने के क्षेत्र में। सोने के तस्कर व्यापार से देश को लगभग ५० करोड़ रुपये की हानि प्रति वर्ष हो रही है। इसे रोका जाना चाहिये। इस के लिये कठोर कदम उठाये जाने चाहियें।

इस के लिये सब से आवश्यक यही है कि सोने के आयात पर नियंत्रण हो और सोने की सलाखें रखने वाले लोगों पर रोक लगाई जाये।

एक राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लन्घन की बड़ी चर्चा है। उस से जनता पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिये सरकार को उस मामले की जांच करानी चाहिये और सभी तथ्य जनता के सामने रखने चाहियें।

वित्त मंत्रालय में योजना की परियोजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने वाले विभाग के कार्य का विवरण सरकार को सभा के सामने रखना चाहिये।

सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं में उत्पादन के लिये लक्ष्य निर्धारित करना अत्यावश्यक था लेकिन उन के लिये न तो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, और न कोई कार्यक्रम ही तैयार किया गया है। उसी का नतीजा है कि उत्पादन की लागत दिन-दिन बढ़ती जा रही है।

होना यह चाहिये कि विभिन्न परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र और कुशल कार्य संचालन की निश्चित व्यवस्था की जाये। इस के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक परियोजना को विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपा जाये।

वैसे कहा जाता है, पर खाद्यान्न के उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। दो प्रतिशत की वृद्धि बताई जाती है। और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में तो वृद्धि की गति भी कुछ मन्द पड़ी है।

वास्तव में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर भी जोर न दे कर उद्योगों के उत्पादन पर जोर देना चाहिये।

योजनाओं की सफलता के लिये श्रमिकों का योगदान नितान्त आवश्यक है। पर उन की निर्वाह-लागत में इतनी वृद्धि होती जा रही है कि उन का पूरा नहीं पड़ पाता और सामाजिक योजनाओं के प्रति इसीलिये उन में उत्साह नहीं दिखाई देता।

दूसरी ओर देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। काम दिलाऊ दफ्तरों के आंकड़े देखिये। रोजगार के लिये नाम दर्ज कराने वालों और काम पाने वाले व्यक्तियों की संख्या में इतना अधिक अन्तर है कि कोई हिसाब नहीं। यही नहीं वह अन्तर दिन दिन बढ़ता जा रहा है।

कई अल्प विकसित राज्यों ने अपनी अपनी योजनायें प्रस्तुत की हैं। उन की ओर सरकार को समुचित ध्यान देना चाहिये और उन के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये।

दूसरी ओर जो परियोजनायें, राष्ट्रीय महत्व की हों, जैसे परादीप पत्तन, इत्यादि परियोजनायें, उन के लिये केन्द्रीय सरकार को वित्तीय सहायता देनी चाहिये। पूरी परियोजना का भार केन्द्र को ही संभाल लेना चाहिये।

†**श्री हनुमन्तैया** : (बंगलौर नगर) : वामपक्षीय कटु आलोचनाओं के बावजूद, हमारे वित्त मंत्री अपनी प्रतिष्ठा, संतुलन और संयत भाव बनाये हुए हैं।

कम्युनिस्ट दल के माननीय सदस्य ने हमें विदेशी मुद्रा के संकट का भय दिखाया है। संकटों की बात करना तो आज कल एक फैशन बन गया है। वह शायद मतदाताओं को आकर्षित करने का साधन है। देश के विकास के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता, उस की सुलभता से अधिक होना संकट तो नहीं कहा जा सकता उस से तो पता चलता है कि हमारी अर्थ व्यवस्था आगे बढ़ रही है। उस में जान है।

मैं कहता हूं कि देश पर कोई संकट नहीं है। ये कठिनाइयां तो नई अर्थ व्यवस्था के शिशुजन्म की प्रसव पीड़ा हैं।

सभी देशों के अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत तेजी से प्रगति करता जा रहा है। प्रत्येक तटस्थ व्यक्ति की यही राय है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि "वाल स्ट्रीट" में भावों के उतार चढ़ाव से हमें किसी तरह भी प्रभावित और चिन्तित नहीं होना चाहिये। यह कार्य तो सद्भावना से किया गया था। इस का उद्देश्य कीमतों की वृद्धि को रोकना था। हमारी सरकार ने अमरीका के प्रति सद्भावना प्रकट की थी। यदि हम कीमतों को सहसा कम करने का प्रयत्न करेंगे तो यहां भी वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

इस सन्दर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि श्रमिकों के अधिकार और विशेषाधिकार के सम्बन्ध में एकांगी दृष्टिकोण हानिकारक सिद्ध होगा। इस प्रकार की स्थिति अन्य व्यक्तियों के अधिकार और विशेषधिकार को नगण्य समझने से ही पैदा होती है। न्याय संगत बात तो यह है कि जब भी पारिश्रमिक में वृद्धि हो तो यह श्रमिक वर्ग तक सीमित न रहे। मैं तो यह मांग करना चाहता हूं कि कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के पारिश्रमिक की जांच कर उन्हे व्यवस्था बद्ध करने के लिये एक आयोग की स्थापना करनी चाहिये। इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है।

श्री गहमरी (गाज़ीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस इलाके से आता हूं जो कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। गाज़ीपुर, बलिया और आजमगढ़ का इलाका सब से गरीब इलाका है। इस को सभी लोग जानते हैं कि वहां पर न कोई इंडस्ट्री है और न कोई जमीन है जिस जमीन पर कि खेती

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गहमरी]

बाड़ी कर के लोग गुजर कर सकें। वहां की आबादी भी बहुत ज्यादा है और अत्यधिक आबादी होने के कारण वहां पर लो ग भूखों मर रहे हैं। वहां पर आज भी लैंडलेस लेबरर्स की हालत ऐसी है जो कि देश में अन्यत्र किसी प्रदेश में नहीं है। आप को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि वहां आज भी दो आने मजदूरी पर लोग काम करते हैं। शहरी मजदूरों की हालत कुछ अच्छी है लेकिन देहाती मजदूर जिनकी कि गुजर खेतीबाड़ी पर मजदूरी करके होती है उनकी हालत आमतौर से खराब है। इस में भी गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ के मजदूरों की हालत एक कलंक की बात है। प्लानिंग कमिशन ने भी उधर ध्यान नहीं दिया है। उस ने यह जरूर कहा था कि गरीब तबकों की तरफ ध्यान दिया जाय। वहां पर न कोई आबपाशी का इंतजाम है और न ही वहां कोई फैक्टरी खोली गई है। वहां के आदमी रोजी की तलाश में जाकर करलकत्ता और बम्बई में मजदूरी करते हैं। पहले से करते आये हैं और आज भी वहां जाकर करते हैं। वह अपने इलाके में रह कर गुजर नहीं कर सकते और उनको लाचार रोजी की तलाश में बाहर जाकरमजदूरी करनी पड़ती है। लैंडलेस लेबरर्स को जोकि पहले मजदूरी मिलती थी वही आज भी मि रही है और उसमें कोई अजाफा नहीं हुआ है। अलबत्ता शहरी मजदूरों की आय में वृद्धि हुई है। शहरों का विकास किया गया है और भारी कल व कारखाने खोले गये और वहां के निवासियों ने काफी प्रगति की है और उनका स्टैन्डड ऊंचा हुआ है लेकिन दुर्भाग्यवश देहातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और वह पहले की तरह पिछड़ी अवस्था में पड़े हुये हैं। खासतौर पर हमारा गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ का इलाका तो बहुत ही पिछड़ा और गिरी हुई हालत में है। वहां की हालत अत्यन्त शोचनीय है और बेकारी काफी है और यही कारण है कि वहां से कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार भारी तादाद में कामयाब होते हैं क्योंकि जनता में बेकारी और गरीबी के कारण काफी असन्तोष रहता है। यह गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ का इलाका बड़ा बहादुर इलाका है और सन् १८५७ के भारतीय स्वाधीनता संग्राम में यहां निवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े जाने वाले संग्राम में भारी हिस्सा लिया था। अंग्रेजी हुकूमत ने उस खित्ते को हमेशा नेगलेक्टेड रक्खा। आबपाशी का कोई इन्तजाम नहीं हुआ और कोई फैक्टरी वहां पर नहीं खोली गई। सन् १९४२ के भारतीय स्वातन्त्र्यअन्दोलन में भी गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ के लोगों ने सराहनीय पार्ट अदा किया और जितनी कुर्बानी उन्होंने दी उतनी उत्तर प्रदेश के किसी अन्य भाग ने नहीं दी। लेकिन उस इलाके की हालत सोचनीय है और लोगों को दो जून रोती नसीब नहीं हो पाती है। मैं तो कहूंगा कि वहां पर आये साल हैजा और चेचक आदि संक्रामक बीमारियां आती हैं, उनकी रोकथाम आखिर क्यों नहीं की जाती है? अब रोज घुल घुलकर मरने से तो एक दम मर जाना बेहतर है। वहां इंसान को रोज फाका करना पड़ता है। वह इलाका ऐसा है जहां कि एक वक्त खाना खाकर लोग गुजारा करते हैं। देश में स्वराज्य आया और देश को विदेशी गुलामी से छुटकारा मिला है और हम देखते हैं कि शहरों का पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास हुआ है। इसी दिल्ली को लेलीजिये। जहां पहले जंगल और पहाड़ ही पहाड़ थे वहां बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें खड़ी दिखाई देती हैं। हर एक शहर में तरक्की दिखाई देती है लेकिन गांवों में अभी तक कोई तरक्की नहीं दिखाई देती है। मैं प्लानिंग कमिशन और नंदा सहाब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस इलाके में एक दिन जायें और देखें कि वहां पर गरीबी कैसा नंगा नाच नाच रही है। सारे हिन्दुस्तान में कोई दूसरा इलाका ऐसा नहीं है जो कि गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ की गरीबी का मुकाबला कर सके।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : एक और है, रत्नागिरी।

श्री गहमरी : यह कांग्रेस गवर्नमेंट के लिये एक कलंक की बात है कि लोगों को एक वक्त ही खाना मिले और दिनभर मेहनत करके एक लैंडलेस लेबरर दिन में दो आने पैसे और एक लोटा रस पाये। देहातों को सरसब्ज नहीं किया गया और उनको इंसान की मानिन्द जीवन बिताने लायक नहीं बनाया

गया। हमारे गांधी जी ने भी गांवों की दशा सुधारने पर बल दिया था। उनका कहना था कि देहातों से लोग जो शहरों में भाग कर आते हैं और शहरी आबादी तरक्की करती है वह इसलिये करती है कि देहातों में आपके कोई भी अफसर नहीं जाते हैं और उनको बिल्कुल उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। आपका चिराग जो जलता है वह शहरों में ही जलता है। मजदूरों की लड़ाई जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी के लोग लड़ते हैं वह शहरी मजदूरों के वास्ते ही लड़ते हैं। खेतिहर मजदूरों को कोई पूछने वाला नहीं है। उन की कोई तरक्की नहीं हो रही है। उनकी मजदूरी में कोई बरकत नहीं है। इस बारे में आप आज भी जाकर पता लगा सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। कोई भी कमिशन जाकर इस बात का पता लगाये कि दिन भर काम करके दो आने की मजदूरी में आखिर कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? दो आने मजदूरी भी कोई भला चीज है? आठ घंटे खेतों में काम करता है और उसको दो आने मजदूरी दी जाती है और हल जोतने वाले को ढाई सेर अनाज मिलता है। सारा ध्यान आप लोगों का शहरों की तरक्की करने की ओर जाता है और देहातों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। वहां न कोई रोजगार है और न कोई धंधा है।

श्रीमती सहोदराबाई राय (दमोह) : ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां पर कि दो आने मजदूरी मिलती हो।

श्री गहमरी : मैं इस सदन में शपथ खा कर कहता हूं कि कोई भी आदमी जाकर पता लगा ले कि यह बात सही है या नहीं। मैं तो इस सदन में शपथ खाकर कहता हूं कि वहां तो दो आने से भी कम मजदूरी लोगों को मिलती है। मैं जानता हूं कि यह दो आने वाली बात सुन कर लोगों को आश्चर्य होगा और जब हम अन्य लोगों से इस के बारे में चर्चा करते हैं तो वह कहते हैं कि ऐसी गरीबी होना नामुमकिन सा मालूम पड़ता है लेकिन है यह हकीकत जो कि मैंने आपके सामने बयान की...

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि उनको दो आने मजदूरी मिलती है तो क्या ढाई सेर अनाज उस दो आने के अलावा है जो कि उसको मिलता है?

श्री त्यागी (देहरादून) : जिसको अनाज मिलता है उसको मजदूरी नहीं मिलती है।

श्री गहमरी : जो मजदूरी करता है और जमीन तोड़ता है उसको दो आने मजदूरी और एक लोटा रस मिलता है। ढाई सेर अनाज हल जोतने वाले को मिलता है। इसकी जांच करके देख सकते हैं कि अधिकतर लोग वहां केवल एक वक्त ही खाना खाते हैं। दोनों वक्त खाना आजतक किसी को मयस्सर नहीं होता है। उस इलाके में फैली हुई भयंकर गरीबी और भुखमरी के कारण ही हम देखते हैं कि वहां पर कम्युनिस्ट्स, सोशलिस्ट्स और अन्य विरोधी पार्टियों के उम्मीदवार चुनावों में जीत जाते हैं और कांग्रेस पार्टी हार जाती है। अब मुसीबत यह है कि हम से लोग कहते हैं कि आप आखिर निराश क्यों होते हैं। इस समय हिन्दुस्तान का मालिक तो नेहरू है और नेहरू उत्तरप्रदेश का रहने वाला है तो फिर आप सीधे उन तक ही अपनी बात क्यों नहीं पहुंचाते हैं? अब नेहरू जी से जब हम इसके बारे में कहते हैं तो वह कहते हैं कि सूबे की बात मत करो, छोटी छोटी बात मत करिये। हकीकत यह है कि हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि नेहरू जी चल कर देखें कि हमारी बात में सच्चाई है कि नहीं। वहां पर एक सड़क नहीं, एक रास्ता नहीं और एक पुल नहीं। एक वक्त खाना खाकर लोग गुजारा करते हैं। दोनों वक्त खाना सब आदमियों को नसीब नहीं है। ८० परसेंट लोग एक वक्त खाना खाते हैं। आज देश को आजादी मिले करीब १५, १६ वर्ष हो गये और ऐसी हालत हमारे मुल्क की हो, यह वास्तव में कलंक की बात है।

[श्री गहमरी]

माननीय मंत्री, श्री नन्दा कहते हैं कि हम पिछड़े इलाकों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई फैक्टरी खुलने को होती है, तो झट से बनारस को चली जाती है और बलिया, गाज़ीपुर तथा आजमगढ़ खाली रहते हैं। एक भी फैक्टरी बलिया और आजमगढ, गाज़ीपुर में नहीं खोली गई हैं। वहां अन्न कम पैदा होता है। दुर्भाग्य की बात है कि वहां बड़े नेता भी कम होते हैं। वहां कोई ऐसा नेता नहीं है, जो कि मिनिस्टरों के तबके तक पहुंच सके। हम देखते हैं कि जहां ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं होता है, वहां का इलाका पिछड़ा रहता है। इस स्थिति में हम क्या करें ?

गाज़ीपुर में एक पुल बनना था। माननीय मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री, ने इस बारे में कुछ वादा किया था। इसी तरह माननीय मंत्री, श्री जगजीवन राम, ने भी कुछ वादा किया था। फिर उस पर कई हजार रुपया भी गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, मगर यह कह कर उस को खारिज कर दिया गया कि यह करोड़ों रुपयों की बात है।

गाज़ीपुर शहर को जा कर देखिये। वह वीरान है। वह तो एक खंडहरों का मुल्क है, खंडहरों का शहर है। वह गाज़ीपुर जिले का हैडक्वार्टर है, लेकिन खंडहर है। जा कर कोई भी उसे देख ले। कोई मिनिस्टर साहब जा कर उसे देख लें। वे उसे देख कर अवाक् और आश्चर्यचकित हो जायेंगे। आज की दुनिया में, हिन्दुस्तान में, उत्तर प्रदेश में पूर्वी जिलों की हालत माननीय मंत्री देख लें और उसके बाद उस का सुधार करें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह सब काम सिर्फ सूबे की सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि सेंटर भी खास तौर से मदद न करे। हम तो यह कहेंगे कि सरकार वहां एपिडेमिक्स को फैलने दे, वहां उन की रोक-थाम न करे, लेकिन वह उन लोगों को घुला घुला कर न मारे। बीमारो से लोग मर जायें, तो अच्छा है, बनिस्बत इस के कि वे जिन्दा रहें और एक वक्त खाना खायें।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर साहब, पहले तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक्सिज़ के बारे में एकरेस चल रही हैं, घुड़दौड़ चल रहा है। यहां भी और स्टेट्स में भी टेक्स लगाये जा रहे हैं। मैं पंजाब स्टेट के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाये जा रहे हैं। फ़िनास मिनिस्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये सब स्टेट्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं हैं। सेंटर की तरफ़ से उन को थोड़े अख्तियारात दिये हुए हैं। इसलिए वह स्टेट्स पर अपना कंट्रोल बढ़ायें और उन पर नज़र रखें, वर्ना हालत यह है कि बहुत मुसीबत और बेइज्जती हो रही है। गरीबों पर टैक्स लगाया जा रहा है।

मिसाल के तौर पर मैं आप को बताना चाहता हूं कि मकान पर हाउस टैक्स और प्रापर्टी टैक्स के अलावा एक नया टैक्स और लगा दिया गया है, जिसको मरला टैक्स कहते हैं। क्या मकान पर कहीं मालगुजारी लगती हैं ? इस का नतीजा यह है कि अगर एक गरीब आदमी के पास एक मकान है, तो उस को ये तीनों टैक्स देने पड़ेंगे। इस के साथ ही पंजाब में एक नया टैक्स, प्रोफ़ेशन टैक्स भी लगा दिया गया है। ग़रीब आदमियों पर, गरीब जमींदारों पर, जो भूखे नंगे हैं, टैक्स लगाने के लिए एक टेम्पोररी टैक्सेशन एक्ट पास कर दिया गया है। उन को कहा गया है कि तुम गवर्नमेंट को टैक्स दो, उस से हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। मैं कोई नुक्ता-चीनी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ग़रीबों पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए। सैंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स लगाये, लेकिन साथ ही वह स्टेट्स को भी गाइड करे। स्टेट्स तो समझने लगी है कि हम चाहे कितने भी टैक्स लगायें, टैक्सपेयर्ज में देने की हिम्मत हो या न हो। जैसा कि मैं ने अभी आप को खिदमत में अर्ज किया है, इस बारे में मैं आप को पंजाब का हालत बताना चाहता हूं कि वहां पर ग़रीबों पर टक्स बढ़ता जा रहा ह, जिस को वे देने के काबिल नहीं हैं।

जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सिज़ हैं, वे भी आम आदमियों के काम की चीज़ों, जैसे तम्बाकू, बर्तन, माचिस वग़ैरह, पर लगाये गये हैं और इसलिए ग़रीब आदमियों पर उन का बोझ पड़ता है। लेकिन इस को अगर थोड़ी देर के लिए भूल भी जायें, तो भी हैंडलूम इंडस्ट्री पर इतना टैक्स लगा देने का क्या जस्टिफ़िकेशन है ? जिस को कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया हैं, जिस को प्रोत्साहन देने के बारे में लैक्चर दिये जाते रहे हैं और जिस के लिए हम लड़ते रहे हैं, उस हैंडलूम इंडस्ट्री पर पहली बार इतना टैक्स लगा दिया गया है। पहले एक पावरलूम पर टैक्स न था, लेकिन अब उस पर भी लगा दिया गया है, जब कि मिल वालों के रेट्स को कम कर दिया गया है। यहां पर अमृतसर वाले आये थे। वे फ़िनांस मिनिस्टर साहब के पास गये, जिन्होंने उन को सक्रेटरी साहब के पास भेजा। सक्रेटरी साहब ने जवाब दिया, "बताओ, बेचने के लिए तैयार हो या नहीं ?" वे सहम गये कि हम कहां आ गये। वे समझते थे कि फ़िनांस मिनिस्टर साहब ने उन को सक्रेटरी साहब के पास भेजा है और वह उन की बात को सुनेंगे, लेकिन उन से यह सवाल किया गया, "क्या बेचने के लिए तैयार हो ?" उन्होंने कहा, "हम इसलिए नहीं आये हैं। हम ग़रीब हैं, इस लिए आये हैं। हम आप के मुल्क में रह कर गुज़ारा कर रहे हैं और इज्ज़त के साथ रहना चाहते हैं। मेहरबानी फ़रमा कर इन टैक्सिज़ को हटाया जाये।"

मैं फ़िनांस मिनिस्टर साहब से अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह इधर उधर चाहे और टैक्स लगा दें, लेकिन हैंडलूम पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। वह वन-पावरलूम की हालत को देखें। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत लोग तोड़ तोड़ कर दो का एक कर देते है। मैं कहना चाहता हूं कि जो एक पावरलूम करें, उस को एग्ज़ेम्प्ट कर देना चाहिए। ये टैक्सिज़ बहुत पिंच करते है और हैंडलूम इंडस्ट्री इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती है।

उन लोगों ने एक पैम्फ़लेट छापा हैं : १९६२ कराधान प्रस्ताव—हाथ करघा उद्योग पर विपरीत प्रभाव, इस पैम्फ़लेट में उन्होंने लिखा है कि जिन चीज़ों पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता था, उन पर भी लगा दिया गया। यह पैम्फ़लेट फ़िनांस मिनिस्टर साहब के पास भी गया होगा। इस के साथ ही रिडक्शन आफ़ ड्यूटी आन मिल-मेड फ़ैब्रिक्स का भी सवाल है। उन को ज्यादा हैल्प दी जा रही है। ज्यादा नुक्ता-चीनी न करते हुए मैं अर्ज़ करूंगा कि इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाये। तम्बाकू, युटन्सिल्ज़ और माचिस वग़ैरह पर टैक्स लगाने से लोगों में बहुत बेचैनी हैं। कम से कम ग़रीब लोगों को परेशानी और तकलीफ़ में नहीं डालना चाहिए।

आज यह कहा जा रहा है कि रिच रिचर हो गये हैं, जब कि हमारा स्लोगन हैं, हमारी फ़र्म पालिसी है सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी। मैं आप के सामने एक एग्ज़ाम्पल रखना चाहता हूं। जहां तक इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक है, गवर्नमेंट उन का डेवेलपमेंट करे, क्योंकि यह बात मुल्क के लिए बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट इस सिलसिले में इंडस्ट्रियलिस्ट्स को फ़िनांशल एड देती हैं, रा मैटीरियल देती है और सब चीज़ें देती हैं, जिस की वजह से इंडस्ट्रीज़ बहुत तरक्की कर रही हैं, लेकिन सवाल यह हैं कि उन इंडस्ट्रीज़ में जो मज़दूर काम करते है, उन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। आज कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के सामने सिवाये फ़ास्टिंग के और कोई रास्ता नहीं है। उन को बोनस भी नहीं मिल रहा है। अभी सोनीपत का किस्सा है। आठ रोज़ तक फ़ाका कर के एक मामूली सी कनसेशन उन लोगों को मिली हैं। उन को मैनेजमेंट में भी हिस्सा नहीं दिया जाता हैं। उन को कोई सहूलियत या मदद नहीं दी जाती है। इसी तरह हम ज़मीदारों की ज़मीनों पर तीस एकड़ की सीलिंग लगा दी गई है। हम इस से नाराज़ नहीं है, लेकिन जब सरकार बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स को फ़िनांशल एड दे रही है, उन के लिए अमरीका और ईजिप्ट से काटन मंगा रही है, उन को हर तरह से मदद कर रही है, तो उन के कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए

[श्री लहरी सिंह]

कोई ला बनाना चाहिए। उन कैपिटलिस्ट्स पर हैवी टैक्स लगाना चाहिए। मजदूरों को बोनस देने का इन्तजाम करना चाहिए।

मैं आप को जापान की मिसाल देना हूं। वहां पर फ़ैक्ट्री का इनचार्ज मजदूरों को अपने साथ बिठा कर वही खाना देता है और सब एक जगह बैठ कर खाते हैं। मजाल नहीं कि उन को ठंडा पानी न मिलें। यहां पर तो मजदूर खुश्क चपातियां खाते हैं और रोते-पीटते है। यह कैसा सोशलिस्टिक पैटर्न है, जिस में बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स को तो फ़िनाशल एड दी जाये और सब तरह की सहूलियतें दी जायें, लेकिन मजदूरों के लिए कोई भी इन्तजाम न हो।

जहां तक हम जमींदारों का ताल्लुक है, कभी हम डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे खटखटाते है और कभी रिजर्व बैंक के ऊपर निर्भर करते हैं। रिजर्व बैंक भी एपेक्स बैंक की मार्फ़त शार्ट-टर्म या मीडियम टर्म लोन लेता है। वह लोन ढाई परसेंट होता हैं, लेकिन आते आते वह पांच छ: परसेंट पर हम को मिलता है। रिजर्व बैंक जो लोन गरीबों को, जमींदारों को देता है, उस पर इंटिरेस्ट ज्यादा पड़ता है और लोन हमें बहुत मंहगा पड़ता हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से जो शार्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन दिये जाते हैं, वे बराये नाम ही दिये जाते हैं। मीडियम टर्म लोंज के लिए ज्यादा रकम नहीं रखी गई है. केवल दस करोड़ ही रखी गई हैं। इतना बड़ा हमारा देश है और आप अंदाजा लगा सकते है कि जो लोगों की जरूरतें हैं, उनको देखते हुए क्या यह रकम काफी है। यह बहुत ही कम पड़ती है। दस करोड़ को आप को सारे सूबों में बांटना होता है। मैं पंजाब का हाल जानता हूं। वहां पर ७५ लाख रुपया ही दिया जाता है और इतना ही रुपया पंजाब के लिए रखा गया है। इस ७५ लाख से क्या हो सकता है? मंत्री महोदय से मैं विशेष तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि वह एक एग्रीकलचर डिवेलेपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन बनायें। जिस तरह से आप ने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन बनाई हैं, उसी तरह से आप एग्रीकलचर के लिए भी एक कारपोरेशन बनायें। एग्रीकलचर की जो जरूरतें हैं, उन को आप पूरा करने की कोशिश करें ताकि एग्रीकलचर हमारे देश की तरक्की करे। आप आज करोड़ों रुपये का अनाज, अरबों रुपये का अनाज अमरीका तथा दूसरे देशों से मंगाते है और कनाडा जैसे देशों के सामने अनाज देने के लिए हाथ जोड़ते फिरते हैं। जब कि आप लैंड पर सीलिंग लगा चुके हैं तथा दूसरी चार्जे कर चुके हैं और इस सब को किसान ने चुपचाप सहन कर लिया है, चूं तक नहीं की है तो क्या आपका यह फर्ज नहीं है कि किसान की जो जरूरियात हैं, उनको आप देखें और उनको पूरा करें? आपने गांवों के लोगों की जमीनों पर तो सीलिंग लगा दी लेकिन शहर वालों को, दूकानदारों को छेड़ा तक नहीं है लेकिन फिर भी किसान चुप है। अब आपका यह फ़र्ज है कि आप एग्रीकलचर के लिए एक डिवेलेपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना करें। भिखारियों की तरह कभी हमें डी० सी० के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और कभी कहीं जाना पड़ता है और परेशानी मुफ्त में मोल लेनी पड़ती है। इस परेशानी से आपको चाहिये कि आप हमें बचायें। यह जो कारपोरेशन एग्रीकलचर के लिए बनाने का मैं ने सुझाव दिया है, इसकी ब्रांचें मैं चाहता हूं कि आप हर स्टेट में खोलें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोलें ताकि बादरेशन लोगों को न हो। अगर ऐसा आपने किया तो बहुत ज्यादा डिवेलेपमेंट हो सकेगा और एग्रीकलचर बहुत ज्यादा तरक्की कर सकेगी।

अब मैं प्लानिंग के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। प्लानिंग के वजीर यहां नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माइनर इरिगेशन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। आप बड़े बड़े डैम बना चुके हैं, रिजर्व को कण्ट्रोल कर चुके हैं। लेकिन इतना होने पर भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ७५ मिलियन जमीन ऐसी पड़ी है जो कि माइनर इरिगेशन से ही सैराब हो सकती है, जो कि सिर्फ़

माइनर इरिगेशन पर ही निर्भर करती है। आप अनाज बाहर से मंगाते हैं लकिन अगर इस जमीन को मानइनर इरिगेशन से पानी मिल जाए तो काफी आपकी पैदावार बढ़ सकती है और अनाज आपको बाहर से कम मंगाना पड़ेगा। आपने फाइव यीअर प्लान में माइनर इरिगेशन पर खर्च करने के लिये २७५ करोड़ रुपया रखा है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आप किसी भी स्टेट के बजट को देख लीजिये, किसी भी स्टेट मे जाकर देख लीजिये, आप कहीं भी माइनर इरिगेशन के बारे में जो स्कीम्ज़ हैं, उनको इम्प्लेमेंट होता हुआ नहीं पायेंगे। आका दूसरा प्लान क्यों फेल हुआ और क्यों आपके प्लान फेल होते हैं, इस पर आपको चाहिये कि आप विचार करें। आपके प्लान प्रिंसिपल्ज़ के लिहाज़ से, और सेंटर के मदद देने के लिहाज़ से तो बिल्कुल ठीक प्लान हैं, लेकिन जो स्कीम्ज़ हैं, उनको एनफोर्स करना, उनको इम्प्लेमेंट करना स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है और वे उनको इम्प्लेमेंट नहीं कर रही हैं। इस काम के लिये न तो उनके पास परसनल हैं और न ही वे इस चीज़ की तरफ ध्यान देती हैं। जो महत्व इस चीज़ को दिया जाना चाहिये वह महत्व नहीं दिया जाता है। आपने २७५ करोड़ रुपया तो दे दिया है और इससे कुछ डीप ट्यूब वैल, एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल भी लग गए हैं लेकिन बहुत सा हिन्दुस्तान का हिस्सा ऐसा है जहां इरिगेशन का कोई इन्तजाम नहीं हो पाया है। जहां पर डीप ट्यूब वैल्ज़ नहीं हो सकते हैं, जहां पर नहरें नहीं जा सकती हैं, जहां पर इरिगेशन ट्यूब वैल्ज़ नहीं हो सकते हैं, वहां पर आप एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल्ज़ दें। अमरीका में ऐसा ही किया गया है। आप यहां पर ऐसा कर दें तो पैदावार को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है और यहां की ८० प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। हम आज अनाज के लिये भीख मांगते फिरते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस माइनर इरिगेशन पर ध्यान दिया जाए तो यह हमारा भीख मांगना हो सकता है कि बन्द हो जाए। इस माइनर इरिगेशन के मामले को प्लानिंग मिनिस्टर साहब जोर से एनफोर्स करें और कमेटी बना कर देखें कि क्या क्या होने को बाकी पड़ा है और क्या कुछ हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमें बताया जाए कि जितनी ये स्कीम्ज़ हैं उनमें से कितनी पर काम हुआ है और कितनी पर नहीं हुआ है और हर साल इसकी रिपोर्ट आपके पास और हमारे पास आनी चाहिये। अगर ऐसा किया गया तो पता चल सकेगा कि किस किस आइटम पर काम हुआ है। यह जो ७५ मिलियन जमीन है, इसको अगर सैराब कर दिया जाए तो जो लोग भूखे मरते हैं और जो धरती प्यासी है, उसको पानी मिल सकता है और उन लोगों को भूख से निजात मिल सकती है और साथ ही साथ आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। यह कितनी बेइज्जती की बात है कि जो ८० प्रतिशत हमारे देश की जनता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

अब मैं गर्ल्ज़ एजूकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। प्लान में दिया हुआ है कि इतना करोड़ रुपया लड़कों पर खर्च कर दिया और इतना लड़कियों पर खर्च कर दिया, उनको एजूकेशन पर खर्च कर दिया। आज देखें मेरे सूबे के ही नहीं बल्कि सभी सूबों के देहातों में लड़कियों की एजूकेशन पर बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है। फैक्ट्स एण्ड फिगर्स को उठा कर आप देख लें आपको पता चलेगा कि इनके लिये कहीं कहीं प्राइमरी स्कूल खोल दिये गये हैं, चौथी जमात तक के स्कूल खोल दिये गए हैं लेकिन मिडिल और हाई स्कूल नहीं खोले गए हैं। हमारी देहातों की लड़कियां जब शहरों में पढ़ने के लिए जाती हैं तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और बोर्डिंग हाउस की सहूलियत उनके लिये नहीं है। इस कारण से वे उसमें जाकर दाखिल भी नहीं हो सकती हैं। प्लानिंग वालों से मैं कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी खूबसूरत किताबें तो लिख दी हैं और उनको पढ़ने के बाद तो ऐसा महसूस होता है कि सारा काम ठीक हो गया है, हिन्दुस्तान ऊपर उठ गया है, लकिन हुआ कुछ भी नहीं है। लड़कियों के स्कूल खोलने का जो प्रोग्राम है इसको भी स्टेट गवर्नमेंट्स इम्प्लेमेंट्स नहीं कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन को कोई एक बाडी जाकर देखे और इस काम को सुपरवाइज़ करे। उसको देखना चाहिये कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ किया जाना चाहिये। आपने कह तो दिया कि लड़कियों की एजूकेशन के लिये आप १७५ करोड़ रुपया दंगे, हाईस्कूल खोल देंगे, डिग्री कालेजिज़

खोल देंगे। लेकिन किसी भी स्टेट के गांवों में जाकर आप देखें आम तौर पर देहातों में लड़कियों के लिए एक भी मिडल स्कूल या एक भी हाई स्कूल अच्छा नहीं है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर प्राइमरी स्कूल तो हैं लेकिन हाई स्कूल नहीं ह और अगर बोर्डिंग हाउस में जाकर दाखिल होना चाहती हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं तो बोर्डिंग हाउस में जगह नहीं मिलती है। यहां पर बैठ कर आप प्लानिंग कर देते हैं। आपको चाहिये कि दो चार देहात वालों को भी आप उस कमेटी में रखें और इस तरह से सारे अक्लमन्द लोग मिल बैठ कर कुछ प्रोग्राम तय कर लें और फिर उस पर अमल करें। लेकिन आज तो ऐसा मालूम होता है कि न सोचने वाले कोई हैं, न रिपोर्ट करने वाले हैं और न ही देखने वाले हैं। ऐसी हालत में देहात में रहने वाला गरीब उन्नति कैसे कर सकेगा? आज हम देख रहे हैं कि लड़कियां पुलिस इंसपैक्टर हो रही हैं, रजिस्ट्रार हो रही हैं, डिप्टी मिनिस्टर हो रही हैं, मिनिस्टर हो रही हैं और बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रही हैं। जब यह सब कुछ हो रहा है तो देहात की लड़कियों के क्या दिमाग नहीं हैं जो वे इन पदों तक नहीं पहुंच सकती हैं। वे चाहती हैं कि वे पढ़ें लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है, उनको सहूलियतें नहीं हैं। इसवास्ते मैं कहना चाहता हूं कि जो प्लानिंग आप करें, सही मानों में करें। आज बारह साल हो गए हैं, एक ही तरह की रिपोर्ट हमारे सामने पेश कर दी जाती है। रिपोर्ट में यह लिखा रहता है कि देहातों में लोगों को समझाओ कि लड़कियों को वे पढ़ायें। मैं कहता हुं कि आप मेरे साथ चलें और देखें कि कौन आज उनको पढ़ाना नहीं चाहता है जो भी जमींदार हैं वे सब अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वे कैसे पढ़ सकती हैं जब उनको इसकी सुविधायें न हों? चौदह पन्द्रह बरस तक उनको प्रोटैक्शन चाहिये। उनके लिये बोर्डिंग हाउस की व्यवस्था होनी चाहिये तथा दूसरी और कई प्रकार की सहूलियतें होनी चाहियें। लेकिन आज लड़कियों के लिये बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार का इन्तजाम नहीं है और वे पढ़ नहीं सकती हैं। मैं चाहता हूं कि इस ओर आप का विशेष ध्यान जाए।

अन्तमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एग्रीकलचर के लिए एक कारपोरेशन आप बनायें। अगर ऐसा किया गया तो जमींदारों को, खेती करने वालों को नजात मिल सकती है।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी वक्त मिलना चाहिये।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : हमे भी वक्त दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप देर से आये हैं, मैं क्या करूं। अब कल मिलेगा।

श्री रामेश्वरानन्द : आज ही मिल जाए तो कृपा होगी।

†**डा० क० ल० राव** (विजयवाड़ा) : अपनी योजनाओं को सफलता तक ले जाने के लिये यह बड़ा ही जरूरी है कि योजना को वास्तविकता को आंका जाय। जो कुछ इसके लिये अपेक्षित है क्या हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं अथवा नहीं। मेरा मत तो यह है कि योजनाओं के प्रति हमारा दृष्टि-कोण इंजीनियरिंग होना चाहिये। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि योजना आयोग को योजना का निर्माण करने और उसमें समन्वय के महत्वपूर्ण कार्य को ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिये। योजना को कार्यान्वित करने का भार औरों पर छोड़ा जा सकता है। इस सन्दर्भ में मेरा यह भी सुझाव है कि हमें आयोजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति जैसी समितियों को उपयोगिता पर, जो कि बिल्कुल ही व्यर्थ है पर पुनः विचार करना चाहिये। इस प्रकार के निकायों पर जो आवश्यक खर्च होता है उसे बचाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। वह यह है कि सभी विकास परियोजनाओं में सीमेंट बहुत जरूरी वस्तु है। प्रयत्न यह होना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये कि यह स्वतन्त्रता से खुला मिल जाये। इसे प्राप्त करने के लिये हमें कुछ विशेष रूप से परेशानी नहीं आनी चाहिये। मेरे विचार में सीमेंट बड़ी आसानी से देश में तैयार किया जा सकता है। इस महत्व-पूर्ण बात की उपेक्षा करके देश में इस कमी को नहीं रहने देना चाहिये। इससे यह भी होता है कि हमारी मकान बनाने की परियोजनायें भी नहीं चल सकती। कोयला भी बहुत ही महत्व की वस्तु हैं। योजना आयोग को इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। कोयला निकालने की दिशा में विशेष रूप से कदम उठाये जाने चाहियें। इस बात की भी व्यवस्था की जानी चाहिये कि कोयले को ठीक ढंग से अपेक्षित स्थानों पर भेजा जा सके।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बिजली के मामले में भी हम बहुत पीछे हैं। बिजली की मांग उत्तरोत्तर इतनी बढ़ रही है कि हम उसे पूरी नहीं कर सकते। मेरा सुझाव यह है कि योजना आयोग को एक केन्द्रीय बिजली पैदा करने वाला बोर्ड बनाना चाहिये जिसके अन्तर्गत इंग्लैण्ड के बोर्ड की भांति विद्युत् निर्माण का कार्य हो। बिजली को भेजने और उसे वितरण करने का कार्य सम्बद्ध राज्यों द्वारा किया जा सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारी योजनाओं को आर्थिक कठिनाइयों से कोई हानि न पहुंचे। इस उद्देश्य के लिये हमें काफी बचत करनी चाहिये। उदाहरण के लिये ठेकेदारों को भुगतान करने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिये, नहीं तो हमें उन्हें अधिक पैसे देने पड़ेंगे। वैसे भी इस मामले में वर्तमान व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है ताकि भुगतान जल्दी हो सके।

यदि हमने एक ही पक्ष की ओर ध्यान दिया और इंजीनियरिंग की संस्थायें ही खोलते गये, तो इससे हमारी समस्या कभी भी हल नहीं होगी। योजना आयोग को इंजीनियरिंग को आवश्यक प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने के अवसर देने चाहियें। हमें हमेशा के लिये विदेशी सलाहकारों पर आश्रित रहने से छुटकारा प्राप्त करना चाहिये। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हमारे अपने लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके विशेषज्ञ बन जायें। हमें देश में जनशक्ति का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिजे, हमें उन्हें कैसे काम दिला सकते हैं और उनकी सेवाओं से लाभ उठा सकते हैं। जब तक हम अपने विशाल देश की जनशक्ति से लाभ उठाने के ढंग नहीं निकालेंगे, हम कुछ प्रगति नहीं कर सकेंगे। हमें किसी प्रकार की राष्ट्रीय निर्माण सेवा के कार्यक्रम पर विचार करना चाहिये। अन्त मे मैं फिर कहूंगा कि योजना आयोग के निर्माण और समन्वय कार्य को ओर विशेष रूप में ध्यान देना चाहिये।

सभा की बैठक के दिन में परिवर्तन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुहर्रम १३ जून १९६२ के स्थान पर १४ जून १९६२ को मनाया जा रहा है इसलिये १४ जून को होने वाली बैठक १३ जून को होगी। जिन प्रश्नों के नोटिस १४ जून को हैं वह १३ को ही ले लिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें--जारी

वित्त मंत्रालय--जारी

श्रीमती सहोदराबाई राय : अध्यक्ष महोदय, इस तीन महीने के सैशन में मुझे अभी तक बोलने का कोई मौका नहीं मिला है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप ने लिख कर भेज दिया होता। इस तरह से खड़े हो कर कहना कुछ ठीक नहीं जंचता है।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल): श्रीमान्, मैं बोलना चाहता हूं। मैं एक मिनट के लिये पीछे चला गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप के ग्रुप का एक आदमी बोल चुका है।

श्री रामेश्वरानन्द : वह तो केवल ५, ७ मिनट ही बोले थे।

अध्यक्ष महोदय : आप अभी तो बैठ जायें।

मैं अपोजीशन ग्रुप्स से इस वक्त दरख्वास्त कर रहा हूं कि वे इस समय बोलें लेकिन आज सब ग्रुप्स खामोश हैं और कल सब बोलना चाहेंगे। श्रीमती सहोदराबाई राय अब बोल लें।

श्रीमती सहोदराबाई राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आभारी हूं जो आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। वित्त मंत्रालय ने जो बजट पेश किया है उस का मैं समर्थन करती हूं। इस के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि पिछले १४ वर्षों में हमारे वित्त मंत्रालय ने जो कार्य किया है वह सराहनीय है और बड़े अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निबाही है। मैं समझती हूं कि कुछ भाइयों ने जो कांग्रेस शासन के खिलाफ कहा है तो ऐसा उन्हों ने इसलिये कहा है कि उनको पूरी जानकारी नहीं थी। मेरे एक पूर्व वक्ता ने गाजीपुर और बलिया आदि के बारे में बोलते हुए कहा कि वहां पर खेतिहर मजदूर को दो आने मजदूरी मिलती है। यह बात उन की गलत है। हिन्दुस्तान के अन्दर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कि दो आने मजदूरी मिलती हो। मजदूरों की मजदूरी आदि के बारे में मुझे पूरी तरह मालूम है। मेरे घर में खुद खेती होती है और इस नाते मुझे पूरी जानकारी प्राप्त है। सवा रुपये औरत को खेत पर मजदूरी करने का मिलता है। मर्द को डेढ़ रुपये मजदूरी मिलती है। गेहूं की बोनी जब होती है तो दो रुपया मर्द को मिलता है और डेढ़ रुपया औरत को मिलता है। चैत में जब गेहूं कटता है तो एक आदमी को गेहूं की कटाई में दस सेर की पूर या पांच सेर की पूर मिलती है।

आजकल हालत यह हो रही है कि खेत पर काम करने के लिये मजदूर मिलते ही नहीं हैं। काश्तकार हमारे रो रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से यह स्वराज्य आया है तब से हमारी काश्तकारी खत्म हो गई है क्योंकि खेत पर काम कराने के लिये मजदूर हम को मिल नहीं पाते हैं। बजाय देहातों में मजदूरी करने के वह शहरों की तरफ भागते हैं। उन्हें काश्तकार की तकलीफ का कोई ख़याल नहीं है और खेत पर कोई मजदूर काम ही नहीं करना चाहता है। शहरों में जाकर कोई बीड़ी बनाता है, कोई होटल खोलता है तो कोई रिक्शा चलाता है तो कोई पान वगैरह बेचने का धंधा करता है। इसतरह से काश्तकारी का काम बिलकुल ठप्प है। दूसरी तरफ यही मजदूर इस बात का प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमें मजदूरी कम मिलती है। इसलिये यह बात बिलकुल गलत है कि

उन्हें मजदूरी दो आने मिलती है। माननीय सदस्यों को इस तरह के सुझाव देने चाहियें जिस से न गवर्नमेंट की हानि हो और न ही मजदूर दल की हानि हो। लेकिन इस तरह की गलत बात कहना कि दो आने मजदूरी मिलती है उचित नहीं है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कि मजदूर को दो आने मजदूरी मिलती हो। कहीं ढाई सेर अनाज मिलता है तो कहीं कहीं तीन तीन सेर तक अनाज मिलता है। कहीं कहीं एक रुपया मिलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मजदूरों की हालत पहले के मुकाबले इन चौदह वर्षों में बेहतर हुई है। उन की आर्थिक अवस्था सुधरी है। आज वह दोनों वक्त रोटी खाते हैं, और कपड़ा पहनते हैं। उन के पास जमीन है, बैल है, खेत है और गाय है। अच्छा पायजामा, कमीज, धोती और पतलून वे पहनते हैं। आज जीवन की सब आवश्यकतायें उन के पास मौजूद हैं और गवर्नमेंट के ऊपर यह लांछन लगाना कि हमारे पास कुछ नहीं है बिलकुल अनुचित और गलत है। आजकल बड़े आदमी और मजदूर तबका खुशहाल है अलबत्ता बीच का आदमी अपेक्षाकृत कुछ दुखी है और सरकार को उस के कष्ट व दुख को कम करने की ओर ध्यान देना चाहिये।

आज देश की सब से बड़ी जरूरत नैतिकता की है। हमारे समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अब होता यह है कि लेबरर्स में कुछ लोग जोकि मेहनत कर के दसवीं या ग्यारहवीं कक्षा पास कर लेते हैं और नौकरी पाने के इच्छुक रहते हैं उन से वे अफसरान जो ऊंचे ओहदों पर रहते हैं कहते हैं कि १०० रुपया ले कर ल आओ तब तुम्हें नौकरी मिल जायेगी। अब मैं यह नहीं कहती कि जितने भी ऊंचे पदों पर सरकारी अफसरान हैं सब के सब बेईमान हैं और रिश्वतखोर हैं लेकिन इस तरह के अफसरान हैं जरूर जोकि प्राइवेट में उन से इस तरह की नाजायज मांग करते हैं। इस तरह की शिकायतें अक्सर हमारे पास आती हैं और हम उन के बारे में जिम्मेदार अधिकारियों को लिखते भी हैं लेकिन सबूत के अभाव में कुछ हो नहीं पाता है। अब मरता क्या न करता। नौकरी के लिये जैसे तैसे अफसर की मुट्ठी गरम कर देता है। इस तरह की बहुत सी त्रुटियां हैं। हमारे वित्त मंत्री महोदय को सी० आई० डी० भेज कर इस का पता लगाना चाहिये और इस को बन्द करने के लिये सक्रिय कदम उठाना चाहिये।

कुछ भाइयों ने यह कहा कि हमारे यहां पुल नहीं हैं, पाठशालाएं नहीं हैं और सड़कें वगैरह नहीं हैं लेकिन मैं चैलेंज के साथ इस बात को कहती हूं कि हर जगह दो, तीन गांव के बीच में एक पाठशाला अवश्य खुली हुई है। गांवों में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल आदि खुले हुए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां स्कूल न हों। अब इस को मास्टरनी या मास्टर क्या करें अगर बच्चे ही घरों से पढ़ने के लिये पाठशालाओं में न आयें? जब गांवों में शिक्षक लोगों के घरों पर बच्चों को स्कूल भेजने के लिये जा कर कहते हैं तो उन को कह दिया जाता है कि हमारा बच्चा खेती पर काम कर रहा है अथवा अन्य धंधे पर लगा हुआ है। वह बीड़ी बनाने का काम कर रहा है और वह स्कूल पढ़ने नहीं आ सकता है। अब आप ही बतलाइये कि वह बेचारे क्या करें? जब बच्चों के मां बाप ही अपने लड़कों को स्कूल न भेजना चाहें तो क्या किया जाय? लेकिन जहां तक शिक्षा के प्रसार का सम्बन्ध है हमारे देश में शिक्षा का काफी प्रचार हुआ है और पहले के मुकाबले बड़ी भारी तादाद में लोग शिक्षित हुए हैं। हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है कि हमारे लड़के और लड़कियां बी० ए०, एम० ए० पास कर के इंग्लैण्ड, जापान और अमरीका आदि से विशेष योग्यता की उपाधियां ले कर आती हैं और आज वे बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। आज उन में से कितने ही एम० एल० ए० और एम० पी० बन रहे हैं कितने ही बड़े बड़े डाक्टर्स और बैरिस्टर्स बने हुए हैं। जो तरक्की हमारे देश ने पिछले १४ वर्षों में की है वह अभूतपूर्व है और स्वप्न में यह खयाल नहीं था कि हमारा देश इतनी तरक्की करेगा।

श्रीमती सत्य भामा देवी (जहानाबाद) : बहुत से लोग बेरोजगार भी हैं।

श्रीमती सहोदराबाई राय : अगर बहन जी ज्यादा बी० ए० पास हैं, तो वह बाद में अपनी दे सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या को चाहिये कि वह इधर ध्यान रखें।

श्रीमती सहोदराबाई राय : अध्यक्ष महोदय, बहन जी बीच में न बोलें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात आप मुझे पर छोड़ दें।

श्रीमती सवोदराबाई राय : बेरोजगार वे हैं, जो शराब पीते हैं, दम लगाते हैं, गुण्डई करते हैं, लुच्चे हैं, जो काम नहीं करते हैं। अगर वे गरीब और बेरोजगार न हों, तो क्या हों? देश ने हर एक क्षेत्र में तरक्की की है। देश में सड़कें, पुल, बिजली के कारखाने, हवाई जहाज़, रेलें आदि बनाई जा रही हैं और हर जगह मज़दूरों को मजदूरी मिल रही है। आज कोई ख़ाली नहीं है। अगर हम घर में पलंग पर पड़े रहें और शराब के घूंट पीते रहें, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? यह तो हमारा कुसूर है। हम ने देश को आगे बढ़ाना है और इस के लिये मिल-जुल कर काम करना है।

जप मैं १९५५ में गोआ गई थी, तो वहां की औरतों ने मुझे से शिकायत की थी कि हम को आठ आने मजदूरी मिलती है। मैं ने उन को कहा, "बहन जी, जब गोआ आजाद होगा, तो गोआ की तरक्की होगी', । माननीय सदस्य, श्री नाथ पाई, बैठे हैं। उन को मालूम होगा कि अब वहां पर क्या मजदूरी मिलती है। रुपया तो जरूर मिलतो होगी। (**अन्तर्बाधायें**) नहीं मिलती? (**अन्तर्बाधा**)।

हमारे भाई, चाहे वह कांग्रेसी हों, सोशलिस्ट हों या जनसंघी हों, जो भी सुझाव देते हैं, वह गवर्नमेंट के खिलाफ देते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि हम सब को राष्ट्र का निर्माण करना है। इस लि अपने देश को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। जहां कमी हो, उस के बारे में हम किस मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करें कि इस प्रान्त में यह कमी है, इसलिये ऐसा कदम उठायें कि पूर्ति हो सके। मैं बारबार कहती हूं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं, जिस का सिर न पैर। यहां पर सब को सोच-समझ कर बात कहनी चाहिये। जनता ने माननीय सदस्यों को जिम्मेदारी से यहां भेजा है, इस देश का नि करने के लिये भेजा है। इसलिये सरकार को सही सुझाव देने चाहियें और इस प्रकारदेश की हालत को सुधारने में सहायता देनी चाहिये।

हम सब चाहते हैं कि हमारे गांवों में अच्छी सड़कें बनें, हमारे यहां अच्छे अच्छे कारखाने खुलें, लेकिन पैसे का भी सवाल है। धीरे धीरे, शान्ति के साथ, सब काम होता जाता है। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करती हूं कि अब वह शहरों के कार्यों को छोड़ दें और देहात की तरफ़ बढ़ें, जहां अब भी बहुत कमियां हैं, जहां हमारे लोग तकलीफ़ में हैं। उन को ऐसा कदम उठाना चाहिये कि उन कमियों का पूर्ति हो और लोगों को शान्ति मिले।

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि गाज़ीपुर और बेलिया वग़ैरह में से कम्यूनिस्ट और सोशलिस्ट जीत कर आते हैं। यह जीतने का सवाल नहीं है। यह दो आने मिलने का सवाल भी नहीं है। यह तो सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट गलत प्रचार करते हैं कि मजदूरों को दो आने मिलते हैं। कहीं भी दो आने नहीं मिलते हैं। वे लोग गलत प्रचार कर के चुनाव में जीतने की कोशिश करते हैं। हम कांग्रेसी लोग शान्ति वाले हैं। हम सब सहते हैं और उचित जवाब भी देते हैं। अगर हम दो चार

सीटें हार भी गये, तो कोई बात नहीं है। अगर आज हम हार गये, तो कल फिर जीत जायेंगे। हम हमेशा के लिये थोड़े ही हार गये ?

मैं आज तीन महीनों में पहली बार बोली हूं। मैं दूसरी दफा लोक-सभा में चुन कर आई हूं। मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करती हूं कि वह महिलाओं को पहले मौका दे, क्योंकि उन को गृहस्थी का हाल ज्यादा मालूम है। महिलाओं को मालूम है कि घरों में क्या क्या होता है। अगर हमारा घर में झगड़ा हो जाये, तो दो दिन सम्भालना मुश्किल है। देश की राजनीति को सम्भालना मुश्किल है।

वित्त मंत्री महोदय से मैं कहना चाहती हूं कि इस देश में रिश्वतखोरी बढ़ रही है। वह रिश्वत-खोरी का पता लगाने के लिये सी० आई० डी० से काम लें और उस को रोकने के लिये कड़ा कदम उठायें आज रिश्वतखोरी के कारण देश में त्राहि-त्राहि है। वित्त मंत्री महोदय ऐसे कदम उठायें कि देश के लोगों को शान्ति मिले और हम सब देश को आगे ले चलें। आज हर जगह गलतियां होने लगी हैं। वह जरा अपने कर्मचारियों को भी समझायें कि वे सोच-समझ कर कदम उठायें और जनता के साथ अन्याय न करें।

अध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इस के लिये मैं आप को धन्यवाद देती हूं।

श्री रामेश्वरानन्द : वेदाहमेतम पुरुषम् महान्तम् आदित्य वर्णम् तमसः परस्तात्। तमेव विदित्वाअति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय ।।

श्रीमान्, अध्यक्ष महोदय, ...

श्री नम्बियार : क्या इस प्रकार की प्रार्थना करना नियमानुकूल है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह अपने भाषण से पूर्व मंगल कामना करते हैं तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आप का ध्यान योजनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। जो काम योजनाबद्ध होते हैं, वे सभी सफल होते हैं। कदाचित् चोरी, जारी, व्यभिचार आदि काम भी योजनाबद्ध होने से सफल हो जाते हैं, परन्तु उन का परिणाम भयंकर निकलता है। इसलिये कोई काम सफल हो गया है योजनाबद्ध होने से, उस से यह न समझ लेना चाहिये कि हमारी योजना ठीक है।

आज देश की स्थिति विचित्र है हमारी हजारों वर्ग मील भूमि चीन से आक्रान्त है और पाकिस्तान सजग है। नेपाल के साथ भी हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे नहीं हैं। नागा पहाड़ियों में भी अभी विद्रोह आरम्भ है। देश के कोने कोने में पाकिस्तान आदि के गुप्तचर सजग हैं। इतने पर भी हमारे देश के शासक ऐसी योजनाओं में संलग्न हैं। कि देश का क्या बनेगा, मैं नहीं समझता। इसलिये सरकार योजनायें बनाये, मगर वह निरपराध पशुओं को बध करने की योजना न बनाये, वह पक्षियों को बध करने की योजना न बनाये, जलचरों और स्थल चरों को भी जीने दिया जाय। यदि सरकार की भुजाओं में बल है, भगवान ने उस को बुद्धि दी है, तो वह चीन से भारत भूमि को रिक्त करानेकी योजना बनाये, भारत-भूमि का जो स्वर्ग काश्मीर है, उस को पाकिस्तान से रिक्त कराने की योजना बनाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं स्वामी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज वित्त मंत्रालय के अनुदान जेरे-बहस हैं। इसलिये वे ऐसी बातें कहें, जिन का जवाब मिनिस्टर साहब दे सकें। अगर वह इस

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[अध्यक्ष महोदय]

तरह की आम बातें कहना चाहते हैं, तो मैं उन को फिनांस बिल पर बोलने का मौका दे दूंगा। जो कुछ वह कह रहे हैं, उन का जवाब वित्त मंत्री कैसे देंगे ?

श्री रामेश्वरानन्द : मेरा अभिप्राय यह है कि सरकार योजनायें बनायें और उन पर व्यय करे, मगर उन के साथ ये योजनायें भी जोड़ देनी जानी चाहियें। वित्त मंत्रालय और राज्य शासन द्वारा इस प्रकार की योजनायें बनाये, जिस से देश का भला हो सके। अभी हमारे देश में गरीबी कम नहीं है। पिछले चुनावों में जिन लोगों ने अपनी राय दी है, उन में से लगभग ७५ प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं। सरकार इस प्रकार की योजना बनाये कि देश में कोई अनपढ़ न रहे।

आज कहा जाता है कि इतने स्कूल और इतने कालेज खोले गये हैं। मैं मानता हूं कि खोले गये हैं, मगर उन की स्थिति क्या है? मैं आप को पंजाब की स्थिति बताना चाहता हूं। मैं अभी पंजाब के मुख्य मंत्री को शिकायत लिख कर दे कर आया हूं। करनाल में लड़कियों के चौदह हाई स्कूलों में मुख्याध्यापिकायें नहीं हैं, स्कूलों में शास्त्री नियुक्त नहीं हैं, स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। इस सम्बन्ध में इतनी न्यूनतायें हैं कि उन को गिनाना एक प्रकार से कठिन हो जायेगा। सरकार योजनायें बनायें। लेकिन मैं चाहता हूं कि वह मनुष्य बनाने की योजना बनाये। सरकार कैसा मनुष्य बनाना चाहती है ? सड़कें ऐसी हों, नहरें ऐसी हों, यह कहना तो ठीक है। वे होनी चाहियें। ट्यूबवेल भी होने चाहियें। मगर ये सब किस के लिये ? मनुष्य के लिये। और वह मनुष्य कैसा हो, जिस के लिये सब कुछ किया जा रहा है ? आज मनुष्य बनाने की योजना किसी योजना में भी सम्मिलित नहीं है। हम कैसे मनुष्य चाहते हैं, इस का वर्णन किसी भी योजना में मिलेगा नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सड़कें और नहरें बनाये। वह और भी योजनायें बनाये मगर प्रश्न यह है कि क्या किसी भव्य भवन में गधे को रख देने से वह श्रीमान जी बन जाता है-नहीं। वह कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। मेरा देश जिस को आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं, इस स्वर्ग में रहने वालों का निर्माण आप करें। स्वर्ग में रहने वालों के निर्माण की जो भी योजना आप बना सकते हैं, बनायें। पहले युगों में जो भी योजनायें बनती थीं, उन में सब से पहली योजना मनुष्य बनाने की बनती थी। यदि वह मनुष्य बन जायेगा तो सब कुछ ठीक कर लेगा, ऐसा समझा जाता था यदि मनुष्य आप ने अच्छा नहीं बनाया तो आप कितनी भी योजनायें बनाते चले जायें, कितना भी परिश्रम आप करते चले जायें, वह सारी योजना और वह सारा परिश्रम व्यर्थ जायेगा। पहले युगों में दो विशेष योजनायें होती थीं। एक तो मनुष्य बनाने की होती थी और दूसरे मनुष्यों को भी चार विभागों में बांटा जाता था। ये चार विभाग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इत्यादि। उन में कर्तव्य का बंटवारा कर दिया जाता था। ब्राह्मण का काम इतना ही होता था कि वह देखेगा कि कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। लेकिन आज मेरे देश में अध्यापक हैं, स्कूल हैं, किन्तु फिर भी अनपढ़ता देश के अन्दर व्याप्त है और पर्याप्त मात्रा में लोग अनपढ़ हैं। आज योजनाबद्ध काम नहीं होता है।

दो ही तरह से आप देश का शासन चला सकते हैं, शस्त्र के द्वारा और शास्त्र के द्वारा। जब शास्त्र के द्वारा कोई नहीं मानता है, जब शिक्षा से कोई नहीं मानता है तो हाथ जोड़ कर आप उस को कभी मना नहीं सकते हैं। सृष्टि के सब से पहले राजा मनु हुए हैं। मनु ने अनेक नीति की बातें कही हैं। लेकिन उन्होंने एक सब से बड़ी नीति की बात कही कि जो शिक्षा से न माने, उस को कैसे समझायें। उन्होंने कहा है :

दण्डः शासति प्रजा सर्वः दण्ड एवभि रक्षति

दण्डे सुपते सुजागृति दण्डं धर्मम् विदुर बुध :

जो किसी से नहीं मानता है इस दुनिया में वह डंडे से मानता है। सर्कस में आप ने देखा है कि जब बकरे को संकेत होता है तो वह शेर के सामने चला जाता है और जब शेर को संकेत होता है तो वह

बहुत बड़ा मुंह खोल देता है और बकरा उस के पास जा कर उस के मुख में अपना सिर रख देता है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि यह शेर क्या हाथ जोड़ने से उस बकरे को दांत नहीं लगने देता। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। शेर अहिंसक नहीं हो जाता है, महात्मा गांधी का शिष्य नहीं हो जाता है या उस ने योग शास्त्र नहीं पढ़ लिया होता है। वह हंटर के डर के कारण, विद्युत् के डंडे के डर के कारण उस बकरे के सिर को तो क्या, उस के सिर के बाल को तक को दांत नहीं लगने देता। इसलिये दुनिया में जो . . . .

†श्री नम्बियार : श्रीमान जी, इन बातों का वित्त मंत्रालय की मांगों से क्या सम्बन्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, मैं ने पहले ही आप को इस के बारे में बताया था।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप की योजना संक्षिप्त नहीं है, यह बहुत विस्तृत है। आपको समझने का यत्न करना चाहये। आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो मेरा क्या अपराध है।

मे नेष: स्थानोरपराध: यंदे नम् अन्धो न पश्यति।

मैं योजना से बाहर को बात नहीं कर रहा। हम जो यहां बैठे हैं, यह भी योजना है, जो बोल रहे हैं, यह भी योजनापूर्वक बोल रहे हैं, खाते पीते भी हम योजना-पूर्वक हैं, कपड़े भी योजनापूर्वक पहनते हैं। जो योजना शब्द है, यह बहुत विस्तृत है। हमारे जितने कार्य होते हैं, छोटे से छोटे कार्य को ले कर बड़े से बड़े कार्यों तक, वे सारे के सारे योजनाबद्ध रीति से होते हैं। मैं ने शुरू में ही संकेत किया था कि डाकू लोग जो डाके मारते हैं, वे भी योजनाबद्ध होते हैं तभी वे अपने प्रयत्नों में सफल होते हैं। इसलिये योजना को आप को समझना चाहिये। दुनिया में जब किसी को आप किसी अन्य तरीके से नहीं मना सकते हैं तो डंडे से मना सकते हैं। बालक जब आप का कहा नहीं मानता है तो उस के कोमल कपोलों पर दो परमिट काट जब दिये जाते हैं तो वह सीधा हो जाता है और स्कूल चला जाता है। पशु और पक्षी सब के सब इस डंडे के सहारे काम करते हैं। घोड़े में इतनी चाल कैसे आ जाती है, बैलों में इतनी चाल कैसे आ जाती है, ये सारे काम योजनाबद्ध होते हैं।

इसलिये मैं चाहता हूं कि आप की योजना हो परन्तु योजना केवल नाचने की न हो, पशु पक्षियों के बध की न हो, लड़के लड़कियों को उल्टी बातें सिखाने की न हो, जो योजना आप ने चला रखी है उस में सब से पहले मनुष्य बनाने की योजना होनी चाहिये। शिक्षा बहुत ही उत्तम उन को दी जानी चाहिये। मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जो ६०—७० मील लम्बा है। वहां पर इसी वर्ष केवल एक हायर सेकेंडरी स्कूल खुला है। सारे क्षेत्र में यमुना के तट से ले कर एक ही स्कूल खुला है। इसलिये आप की योजना बहुत ही उतम होनी चाहिये। इन्हीं योजनाओं के आधार पर ऋषियों ने जिस समय राजा अश्वपति से पूछा कि आप के राज्य का क्या हाल है, तब उन्होंने एक ही श्लोक में सब कुछ कह दिया कि मेरे सारे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई जार नहीं है, कोई मांसाहारी नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई परस्त्रीगामी पुरुष नहीं है और कोई परपुरुषगामी स्त्री नहीं है। यह सब शिक्षा के आधार पर हुआ।

मैं यहां पर डंडे के बारे में अधिक कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन आज हो क्या रहा है। आज हमारे देश में योजनाओं के होते हुए भी, पुलिस के होते हुए भी, सेनाओं के होते हुए भी डाके आये वर्ष पहले से ज्यादा पड़ते हैं। आये वर्ष की अपेक्षा कत्ल अधिक होते हैं, व्यभिचार, अन्याय और अत्याचार ज्यादा होते हैं। इन सब बुराइयों में निरन्तर वृद्धि ही हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामेश्वरानन्द]

मैं यह सब इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मैं जनसंघ की टिकट पर चुन कर आया हूं। लेकिन आप पुरानी फाइलें उठा कर देख लें, पुलिस की फाइलें उठा कर देख लें, किसी भी विभाग की फाइलों को उठा कर देख लें, यह चीज आप को प्रत्यक्ष नजर आ जायेगी। झूठी प्रशंसा की जाये, यह हम से नहीं हो सकता है। ऐसा मैं करने के लिये तैयार नहीं हूं। व्यर्थ किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये। मैं आप को एक प्राचीन बात बतलाना चाहता हूं। महाराजा युद्धिष्ठर के राज्य में चीन का राजा भगदत्त, ईरान का शल्य, अमरीका का बबरूवहान, यूरोप का बिड़ालाक्ष, सभी बलि (कर) ले कर आये थे। आप महाभारत को उठा कर और उस को पढ़ कर देख लें। किस आधार पर वे आये थे योजना के आधार पर वे डंडे के आधार पर आये थे। मेरा हृदय घबराता है यह कहते हुए कि दूसरे देशों और देशान्तरों के लोग हमारी योजना से सम्बद्ध हैं। अगर आज कहीं अवसर उपस्थित हो जाये युद्ध का, तो मैं देखता हूं कि मेरे देश का सब कुछ होते हुए भी, कौन हमारी सहायता करेगा, उस युद्धाग्नि में कौन पड़ौसी देश, कौन मित्र देश हमारा साथ देगा। इस को छिपाया नहीं जा सकता है और न ही छिपाया जाना चाहिये। मैं तो मानता हूं: —

पुरुषा बहवो राजन् सततं प्रिय वादिन:
सत्य से तु पथ्यसे श्रोता वक्ता च दुर्लभ:।

बहुत व्यक्ति हैं जो सदा प्रिय बोलते हैं, खुशामद की बात करते हैं परन्तु सत्य भी हो और हित-कर और लाभदायक भी हो, ऐसी बात कहने वाले बहुत थोड़े व्यक्ति हुआ करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम ने कोई उन्नति नहीं की। मैं मानता हूं कि हम ने कुछ सड़कें बनाई हैं, कुछ उन्नति की है, कुछ ट्यूबवैल बनाये हैं, नहरें बनाई हैं। लेकिन दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरा देश जो एक समय सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज विदेशों के ऋणों के नीचे दबा हुआ है। इस चीजको छिपाया नहीं जा सकता है। आप योजना बनाये, लेकिन वैसी योजना जिस से भारत वैसा ही बन सके, जैसे वह पुराने जमाने में बना हुआ था, वैसा भारतवर्ष बन सके जैसा कि वह पुराने जमाने में संसार के सामने बना हुआ था। आज मेरे घर में कलह है, आज जमींदार और गैर-जमींदार, मालिक और मजदूर के बीच एक विवाद उठ खड़ा हुआ है, आज बेकवर्ड और गैर-बैकवर्ड का विवाद उठ खड़ा हुआ है, आज कारखाने के मालिक और कारखाने में काम करने वाले मजदूर के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ है। कुछ पार्टियां यत्न करती हैं, लोगों को भड़काने का। मगर क्या हम इस प्रकार की योजना बना सके हैं जिस से इन का विवाद शान्त हो, जिस से देश एक हो सके, ब्राह्मण से ले कर हरिजन तक देश के सभी लोग मिल जुल कर काम कर सकें। ऐसा हम नहीं अर पाये हैं। और मैं चाहता हूं कि इस लक्ष्य को सामने रख कर हम काम कर सकें और इस भारतवर्ष को पुराना भारतवर्ष बनाने की कोशिश करें।

वित्त मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
२३	३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	देश में विकास कार्यक्रमों के बारे में नीति।	१०० रुपये
३	५७	श्री मे० क० कुमारन	राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता दृढ़ करना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२३	५८	श्री मे० क० कुमारन .	आय व्ययक व्यवस्था को इस ढंग से बनाना ताकि हर कोई समझ सके ।	१०० रुपये
२३	५९	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी .	मूल्यों में स्थिरता लाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	६०	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी .	विदेशी विनिमय मुद्रा के नियमों का उल्लंघन करने वाले के प्रति कार्यवाही करने में असफलता ।	१०० रुपये
२३	६१	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी .	सरकारी क्षेत्रों में मूल्य अभिलेखा प्रथा जारी करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	६२	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी .	योजना के अन्तरिम एवं बाह्य संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	६३	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी .	अमरीकी सहायता में लगातार की गई कटौती के कारण उत्पन्न कठिनाई ।	१०० रुपये
२३	६४	श्री प्रभात कार . .	रिजर्व बैंक के काम में सुधार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	६५	श्री प्रभात कार . .	रिजर्व बैंक के कृषि जन्य कामों को उधार देने वाले विभाग को सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	६६	श्री प्रभात कार .	रिफाईनेंस निगम के काम को सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	६७	श्री प्रभात कार. .	औद्योगिक वित्त निगम के काम को सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	६८	श्री प्रभात कार. .	बैंकों में कुप्रथाओं को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	६९	श्री प्रभात कार .	पुनर्वास वित्त निगम के काम को सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	७०	श्री प्रभात कार .	आयकर विभाग के काम में सुधार की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१३	७१	श्री प्रभात कार . .	कर इकट्ठा करने वाली मशीनरी के पुनर्गठन की आवश्यकता	१०० रुपये
१३	७२	श्री प्रभात कार . .	करों के बकाया इकट्ठा करने में असफलता	१०० रुपये
१३	७३	श्री प्रभात कार . .	कर न देने वालो के विरुद्ध मुकदमा चलाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१३	७५	श्री प्रभात कार . .	करावंचन को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
१३	७६	श्री प्रभात कार . .	सामान्य बीमा समवायों में दुराचार को रोकने में असफलता	१०० रुपये
१३	७७	श्री प्रभात कार . .	सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता	१०० रुपये
१३	७८	श्री प्रभात कार . .	उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते मूल्य रोकने में असफलता	१०० रुपये
१३	७९	श्री प्रभात कार . .	बैंकों की शाखायें खोलने के लिय विचारशील नीति की आवश्यकता	१०० रुपये
१३	८०	श्री प्रभात कार . .	सोने के चौर्यानयन को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	९०	श्री प्रभात कार . .	भारत के रक्षित बैंक में "काट्रैक्ट्र कैशियर" प्रणाली हटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१३	९१	श्री प्रभात कार .	गैर-सराकारी वाणिज्यिक उपक्रमों में विदेशी अधिकारी लाने पर प्रतिबन्ध	१०० रुपये
१३	९२	श्री प्रभात कार . .	भारत के राज्य बैंक द्वारा अग्रिम धन देने की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता	१०० रुपये
१३	९३	श्री प्रभात कार . .	भारत में घड़ियों के चौर्यानयन रोकने में असफलता	१०० रुपये
१३	९४	श्री प्रभात कार . .	करापवंचन को रोकने में असफलता	१०० रुपये

१		२	३	४
२३	९५	श्री प्रभात कार .	. सारे देश में केन्द्रित बिक्री कर प्रणाली की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	९६	श्री प्रभात कार	. जीवन बीमा निगम में क्षेत्रीय अधिकारियों की सेवा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	९७	श्री प्रभात कार	. जीवन बीमा निगम में क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिये संयुक्त समिति की सिफारिश का कार्यान्वियन	१०० रुपये
२३	९८	श्री प्रभात कार	. आय-कर विभाग के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति के लिये नीति	१०० रुपये
२३	९९	श्री प्रभात कार	. जीवन बीमा निगम की ऋण नीति में परिवर्तन	१०० रुपये
२३	१००	श्री प्रभात कार	. बैंकों की अग्रिम धन सम्बन्धी नीति पर कड़ा नियंत्रण	१०० रुपये
२३	१०१	श्री प्रभात कार	. भारत के सुरक्षित बैंक की और शाखायें खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
२८	८१	श्री नम्बियार .	. असैनिक लेखा स्टाफ सन्था, शिलौंग आसाम को मान्यता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२८	१०२	श्री नम्बियार .	. शिलांग में महालेखा पाल के साथ कर्मचारियों का सम्बन्ध	१०० रुपये
२८	१०३	श्री नम्बियार	. शिलांग में महालेखापाल कार्यालय के कर्मचारियों में सुरक्षा न होने का डर	१०० रुपये
२८	१०४	श्री नम्बियार .	. पिछले एक वर्ष में महालेखापाल का कार्यालय शिलांग के स्टाफ पर सजा देने का पुनर्विलोकन	१०० रुपये

१	२		३	४
३१	७	श्री शिवमूर्ति स्वामी	२५० रुपये प्रतिमास से कम निवृत्ति लेने वाले निवृत्तिवेतन भोगियों को मंहगाई भत्ता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३५	८२	श्री मे० क० कुमारन	देश के विभिन्न भागों के संतुलित विकास की योजना बनाने में असफलता	१०० रुपये
३५	८३	श्री मे० क० कुमारन	सरकारी क्षेत्र उद्यमों के स्थान के सम्बन्ध में केरल के अधिकारों पर ध्यान देने असफलता	१०० रुपये
३५	८४	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	तृतीय योजना में पटदीप को बड़ा पत्तन बनाने के लिये धन की व्यवस्था	१०० रुपये
३५	८५	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	क्षेत्रीय असमता दूर करने के लिये पर्याप्त कदम उठाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३५	८६	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी विकास के मामले में प्राथमिकता की आवश्यकता	१०० रुपये
३५	८७	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	योजना में नियत की गई राशियों को पुनरोक्षित रखने के लिये और नई योजनायें लगाने के लिये राज्य सरकारों की मांग	१०० रुपये
३६	८८	श्री मे० क० कुमारन	समुद्र द्वारा भूमि कटाव रोकने के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	८९	श्री मे० क० कुमारन	विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक असमता कम करने के लिये अनुदान देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२३	१५	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मद्रास राज्य को सोने की खानों के लिये किये जा रहे राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में दिये गये ऋण और अग्रिम धन का व्यवस्थापन करने की आवश्यकता	१०० रुपये

†उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं।

श्री तुलसी दास जाधव (नादेड) : अध्यक्ष महोदय, आज इस फाइनेंस डिमांड पर बोलते हुए बड़ा सन्तोष होता है। अगर देश की आर्थिक उन्नति की दृष्टि से देखा जाये तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाये तो हमारे पास जो थर्ड फाइव इअर प्लैन की बुक है उस के पेज ३५ पर जो आंकड़े दिये गये हैं उन से पता चलता है कि देश का उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ा है और इतनी तेजी से उन्नति हुई है कि उस से आर्थिक नियोजन करने में इस देश के अन्दर जो शासन करने वाली पार्टी है उस के फाइनेंस मिनिस्टर यशस्वी हुए हैं। देश के अन्दर उत्पादन तो बढ़ना ही है लेकिन वह किस रीति से बढ़ना चाहिये जिससे कि देश की एकानिमिक परिस्थिति की उंच नीच में समता आ जाये? इसका एक ही उपाय है जिस को कहते हैं सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी। इसके रास्ते पर और इसके ध्येय को ले कर हमें जाना है। सन् १९५६ का जो इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन है उस में यह बतलाया गया है कि इस देश में जो चीज लानी है उस को एक दम से लाना मुश्किल है। आज कल जब हम दूसरे देशों के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ४५ साल होने के बाद भी रूस में पुर्णतया सोशलिज्म नहीं आ पाया है। वहां डिक्टेटरशिप आफ प्रोलेटेरिएट होते हुए भी जब मैंने १९५२ में रूस को देखा था तो ३५ वर्ष बाद भी वहां दरिद्रता नजर आती थी। जब मैंने देहातों में जा कर वहां के लोगों को देखा तो उनके अंगों पर फटे हुए कपड़े थे, उनकी बैलगाड़ी टूटी फूटी थी, कई मकान जो थे वे भी ऐसे थे जैसे कि अपने यहां कई कई जगहों पर होते हैं, जब कि वे भी आर्थिक नियोजन कर रहे हैं। तो ४५ वर्ष तक डिक्टेटरशिप आफ प्रोलेटेरिएट होते हुए भी, वहां पर दूसरी पार्टी न रखते हुए भी, वहां से दरिद्रता मिट कर समता नहीं आई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो आर्थिक समता लानी है, जो सोशलिज्म लाने की हम कोशिश करते हैं, अगर उसे हम लोग लोकशासन के तरीके से करना चाहते हैं तो वक्त लगना लाजिमी बात है।

दुनियां भर के जो अलग अलग उत्पादन के आंकड़े हैं उन को देखने के बाद अगर पता लगाया जाये तो पन्द्रह वर्षों में हिन्दुस्तान ने जितनी उन्नति की है, उतनी उन्नति किसी भी देश ने की हो, ऐसा नजर नहीं आता है। मैं ज्यादा आंकड़े तो नहीं बतलाना चाहता लेकिन कल्पना के लिये तीसरी पंच वर्षीय योजना के पृष्ठ ३६ पर जो क्राप्स के इंडैक्स दिये हैं उन को उद्धृत करना चाहता हूं :

ग्रुप	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१
आल क्राप्स	९६	११७	१३५
फूड क्राप्स	९१	११५	१३२

यानी जो भी क्राप्स का इंडैक्स नम्बर है उस में हर जगह पर बढ़ौतरी हुई है। सवाल उठता है कि जब आनज ज्यादा बढ़ता है जो कमी क्यों होती जाती है? उस की वजह एक ही वजह है कि हमारे यहां पापुलेशन भी बढ़ती जाती है। उसके लिये खास तौर से विचार करना होगा। इतनी पापुलेशन बढ़ते हुए भी आजकल देहातों में, जैसा मेरी सम्मानीया बहन ने अभी कहा, ऐसी बात नहीं है कि किसी को उद्योग नहीं मिलता। हमारे प्रान्त में देखा जाये तो देहातों में मजदूर मिलते ही नहीं हैं। दो दो, ढाई ढाई रुपया रोज

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तुलसी दास जाधव]

देते हुए भी आज मजदूर नहीं मिलते, यह बात सही है । स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ गया है। दोनों बातें आज दिखलाई पड़ती हैं। स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ जाने पर भी जो उत्पादन होता है उस का जो पैसा मिलता है वह मंहगाई के अनुरूप नहीं है । उत्पादन और डेवेलपमेंट दोनों ही तेजी से बढे हैं लेकिन फिर भी ऐसी बात दिखलाई देती है।

अब आप इंडैक्स नम्बर आफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखिये :

ग्रुप	१९५५-५६	१९६०-६१
जनरल इंडैक्स	१३९	१९४
काटन टेक्स्टाइल्स .	१२८	१३३
आइरन ऐंड स्टील . .	१२२	२३८
मशीनरी । आल टाइप्स	१९२	५०३
केमिकल्स	१७९	२८८

मैं इस से अधिक आंकड़ों में नहीं जाना चाहता । इस को देखने से यह ख्याल आता है कि देश में उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है और देश के अनएम्प्लायमेंट में भी थोड़ी कमी हुई है, साथ ही लोगों के रहन सहन में, कपड़े के मामले में और प्रवास के सम्बन्ध में भी एक प्रकार से लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिली है, यह बात सही है ।

इस देश में अगर आर्थिक नियोजन की दृष्टि से देखा जाये तो उस में भी कई बातों की कमी भी है । अगर उन कमियों को दूर कर दिया जाये तो जो दिक्कतें इस सम्बन्ध में होती हैं वह कम हो जायें। अगर आर्थिक नियोजन की दृष्टि से देखा जाये तो उस में कोई खराबी हो, ऐसी बात नहीं है । मालूम यह पड़ता है कि इस देश में लोगों को जो अपेक्षायें हैं वह बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और यह बात सही है कि उन अपेक्षाओं के अनुसार हमारा आर्थिक नियोजन और देश का आर्थिक पाया आगे नहीं बढ़ता है । लेकिन कल्पना में और मस्तिष्क से सोच कर आगे जाने में समय तो लगता ही है । स्वराज मिलने से पहले हम लोग कहा करते थे कि स्वराज के बाद हम लोग ऐसा प्रयत्न करेंगे जिस से लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिलेगी। लेकिन यह बात सही है कि आज लोगों को जो अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुसार हम सहुलियतें लोगों को नहीं दे पाये हैं। फिर भी हम को यह सोचना चाहिये कि हमें जो भी उत्पादन करना है उसे तो डिमाक्रेसी के तरीके से करना है, लोगों को समझा बुझा कर करना है, और ऐसा करने में टाइम लगता ही है। अगर इस दृष्टि से दुनिया भर के आंकड़ों का मुकाबला यहां के आंकड़ों से किया जाये तो हम पायेंगे कि हिन्दुस्तान सब से आगे है ।

जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी यहां पर बजट रक्खा और उस में टैक्स को बढाया। उस के बाद में अपने यहां के तीन चार जिलों में घूमा। मैंने देखा कि देहातों में जो खेडूत लोग हैं उन को मालूम नहीं होता है कि टैक्स बढ़ गया है। मैंने कई जगहों पर मीटिंग बुला कर लोगों से पुछा कि क्या तुम को मालूम हुआ कि अब के जो बजट रक्खा गया है उस में कर कुछ बढ़ाया गया है। उन्होंने जवाब दिया कि उन को कुछ नहीं मालूम पड़ा है कि क्या कर बढ़ाया गया है। यानी करों को आप ने इतना

सोच विचार कर के बढ़ाया है कि लोगों को मालूम नहीं हुआ कि बढ़ाये गये हैं। लोगों को अपने रहन सहन के सम्बन्ध में ज्यादा तकलीफ न हो इस तरीके से बजट के अन्दर टैक्स बढ़ाये गये हैं। मैं ने व्यापारियों और दूसरे लोगों को बुलाया और कहा कि मर्सेराइज्ड कपड़े पर टैक्स बढ़ाया गया है। सभी ने इस बात को कबूल किया कि जो टैक्स बढ़ाया गया है उस में कोई ज्यादा असन्तोष नहीं है। इस के यह माने हैं कि इस बजट में जो भी टैक्स बढ़ाये गये हैं उन का गरीब आदमियों पर कोई अधिक असर पड़ा हो या उनको मालूम हो कि टैक्स बढ़ने से उन की तकलीफें ज्यादा बढ़ गई हों, ऐसी बात नहीं है।

हां, कुछ बातों में लोगों को तकलीफ बढ़ गई है, उस को मैं बड़ी नम्रता से अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहता हूं। वह बात यह है कि हमारे प्रांत में, यानी महाराष्ट्र में जो पावर लूम्स हैं, उन के ऊपर टैक्स ज्यादा बढ़ने से कई कई जगहों पर पावर लूम्स बन्द होने के रास्ते पर हैं। यह धंदा महाराष्ट्र में ही ज्यादा है। पावर लूम्स को कपड़े बनाने के लिये जो मिल का सूत लेना पड़ता है उसके लिए दूना दाम देना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक धोती जोड़ा जिसकी साइज ६ गज ४५ इंच है उसको बनाने में मिल में चार रुपये का सूत लगेगा लेकिन उसी के बनाने में पावर लूम पर वही चार रुपए का सूत आठ रुपए में मिलेगा। तो इस तरह से सूत का दूना दाम देना पड़ता है।

इधर के प्रांतों का हाल तो मुझे मालूम नहीं लेकिन हमार यहां इच्छलकरंजी मिरज, शोलापुर, भिवंडी और मालेगांव आदि जगहों में हर घर में दो-दो तीन तीन पावर लूम चलते है। अभी तक दो पावर लूम्स पर एक्साइज ड्यूटी नहीं थी। अब चार पावर लूम्स पर एक्साइज ड्यूटी माफ की गयी हैं। लेकिन पांच से २४ पावर लूम पर टक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया हैं। यह पहले से तीन गुना कर दिया गया हैं। इससे लोगों को तकलीफ होती हैं। मैं ने सुना हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से मिला हैं और यह अच्छी बात हैं कि उन्होंने इस विषय पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया हैं। मैं भी हाउस में यही प्रार्थना करता हूं कि इस पर फिर से विचार अवश्य किया जाए। पहले सन् १९६१ में चार पावर लूम्स पर साढ़े १२ रुपया टैक्स था। और पांच से लेकर ९ पावर लूम्स पर २५ रुपया एक पावर लूम को ८ घंटे की पारी में महीने भर चलाने के लिए था। अब उसको बढ़ा कर ४५ रुपया कर दिया गया हैं यानी एक लूम पर २० रुपया ज्यादा बढ़ा दिया गया हैं। दस से २४ लूम्स पर पहले २५ रुपया प्रति लूम था जिसको बढ़ा कर अब ९० रुपया कर दिया गया हैं। यानी प्रति लूम ६५ रुपया बढ़ा दिया गया हैं। इससे पावर लूम चलाने में बड़ी कठिनाई हो रही हैं। और मेरा निवेदन हैं कि इस पर फिर से विचार किया जाए। पहले जो २१ लूम्स पर टैक्स देना पड़ता था उससे अब १४ हजार रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। इस काम में इतना प्राफिट नहीं हैं और लोगों को यह टैक्स अपने घर से देना पड़ता हैं। इसलिये लोग बड़ी कठिनाई में है।

अभी हाल में मैं जब दौरे पर गया था तो लोगों ने मुझ से कहा कि और बाकी चीजें तो ठीक है लेकिन यह पावर लूम्स पर इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है कि हमको चलाने में मुसीबत हो गई हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना हैं कि मिनिस्टर साहब इस मामले पर विचार करें। मेरा कहना हैं कि देश में सोशलिज्म तभी आ सकेगा जब कि उद्योग का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए। यह पावर लूम्स पर जो टैक्स बढ़ा दिया गया हैं यह बहुत ज्यादा हैं और इसलिये लोग अपने लूम्स को बेचने का विचार कर रहे है। लेकिन मैं ने सुना है कि उनको बेचने भी नहीं दिया जाता। बेचने से भी उन के ऊपर टक्स माफ नहीं होगा। तो यह भी देखना चाहिये। जिनके

[श्री तुलसी दास जाधव]

पास २५ लूम्स है वे लोग टैक्स ज्यादा होने के कारण उनका बेच कर चार लूम चलाना चाहते है। लेकिन ऐसा करने से भी टैक्स माफ नहीं होता। तो यह बड़ी मुसीबत है।

देश के अन्दर तीन प्रकार से इन्डस्ट्री चल रही हैं, पब्लीक, प्राइवेट और कोआपरेटिव। तीन तरह से काम चल रहा है। अगर सोसाइटी भी चार से ऊपर लूम चलाती हैं तो उस पर भी टैक्स माफ नहीं हैं। तो मेरा कहना हैं कि जो लोग कोआपरेटिव सोसाइटी से चलाते है उनको कुछ सहूलियत मिलनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश आर्थिक दृष्टि से तेजी से तरक्की कर रहा हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन कई जगह पर बड़ी तकलीफ भी है। मैं अपने शहर शोलापुर के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। शोलापुर शहर में एक शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल है। उसकी बड़ी दुर्दशा हैं। उसमें तीन साढ़े तीन हजार मजदूर काम करते है। मालूम नहीं पड़ता कि उसमें मनेजमेंट का और सरकार का दोष का कितना हिस्सा है। लेकिन वह मिल ठीक से चलती नहीं है। परसों जब मैं दिल्ली आ रहा था तो कोई तीन चार सौ कामगर मेरे घर पर आए और उन्होंने कहा कि "हमें रोजाना काम नहीं मिलता" इसका इन्तजाम किया जाये। न ठीक से कपास मिलता हैं और न ठीक से काम चलता हैं।" उस पर ध्यान देने की आवश्यकता हैं ताकि इन कामगरों को ठीक से काम मिल सके लेकिन गवर्नमेंट को इस मिल को देखना चाहिये और जिस तरह सरकार एक और दूसरे मिल को अपने अधिकार में ले कर चला रही हैं उसी तरह इसको भी चलाने पर विचार करें। ऐसी मेरी प्रार्थना हैं।

कुछ सज्जनों ने कहा कि रूस में मजदूर की तनख्वाह ज्यादा हैं और जो अफसर है उनकी तनख्वाह कम हैं। मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं रूस में एक महीने रहा हूं और गावों में घूमा हूं और इकानमिस्ट्स से चार चार घंटे तक चर्चा की हैं। मैं ने देखा कि वहा तनख्वाह में काफी फर्क हैं। जो तनख्वाह मजदूर को, स्कूल के टीचर को और क्लर्क को मिलता है उससे ज्यादा तनख्वाह अफसर को मिलता हैं। पगार में कई गुना तक का अन्तर हैं। मैं ने तलाश किया तो मालूम पड़ा कि उनका मतलब सोशलिज्म से यह नहीं है कि पगार में अन्तर न हो, जहा तक मैं समझा हूं उनका मतलब सोशलिज्म से यह है कि कोई अपने पैसे के कारण किसी का एक्सप्लायटेशन न कर सके। उदाहरण के लिये एक आदमी चार कारें रख सकता हैं लेकिन ड्राइवर नहीं रख सकता, चार बंगले रख सकता हैं लेकिन उनको किराये पर नहीं उठा सकता। अपना रुपया ब्याज पर नहीं चला सकता। वह अपने पैसे का उपयोग अपने लिये कर सकता हैं लेकिन उसके किसी दूसरे का एक्सप्लायटेशन नहीं कर सकता। तो इस तरह से वहां काम चलता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह हैं कि वहां से यहां की तुलना नहां की जा सकती। आप देखें कि वहां महंगाई बहुत ज्यादा हैं। यहां का २०० रुपये का पगार और वहां का एक हजार का पगार बराबर होगा। वहां एक साबुन का दाम यहां से चार पांच गुना है। इस चीज का अध्ययन मैंने लन्दन आदि कई जगहों पर किया हैं। और मैंने यही समझा हैं कि रूस में सोशलिज्म का यही अर्थ समझा जाता है कि इस तरह से काम किया जाए कि कोई आदमी अपने रुपये के कारण दूसरे का एक्सप्लायटेशन न कर सके। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि जो आदमी बटर में काम करता हैं उसको अफसरों से ज्यादा पगार मिलता है। हम अपने देश में डिमाक्रेसी के द्वारा सोशलिस्ट पटर्न की तरफ चल रहे है और यह अच्छा हैं और मुझे आशा कि फाइनेंस

मिनिस्टर साहब अपने कबिनेट के सहयोगियों द्वारा इस दिशा में सही मार्ग अपनाने में सफल होंगे।

इतना ही मुझे कहना है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : शिलांग, शिमला केरल और कुछ अन्य स्थानों के लेखा परीक्षा विभाग के कुछ अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारियों को अभी तक नौकरी में वापस नहीं लिया गया है। उन में से किसी भी कर्मचारी ने किसी हिंसक कार्रवाई में भाग नहीं लिया था। उन्होंने माफी भी मांग ली है परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वित्त मंत्री को उन मामलों पर विचार करना चाहिए। और महालेखापरीक्षक से उनको वापस लेने के लिए कहना चाहिए।

शिमला, केरल और बम्बई के लेखा परीक्षा कर्मचारियों के संघों को पुन: मान्यता नहीं दी है जब कि प्राय: अन्य समस्त विभागों के संघों के सम्बन्ध में वैसा किया जा चुका है। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए। शिलांग में महालेखा परीक्षक के लगभग २०० कर्मचारियों को मामूली बातों पर चार्जशीट किया गया है। सरकार को उन के मामलों पर विचार करना चाहिए और उन के संघ को पुन: मान्यता देनी चाहिए।

[मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

जीवन बीमा निगम के फील्ड आफिसरों को बोनस से वंचित कर दिया गया है यद्यपि समिति ने बोनस के लिए सिफारिश की थी ’ इस कामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

सरकार को यह बताना चाहिए कि कानपुर में कुछ कामलों में आय कर की बहुत सी बकाया राशि क्यों एकत्रित होने दी गई है और उसकी वसूली क्यों नहीं की जा रही है। यह भी बताया जाना चाहिए कि उन लोगों के नाम बताने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं जो करापवंचन करने के लिए अनेक हथकण्डे अपना रहे हैं। शिमला के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को शिमला बोर्ड के अनुसार टिकट भत्ते सम्बन्धी मांग पर विचार किया जाना चाहिए।

अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए, जो पहले आयोग के पर्यालोकन में सम्मिलित नहीं किए गए थे, एक वेतन आयोग नियुक्त किया जाना चाहिएं।

मूल्यों को स्थिर करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** (परभणी) : हम अपनी प्राप्तियां बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने दोनों में ही असफल रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि की वार्षिक दर केवल ३.५ प्रतिशत हैं जब कि हमारी जनसंख्या में २ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो रही हैं। इसलिए हमें अधिक तेजी से विकास करना चाहिए और कर राजस्व की चोटियां रोकनी चाहिएं।

सरकारी उपक्रमों से प्राप्तियां बहुत कम हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र में सम्पत्ति का अधिकाधिक केन्द्रीयकरण हो रहा हैं। इस से समाजवादी ढांचे का निर्माण नहीं हो सकता। लोगों को होने वाली खुशहाली की आशा पर ही नहीं रखा जा सकता। खुशहाली भारत के लोगों के सामने लनी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिवाजी राव श० देशमुख]

८५० लाख कृषि मजदूरों की व्यक्तिगत आय २७ नए पैसे हैं। हम इस निर्धन देश में कृषि मजदूर को ३७ नए पैसे प्रति दिन पर रहने की आशा करते है।

जहां तक कर वसूली का सम्बन्ध हैं, केन्द्र तो भरसक प्रयत्न करता हैं, किन्तु राज्य अपने उत्तरदायित्वों को नहीं निभाते। उन के प्रयत्नों को दृढ़ करने में कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी।

वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति से, राज्यों की कर वसूली के लिए प्रयत्न करने के मामले में निरुत्साहित होना पड़ा हैं। इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। क्योंकि उसे कोई अनुदान नहीं दिये गये, सरकार ने वित्त आयोग की यह सिफारिश मान ली हैं। वित्त आयोग ने कुछ अनुदान संचार साधनों सड़कों आदि के लिए सुरक्षित रखे हैं किन्तु इस मद के अन्तर्गत भी महाराष्ट्र को कुछ नही दिया गया, यद्यपि महाराष्ट्र में सड़कों की कमी है। इस लिए महाराष्ट्र के संसाधनों में वृद्धि करनी चाहिये, क्योंकि इन्हें हाल में काफी हानि पहुंची हैं। पहला बम्बई राज्य का विभाजन है। दूसरी पन्शेट की दुर्घटना। तीसरी महाराष्ट्र के सात जिले ऐसे है, जो कमी वाले जिले है, जहां लम्बे समय तक फसलें खराब हो जाती है। इन जिलों की समस्याओं को राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर हल करने की आवश्यकता हैं। यहां कमी होने का कारण यह है कि पानी नहीं हैं और केन्द्र से महाराष्ट्र की सिंचाई की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया। इन जिलों में प्रतिमास प्रति व्यक्ति आय केवल १२.१५ रुपये हैं। इसके अलावा कोकोन भी महाराष्ट्र में हैं, जोकि भारत के सब से अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों में से हैं। रत्नागिरी जैसे क्षेत्रों के लिए तीसरी योजना में विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

केन्द्र केवल राज्यों की विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि अतिरिक्त योजना व्यय के लिए भी व्यवस्था करता है, किन्तु महाराष्ट्र को इस सुविधा से वंचित रखा गया हैं। महाराष्ट्र के लिए अधिक सहायता देना अत्यावश्यक है।

सरकार को यह विचार करना चाहिये कि क्या 'स्टेवेडोर' उद्योग का राष्ट्र के हित में राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से राज्य को १५ करोड़ रुपये की आय हो सकती हैं।

कार्य मंत्रणा समिति

दूसरा प्रतिवदन

†श्री राने (बुल्डाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन पेश करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा की बैठक १२ जून, १९६२/२२ ज्यष्ठ, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, ११ जून, १९६२

२१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

	विषय	**पृष्ठ**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४५८७—४६११
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३७६	निर्यात सम्वर्द्धन	४५८७—८९
१३७७	रबड़ बोर्ड	४५८९–९०
१३८२	कच्चे लोहे का निर्यात	४५९०–९१
१३८३	राज्यों द्वारा करों की वसूली	४५९१—९३
१३८४	नागा विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी	४५९३–९४
१३८६	पाकिस्तान से व्यापार प्रतिनिधिमंडल	४५९४—९७
१३८८	पश्चिम जर्मन की फर्मों के साथ वस्तु विनिमय	४५९७–९८
१३९०	संसद् सदस्यों के लिये फ्लैट	४५९८—४६००
१३९१	दिल्ली में अनधिकृत निर्माण	४६००–०१
१३९२	राजनीतिक दलों को प्रसारण सुविधायें	४६०१—०३
१३९३	दिल्ली में होटल कर्मचारियों की हड़ताल	४६०३
१३९४	सूत की कीमत	४६०३—०५
१३९७	समाचारपत्र के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	४६०५–०६
१३९८	तिब्बत के साथ व्यापार	४६०६–०७
१३९९	भारत के विरुद्ध न्यू चाइना एजेन्सी के आरोप	४६०७—०९
१४००	पाकिस्तान तस्कर व्यापारियों से मुठभेड़	४६०९–१०
१४०१	चीन-भारत सीमा विवाद का तय होना	४६१०–११
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४६१२—४६४४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३७५	संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान प्रणाली	४६१२
१३७८	चाय बागानों के विदेशी मालिक	४६१२
१३७९	गोआ	४६१२–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१३८०	चीन के प्रचार प्रसारण	४६१३
१३८१	तीसरी योजना में दौरान मद्रास में उद्योग	४६१३–१४
१३८५	अहमदाबाद में कपड़ा–मिलें	४६१४
१३८७	ठेकेदारों के मजदूरों के लिये भविष्य निधि	४६१४–१५
१३८६	पांडेचेरी में कालेज	४६१५
१३६५	नेपाली मिलिटरी पुलिस का भारतीय गाव में प्रवेश	४६१५–१६
१३६६	ऊन उद्योग	४६१६
१४०२	हस्तशिल्प उद्योग	४६१६
१४०३	दार्जिलिंग में तिब्बती शरणार्थियों का आना	४६१६–१७
१४०५	पूर्व पाकिस्तान के आप्रव्रजकों का पुनर्वास	४६१७

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२८७०	पालना कोयला क्षेत्र में कल्याण केन्द्र	४६१७
२८७१	उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग	४६१७–१८
२८७२	उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजनाएं	४६१८
२८७३	उत्तर प्रदेश में विद्युत् चालित करघे	४६१८
२८७४	होजरी उद्योग	४६१८–१६
२८७५	दिल्ली	४६१६
२८७६	अलौह स्क्रैप की बिक्री	४६१६
२८७७	महाराष्ट्र राज्य में के लिये तांबा और जस्ता	४६१६–२०
२८७८	घड़ियों का निर्माण	४६२०–२१
२८७६	गंधक का उत्पादन	४६२१
२८८०	अभ्रक खानों के सिलीकोसिस	४६२१
२८८१	समुद्री नमक का निर्यात	४६२१–२२
२८८२	ठेके के श्रमिक	४६२२
२८८३	कोदइकनाल में ऊंचाई पर प्रयोगशाला	४६२२–२३
२८८४	लालमटिया और हुर्रा	४६२३
२८८५	पश्चिम बंगाल में बेकारी का सर्वेक्षण	४६२३
२८८६	त्रिपुरा का खादी बोर्ड	४६२३–२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२८८७	मनीपुर में हथकरघा उत्पाद	४६२४
२८८८	मनीपुर में के हथकरघा उत्पादों के लिये 'शो रूम' .	४६२४-२५
२८८९	आंध्र प्रदेश में विद्युत्-चालित करघे . . .	४६२५
२८९०	कपड़ा मिल	४६२५
२८९१	भू-कर सम्बन्धी सर्वेक्षण . . .	४६२५-२६
२८९२	केरल में उद्योग	४६२६
२८९३	गोआ, दमन और दीव के लिये आयात नीति . .	४६२७
२८९४	जोधपुर में रेडियो स्टेशन . . .	४६२७
२८९५	तिमारपुर क्षेत्र (दिल्ली) के पुर्नविकास . .	४६२७-२८
२८९६	सूती वस्त्र निर्यात को प्रोत्साहन देने की योजना .	४६२८
२८९७	रेडियो रिसीवरों का उत्पादन . . .	४६२८
२८९९	दिल्ली में जाली पास पोर्ट बनाने वाला कार्यालय . .	४६२८-२९
२९००	भारतीयों को अनधिकृत रूप से देश से बाहर ले जाया जाना	४६२९
२९०१	दूसरी पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के लिये राशि .	४६२९
२९०२	दूसरी योजना की परियोजनाओं के व्यय का हिसाब .	४६३०
२९०३	ब्रिटेन को बेन्जीन का निर्यात . . .	४६३०
२९०४	खली	४६३०-३१
२९०५	केन्द्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्था, लुधियाना की स्थापना	४६३१
२९०६	आकाशवाणी का गोहाटी केन्द्र . .	४६३१-३२
२९०७	बफर स्टाक एसोसिएशन	४६३२
२९०८	कानपुर में बी० आई० सी० की फर्में . . .	४६३२-३३
२९०९	आकाशवाणी के इंजीनियर	४६३३
२९१०	चाय बागानों तथा कारखानों के लिए मशीनी उपकरण .	४६३३
२९११	चाय बोर्ड द्वारा ऋण देना . . .	४६३३-३४
२९१२	बेरियम रसायनों का आयात . . .	४६३४
२९१३	बेरियम लवण तथा रसायन का निर्माण . .	४६३४-३५
२९१४	बेरियम टिटेनेट का निर्माण . . .	४६३५
२९१५	दिल्ली में भूमिगत जल का उपयोग . . .	४६३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२९१७	आकाशवाणी से हरियानी बोली में कार्यक्रम . .	४६३६
२९१८	पंजाब में तेल की घानी . . .	४६३६
२९१९	पंजाग में हथकरघा उद्योग . . .	४६३६–३७
२९२०	हरी चाय	४६३७
२९२१	'स्वतंत्र समाचार'	४६३७–३८
२९२२	रंगों तथा रसायनों का आयात . . .	४६३८
२९२३	टौलीगंज रेलवे उपनगर, कलकत्ता में शरणार्थी .	४६३८
२९२४	पश्चिम बंगाल में शराब आदि बनाने के कारखाने की परियोजना	४६३८
२९२५	योजना	४६३९
२९२६	तिमारपुर, दिल्ली में क्वार्टर . . .	४६३९—४१
२९२७	लोहा अयस्क का मूल्य	४६४१
२९२८	बड़ी कारों का आयात आयात . . .	४६४१
२९२९	केरल में होपकिन एण्ड विलियमस् . . .	४६४१–४२
२९३०	जापान को इलमेनाइट का निर्यात . . .	४६४२
२९३१	एफ० ऐक्स पैरेरा लिमिटेड	४६४२–४३
२९३३	सरकारी बंगले	४६४३–४४
२९३४	चाय का निर्यात	४६४४
२९३५	भारतीय विदेश सेवा (ख) . . .	४६४४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ४६४४—४८

(१) श्री अ० क० गोपालन ने केरल में क्विलोन के निकट एनाथ के स्थान पर ट्यूबरकुलीन परीक्षण की प्रतिक्रिया से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया । .

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री प्र० के० देव ने ८ जून , १९६२ को नागपुर—टाटानगर पैसेंजर रेल गाड़ी के पटरी से उतर जाने की कथित समाचार की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।

रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया .

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४६४८

बागान श्रमिकों के काम की दशा के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय (संख्या ११०) के अनुसमर्थन के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवदन पुर: स्थापित ४६४८

पहला प्रतिवेदन पुर:स्थापित किया गया

अनुदानों की मांगें ४६४८--९२

(१) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई तथा मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई ।

(२) वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

काय- मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन पुर:स्थापित . . ४६९९

दूसरा प्रतिवेदन पुर:स्थापित किया गया ।

मंगलवार, १२ जून, १९६२ । २२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिय कार्यावलि

वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान ; और अणुशक्ति विभाग, संसद कार्य विभाग, लोक-सभा , राज्य-सभा तथा उप-राष्ट्रपति के सचिवालय की अनुदानों की मांगों पर भी मतदान ।